खण्ड-365, अंक-2
सोमवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(5 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1-4
गणपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देश	..	5
प्रश्नोत्तर	..	5-84
कोरम का अभाव होने से अल्पसूचित प्रश्नोत्तर के लिए निर्धारित समय न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	84-85
गोरखपुर जनपद की सदर तहसील में नील गायों द्वारा फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	85-86
रेतवा गाडा (गोंडा) में स्पेशल कम्पोनेंट तथा आई0 आर0 डी0 स्कीम में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	86
मंझनपुर, इलाहाबाद में बस-अड्डा न होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	86-37
सिकन्दरपुर, जालौन के धर्मजीत सिंह की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	87
ग्राम सभा ठडी, प्रतापगढ़ की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	..	87-88
देवरिया जनपद में फैक्ट्रियों के कारण छोटी गंडक का पानी विषाक्त होने से मछुआरो के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	88
सिधौली में सिपाहियों द्वारा ट्रक ड्राइवर को गोली मारने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	88-89
बस्ती में बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों को बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	89-90
दैनिक समाचार पत्र 'आज' के नगरीय संस्करण में माननीय अध्यक्ष तथा श्री किरन पाल सिंह का नाम गलत छापे जाने की शिकायत	..	90
हिन्दुस्तान टाइम्स की संवाददाता सुनीता सरन को प्रताड़ित किये जाने की शिकायत	..	90
अतिरिक्त बिक्रीकर व मंडी शुल्क के विरोध में व्यापारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	90-91
उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	..	91

विषय		पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय से पूर्व अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना	..	92
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	92-99
भूतपूर्व सदस्य श्री राजाराम शास्त्री के निधन की सूचना	..	99
वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)		99-131
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	132
वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)		132-135
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1984 के निर्धारित कार्य-मन्त्रणा में संशोधन की सूचना तथा प्रस्ताव (स्वीकृत)		135-136
लीला निवास, पान दरीबा (लखनऊ) को खाली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	136-139
तालगांव (बाराबंकी) में दो हरिजनों को जिन्दा जलाए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	139-142
सदस्यों	..	143-153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 5 मार्च, 1984 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 6 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—308

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इंद्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्रप्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुल्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर द्विवेदी, श्री (लखनऊ)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (मैनपुरी)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जैतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह आर्य (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पांडेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)

महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मार्कन्डेय चन्द्र,श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अब्रार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नवी श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
रजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधे श्याम पटेल, (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)

राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
रामसिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र श्री (बहराइच)
राय हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह श्री (गाजीपुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)

विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नबाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

गणपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देश

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, कोरम नहीं है । पहले पूरा करा लीजिये । कुर्सें में भांग पड़ी है ।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य-मंत्री को बुलाइये ।

श्री हुकुम सिंह--

मुख्य मंत्री में अविश्वास व्यक्त कर रही है, यह पार्टी ।

श्री अध्यक्ष--

शासन पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि कोरम की व्यवस्था रखे । भविष्य में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाय ।

श्री हुकुम सिंह--

आपके निर्देशों को सुन कौन रहा है, यहां पर ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 5 मार्च, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थायीकरण की मांग

**1--डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 1 मई, 1984 तक प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के स्थायीकरण किये जाने के समान ही प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 4 जनवरी, 1984 तक नियुक्त हुए तदर्थ अध्यापकों के स्थायीकरण हेतु शासनादेश जारी करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थायीकरण नियमित चयन के आधार पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा ही किया जा सकता है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, यह माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, प्रश्न का, यह बहुत पुराना है । इसके बाद इसमें काफी डेवलपमेंट हो चुका है । आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार विगत दिवस उन्होंने राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत, जो तदर्थ शिक्षक हैं, उनका स्थायीकरण किया है, शासनादेश के द्वारा, उसी प्रकार से वह हमारे महाविद्यालयों में जो शिक्षक तदर्थ रूप से पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जिनकी नियुक्ति संवैधानिक चयनित प्रक्रिया द्वारा की गयी है, तो उनको स्थायी करने हेतु शासनादेश जारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संजय सिंह जी, क्या कोई श्यामलाल बाजपेयी से आपस में लेनदेन की बात हो रही है ?

श्री फखरे आलम--

सौदा हो रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

वैसे तो यह जनपद सुल्तानपुर के हैं । देने भर को बहुत कुछ है, मगर इनकी जेब खाली है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जहां तक राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का सम्बन्ध है, आज से लगभग 10 वर्षों पूर्व हाईकोर्ट

से स्टे हो गया था कि उनका चयन नहीं किया जा सकता। उनकी तदर्थ नियुक्तियों को एक संवैधानिक प्रक्रिया अपनायी गयी। इन पोस्टों को एडवरटाइज किया गया और शासन स्तर पर समिति गठित हुई, जिसके द्वारा वह चयनित हैं, जो 3 साल के हैं, उनको नियमित किया जाता है। जहां तक अशासकीय महाविद्यालयों का प्रश्न है उसमें, तो बहुत से 3 महीने, एक साल के या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि उनके चयन की प्रक्रिया नियमित है, तो यह जो यूनीवर्सिटी ऐक्ट है, इसमें है कि :--

"दि सेलेक्शन कमेटी फार दि अपाइन्टमेंट आफ अदर टीचर्स आफ एन एफिलियेटेड आर एसोशियेटेड कालेज।"

श्री अध्यक्ष--

आप इसको हिन्दी करें।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ऐसा है इसकी चयन समिति में एक प्रक्रिया है, ऐक्ट के अनुसार एक विशेषज्ञ वी० सी० का रखा गया है। बाकी नहीं रखे गये हैं, इसलिये पूरी प्रक्रिया ऐक्ट के मुताबिक नहीं अपनायी गयी है, इसलिये उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जो अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, वह बिल्कुल वैधानिक तरीके से हुई हैं। सेलेक्शन कमेटी बनी है और एक्सपर्ट्स बैठे हैं और अन्य अधिकारी बैठे हैं। बिलकुल संवैधानिक चयन समिति थी। इसके विपरीत जो राजकीय महाविद्यालयों में चयन हुआ है, वह अवैधानिक नियुक्तियां थीं। उसमें एक्सपर्ट्स और सेलेक्शन कमेटी नहीं थी, जब उनको नियमित किया जा सकता है तो इसमें जो वैधानिक रूप से चयन समिति बनी है और जो नियुक्तियां हुई हैं क्या इनके स्थायीकरण करने हेतु शासनादेश जारी करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, उनकी तदर्थ नियुक्तियां जिस समय की गयी थीं, उस समय उनको क्लीयर अंडरस्टैंडिंग दी गयी थी कि जब तक हमारे ये चयन बोर्ड द्वारा नहीं हो जाते, तभी तक ये नियुक्तियां चालू रहेंगी। मान्यवर, शिक्षा आयोग ने चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है, तो कंडीशन प्रिवेल करती है, तो यह कैसे होगा, मान्यवर ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, अब तक जितनी तदर्थ नियुक्तियां हुई, चाहे शासकीय चाहे अशासकीय, शासन ने सबको नियमित कर दिया और जब बराबर शासन नियमित करता रहा और हर बार इसके लिए आदेश जारी हुए और सब में यह शर्त रखी गयी कि 6 महीने और 3 महीने के लिए नियुक्ति की जायगी और कोई नहीं हटा, तो जो आदमी आया था तदर्थ रूप से, वह समझता था कि हमको भी स्थायी किया जायगा। मान्यवर, बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी आयु दूसरी सेवा में जाने के लिए समाप्त हो गयी है और दूसरी बात जो अर्हता की है, वह सब पूरी करते हैं। मान्यवर, कौशल जी ने कहा कि वह चयन समिति द्वारा चुने गये, तो मैं यह मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सभी लोगों के साथ मानवीय आधार पर क्या पुनः विचार करके इनकी सेवाओं को विनियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, आपकी जो भावनायें हैं, हमारे माननीय सदस्य जितने हैं, वैसे

तो वे कहते हैं कि जो बाडीज इनकार-पोरेट हैं, दूसरी जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, यह सरकार उनमें किसी प्रकार का बाधा न डाले, तो जो वह कमीशन बना है, वह भी बाडी इनकार-पोरेट है, हम लोग कैसे रोक सकते हैं कि आप चयन न कीजिए, और यह एप्वाइंटमेंट मैनेजमेंट कमेटी करती हैं महाविद्यालय की, सरकार तो करती नहीं है, मान्यवर ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब शासकीय महाविद्यालयों में एक दफा तदर्थ नियुक्ति के बाद, दूसरी दफा तदर्थ नियुक्ति का सवाल आया, तो हम लोगों ने आपत्ति की कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं होता है, इसलिये तदर्थ नियुक्ति न की जाय, तो चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी हुई है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, 22 तारीख से चयन शुरू हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में कहा, उसके बारे में भी बता दीजिए ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा किया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रक्रिया ऐक्ट को पढ़कर बताया शायद वह पूरा पढ़ नहीं सके या उनको जानकारी नहीं है । मान्यवर, जो सेलेक्शन कमेटी होती है, उसमें दो इक्सपर्ट्स होते हैं और उसमें यह होता है कि इक्सपर्ट्स अगर निगेटिव ओपिनियन देते हैं, तो चयन नहीं किया जायगा । मान्यवर, यह बात सही है कि सरकार के सामने जब-जब यह सवाल आया कि नियुक्तियां उनको हो गयीं और अब वह हमेशा के लिए तदर्थ ही बने रहेंगे, इस कठिनाई के निवारण के लिए इन्सीट्यूट और अध्यादेश भी जारी किये गये, तो मानवीय आधार पर सरकार कोई तरीका, कोई विधि बनाने पर विचार कर रही है, जिससे कि इनकी पूर्व सेवाओं का लाभ पहुंचाते हुए आगे नियमितीकरण किया जायगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले बताया है कि हमने प्रयास किया था कि किसी प्रकार से इनकी सेवाओं को नियमित किया जाय । कमीशन ने अपना सेलेक्शन प्रारम्भ कर दिया । अब भी इस मामले में बहुत सी समस्यायें निहित हैं, उन सब पर विचार करना पड़ेगा । जो यथा सम्भव हो सकेगा, उस पर विचार करेंगे ।

श्री ऊदल--

जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं यह आयोग गठित होने से पहले हुई हैं या उसके बाद की हैं । अगर आयोग गठित होने से पहले की हैं जिसकी इजाजत सरकार ने दी थी, तो उनको स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

सर्वप्रथम 4-1-82 को एक साल के लिये हम लोगों ने डिफकल्टी रिमुवल आदेश पारित किया था । एक साल के लिये नियुक्ति के आदेश दिये गये थे, 29-1-83 को 31-1-84 तक समय बढ़ाया गया था उसके बाद का प्रश्न नहीं उठता है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

शिक्षा मंत्री जो, जो उपस्थित नहीं है। उन्होंने कोई आदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को इस साक्षात्कार को स्थगित करने का दिया है ?

श्री राम सिंह--

मैंने बताया कि एक टेलेक्स भेजा गया था कि एडहाक टीचर्स की समस्याओं पर विचार हो रहा है, अध्यक्ष को भेजा, उन्होंने विचार किया। वह भी बाडी इनकारपोरेट है हम कैसे बाध्य कर सकते हैं कि सेलेक्शन स्थगित कर दें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो नियमानुसार कार्यवाही करें।

प्रदेश में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूलों की स्थापना हेतु शैक्षिक सर्वेक्षण कराये जाने की मांग

**2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल खोलने के लिए स्थानों का चयन करने हेतु तुरन्त पांचवां शिक्षा सर्वे कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं।

शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य सामान्यतया राष्ट्रीय स्तर पर लिये निर्णयों के अनुसरण में कराया जाता है। पांचवे शैक्षिक सर्वेक्षण हेतु अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, जो हमारे जिलों में गांवों में स्कूल खोले जाते हैं, उनका आधार शिक्षा सर्वे है, जो सर्वे में सम्मिलित गांव हैं, वहीं खोला जाता है। चौथा शिक्षा सर्वे 10 वर्ष पुराना है और उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। उसमें ऐसे गांव लिये गये हैं, जिनकी आबादी 5 सौ है लेकिन वह गांव नहीं है, जिनकी आबादी 5 हजार है। हम लोग जिलों में बैठते हैं, शिक्षा समिति में और अन्य योजनाओं की समिति में जहां विधायक स्कूल खुलवाना उचित समझता है नहीं खुलवा पाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि चौथा सर्वे त्रुटिपूर्ण था इस बात को देखते हुये और इस चीज को दृष्टिगत रखते हुये कि जहां बच्चे उपलब्ध हैं, स्कूल खुलना चाहिये, नहीं खुलता है और जहां बच्चे उपलब्ध नहीं है वहां खुल जाता है और इमारत बनकर खड़ी रहती है, बच्चे नहीं उपलब्ध होते हैं। मंत्री जी ने कहा कि इसको केन्द्र सरकार करता है तो इस असाधारण परिस्थिति में आपको यह निर्णय लेने में क्या कठिनाई है कि सर्वे कराकर पुनः गांव को चयनित कर लिया जाय ?

श्री राम सिंह--

जहां तक किसी स्थान के चयन का सम्बन्ध है, कहां कोई प्राइमरी या जूनियर स्कूल खुले इसके लिये नीति निर्धारण होता है। इस आधार पर कुछ बिन्दु बता दिए हैं कि प्राइमरी स्कूल वहां खोलेंगे। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां भी बता दिया है कि जितना पापुलेशन होनी चाहिए, जो जिला परिषद् कमेटी होती है वह स्थान का चयन करती है।

(सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(शोर)

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, आज छः मिनट सदन लेट चला है। छः मिनट और बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

शाम को छः मिनट देर तक सदन चल जाएगा।

श्री हुकुम सिंह—

लेकिन मान्यवर, उस वक्त प्रश्न तो नहीं किए जा सकेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

जिला परिषदों के चुनाव की मांग

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री विद्या सागर नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के चुनाव कब कराये जायेंगे ?

पंचायत राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे अन्य बातों के बारे में शासन से उत्तर देते थे कि प्रशासनिक कठिनाई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला परिषदों के चुनाव में क्या कठिनाई है, जबकि अन्य चुनाव हो चुके हैं ?

श्री राम सजीवन सिंह—

मान्यवर, क्षेत्र परिषद् के चुनाव पूरे हुए और अन्य चुनाव भी पूरे हो गये। अनमेलन और नामांकन के चुनाव, यह दो चुनाव रह गये हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब प्रमुखों के चुनाव हो गये बाकी चुनाव भी हो गये, जब सारे कार्य हो चुके हैं, तो वह कौन सा कारण है कि जिला परिषद् के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं ? जिला परिषद् को जन प्रतिनिधियों के हाथों में न देने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सजीवन सिंह—

हम शीघ्र चुनाव कराने जा रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

उसकी तारीख की घोषणा कर दीजिए ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पूछा था, माननीय मंत्री जी से मैं, उस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया सभी स्तर के चुनाव हो चुके हैं, दो चीजें रह गई हैं, तो दो चीजें जो रह गई हैं इनमें कोई प्रशासनिक बाधा तो है ही नहीं तो इन दोनों के चुनाव तत्काल कराने में क्या परेशानी है वह कौन सी तिथि है, जब इन दोनों के चुनाव करायेंगे ? जिला परिषद् के चुनाव करायेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले कहा है चुनाव शीघ्र कराने जा रहे हैं। मान्यवर, यह विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है। लोक सभा का बजट सत्र चल रहा है इस तरह से तारीख तय करना उचित नहीं होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मई, जून कुछ तो बता दीजिए।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, सरकार द्वारा हमेशा घोषणा होती है कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव होंगे। जिला परिषद् का और गठन होगा लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो जिला परिषद् के सदस्य हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो गई उनको कोई भी अधिकार आपने नहीं दिया आपने ब्लाक स्तर पर 20 सूत्री समिति का गठन रखा उसमें सदस्य जिला परिषद् को नहीं रखा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो गठन होगा, उसमें समय लगेगा। तब तक सदस्य, जिला परिषद्, को कुछ अधिकार देंगे जैसे जिला परिषद् में आपकी समितियां हैं। 20 सूत्री जिला विकास अभिकरण हैं, उनमें सम्मिलित करने का ब्लाक स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम की जो समितियां हैं उसमें सदस्य; जिला परिषद् को सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, यह शासन की नीति से सम्बन्धित है, इसका उत्तर देना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जिस प्रश्न को मैंने स्वीकार कर लिया है, उसके लिये आप ऐसा नहीं कह सकते।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

माननीय मंत्री से निवेदन है कि इधर सुनें। जिला परिषद् के अध्यक्ष को, जिले के अन्दर कम से कम 30 ऐसी शासकीय समितियां हैं, जिनकी अध्यक्षता इसलिये करनी पड़ती है, क्योंकि वह जिला परिषद् का अध्यक्ष है। जबसे यह सरकार बनी है, तब से इन तमाम समितियों की अध्यक्षता कलेक्टर करता आता है। जिले के अन्दर जो ग्राम्य विकास अभिकरण हैं, उसमें भी माननीय विधायकों को बुलाया जाय, तब भी वह जाते नहीं हैं। वहां की अध्यक्षता डी० एम० करता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में हिटलर का राज्य आया है। विधान सभा न चले, लोक सभा न चले तब माननीय मंत्री जी जिला परिषद् का चुनाव करायेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है कि वे कौन सी बाधाएं हैं, आपकी समस्याएं हैं, विधान सभा का सत्र आपके सामने क्या बाधा पैदा करता है। सवाल यह है कि सरकार के सामने कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव तात्कालिक तौर पर शासन नहीं करा सकता है। वह बाधाएं बतावें ? विधान सभा का सत्र कोई बाधा नहीं है।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, कांग्रेस का सदैव प्रजातंत्र में विश्वास रहा है। चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, यह जिला परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में कई बार प्रश्न विधान सभा में आए और हर बार मंत्री जी का जवाब यह मिला कि शीघ्र करा दिये जायेंगे। तो मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह शीघ्र की लम्बाई क्या है, उसकी तारीख क्या है, जब चुनाव करायेंगे ? वह तारीख कब पूरी होगी, किस महीने में पूरी होगी, किस वर्ष में पूरी होगी, क्या यह बताएंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, मैं इसमें यथाशीघ्र और जोड़ देता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बीस सूत्री कार्यक्रम की समितियां जिलों में गठित हुई हैं, ब्लाकों में जो बीस सूत्री कार्यक्रम की समितियां गठित हुई हैं, जब उनमें प्रधानों को भी नामित किया गया है, प्रमुख भी रखे गये हैं, तो जिला परिषद् के अध्यक्ष, जिनके विधिवत् चुनाव हो चुके हैं, उनको रखे जाने में क्या आपत्ति है ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, बीस सूत्री समितियां, तो सभी जन-प्रतिनिधियों की हैं ।

(व्यवधान)

श्री विद्यासार नैटियाल--

सरकार तानाशाही कायम किये है । यह जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती है । यह सरकार एक मात्र इंदिरा गांधी के चरणों में फूल चढ़ा सकती है । मैं इसकी भर्त्सना करके सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मैं भी शासन की इस नीति के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी भी सदन त्याग कर चले गये)

माध्यमिक शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग

*2--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कठिनाई निवारण अध्यादेश के अन्तर्गत लगभग 20 हजार माध्यमिक शिक्षकों की जो तदर्थ नियुक्तियों की गयी है, 'उनके नियमितीकरण के सम्बन्ध में सरकार सिद्धान्तः सहमत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं, क्योंकि तदर्थ रूप से नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों के नियमितीकरण करने से माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग निष्प्रभावी हो जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, अभी कुछ समय पहले महाविद्यालयों में अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति का प्रश्न आया था और अब यह माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण किये जाने का प्रश्न आया है । अप्रैल, 1980 में एक अध्यादेश हुआ था, जिसका नाम था, "कठिनाई निवारण अध्यादेश" । बहुत पहले से अभी तक तमाम अध्यापकों की माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं, उनमें से कई हजार अध्यापक ऐसे हैं, जो 3 साल पूरे कर चुके हैं । जिस समय इन अध्यापकों का चयन किया गया था, उस समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और डी0 आई0 ओ0 एस0 ने इनका अनुमोदन भी कर दिया । अब माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को उन्हें नियमितीकरण करने में क्या परेशानी है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, 31 जुलाई, 1981 में सर्वप्रथम यह कठिनाई निवारण अध्यादेश जारी हुआ । इसके तहत 6 महीने के लिए नियुक्तियां की गईं । बाद में हम उन लोगों का समय बढ़ाते रहे, जो अभी तक चला आ रहा है । शिक्षकों की मांग थी इसलिए यह जनहित में किया गया । चूंकि इस प्रकार की नियुक्तियों में काफी धांधली होती थी, भाई-भतीजेवाद होता था, इसलिए इस सदन की भावनाओं

को ध्यान में रखते हुए एक चयन बाडो का गठन किया गया है । ताकि सही उम्मीदवारों का चयन हो सके । तदर्थ नियुक्तियों के समय शर्तें भी रखी गयी थी ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सदन की भावना का आदर करते हुए शिक्षक आयोग का गठन किया गया । हम इससे कहां इन्कार करते हैं, यह तो आपने अच्छा किया । आयोग तो अब आपका प्रभावी हुआ है, इससे पहले तो यह निष्प्रभावी था । जिस समय यह आयोग निष्प्रभावी था, उस समय इस अध्यादेश के तहत अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी और उन्हें अनुमति भी दे दी गयी । कई अध्यापकों को कार्य करते-करते 3 साल से ज्यादा हो चुका हैं, जैसा कि माननीय श्री पंचानन राय जी ने भी कहा कि कई अध्यापक ओवर-एज भी हो चुके हैं, अब उन्हें कहीं भी समायोजित नहीं किया जा सकता है । इन तदर्थ नियुक्त अध्यापकों को नियमितीकरण करने में सरकार को क्या आपत्ति है जबकि ये नियुक्तियां आयोग के गठन से पहले की हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जुलाई, 1981 से इस प्रकार का चयन हम लोगों ने अध्यापकों का किया है । जहां तक ओवर-एज की बात है, उस समय नियुक्ति के समय ही हमने कुछ ऐसी शर्तें स्पष्ट रुप से रख दी थी कि जिन्हें ओवर-एज होने की संभावना हैं, वे लोग दूसरी जगह पर भी एप्लाई करें । जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया, उन्होंने ज्वाइन किया और जिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप यह जानते हैं कि इस सदन की भाषा हिन्दी है, फिर भी आप ज्वाइन जैसे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहें । क्या आप इसकी जगह पर हिन्दी नहीं बोल सकते थे ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है और यह भी बताया कि जुलाई, 1981 से नियुक्तियां शुरू हुई हैं । अभी तक प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम का विज्ञापन नहीं हुआ, जिस प्रकार आपका यह आयोग कार्य कर रहा है उस हिसाब से इसमें 7 साल लग जायेगा । प्रवक्ताओं का साक्षात्कार नहीं हुआ है, पूर्व स्नातक वेतन क्रम का चयन भी उनके द्वारा किया जाना है, जो अभी तक नहीं हुआ है । आज 3 साल हो चुके हैं और इस कार्य को करने में मैं समझता हूं कि 4 साल साल और लगेंगे । कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत भी जितने लोग एप्लाई करेंगे, उसमें सबसे अधिक नम्बर लाने वाले को ही एप्वाइन्ट किया जायेगा । उसमें कोई च्वायस नहीं रखी गयी है । आयोग तो 10 लड़कों को बुलायेगा और एक लड़के को सलेक्ट करेगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कृपया आप बैठें ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुला लिया है । आप सवाल ही नहीं करना चाहते हैं । आपको बाद में मौका मिलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी राजकीय कर्मचारियों को नियुक्ति करता है और उनके स्थायीकरण करने के बारे में विचार करता है। इस सरकार ने फैसला किया है कि जो कर्मचारी तदर्थ रूप से नियुक्त हैं और जिनकी सेवायें तीन वर्ष से अधिक की हो गयी होंगी, उनको नियमित किया जायेगा। शासन के इसी सिद्धान्त को, जो सरकार का बनाय हुआ है, इसकी समानता स्थापित करते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि माननीय पंचानन राय जी ने विस्तार से कहा कि कुछ चयन प्रक्रिया अभी आरम्भ नहीं हुई है, इसके लिये चयन संस्था का गठन नहीं किया गया है, इतना वक्त लगने वाला है, तो इस तरह से जिनकी अवधि पूरी हुई है, जिनकी नियुक्ति मुक्ति के आधार पर हुई और मेरा तीसरा बिन्दू है कि इसके पहले भी तदर्थ नियुक्ति आपने की थी चयन समिति से अध्यापकों की, उनको सरकार ने स्थायी कर दिया, तो इन तीनो बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस बात के क्या कारण है कि इनकी सेवाओं का चाहे एक साल, सवा साल या दो साल, लाभ देकर, नियमित कर दिया जाय ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जहां तक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर, शिक्षकों का सम्बन्ध है, वहां मेरे द्वारा पहले ही बताया गया कि हाईकोर्ट से स्टे था, इसलिए तदर्थ नियुक्तियां करते हैं। इसके अलावा...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने अध्यापक की बात नहीं की। राज्य कर्मचारियों की, जिनकी नियुक्ति भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है, और जिनके स्थायीकरण पर भी वह विचार करता है।

श्री राम सिंह--

मैं उत्तर ही दे रहा हूं। आप सुन लें। जहां तक एल0 टी0 ग्रेड और प्रधानाचार्य के सेलेक्शन का सम्बन्ध है, इनके लिये चयन आयोग को एडवर्टाइज हो गई हैं और कुछ को होने वाली हैं, जहां तक सी0 टी0 ग्रेड की बाबत बात है इस पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और जहां तक यथासभव पूरी कोशिश करेगा कि उनके हितों का ध्यान रखा जाय, चूंकि उनके आयोग का अभी गठन नहीं हुआ है।

(श्री पंचानन राय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री पंचानन राय जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे लम्बा सवाल नहीं करेंगे।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में, उन्होंने कहा कि सी0 टी0 ग्रेड की बाबत जो स्थिति है, उनके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मैं वह जानना चाहता हूं कि शासन किस कारण यह दोहरा मापदंड अपनाना चाहता है कि एक वेतनक्रम में नियुक्त कर्मचारियों के मामले में तो सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगा और दूसरे वेतनक्रम के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले कह दिया कि वह बाडी इनकारपोरेट है। उनके परिव्यू में वह आता है, वह अपना सेलेक्शन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मत्री जी, बाडी इनकार-पोरेट की हिन्दी कीजिए।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह लोग आपकी बात मानना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि वह स्वायत्तशासी है ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2)के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

आजमगढ़ जिले के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*1--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगस्त, 1983 का वेतन 20 सितम्बर, 1983 तक वितरित नहीं हुआ जिसके कारण 21 सितम्बर, 1983 से विद्यालयों में पठन-पाठन बन्द हो गया ? यदि हां, तो वेतन समय से न वितरित किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

वेतन 20 सितम्बर, 1983 तक वितरित नहीं हुआ परन्तु 21 सितम्बर, 1983 से किसी विद्यालय में पठन-पाठन बन्द होने सम्बन्धी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा समय से मांग-पत्र न भेजे जाने और शासन द्वारा शिक्षा विभाग में विनियोजन नियंत्रण की साख पत्र सीमा की नई योजना लागू करने के कारण वेतन वितरित करने में कुछ विलम्ब हुआ ।

कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, इस सदन ने यह कानून बनाया था कि अगले महीने की बीस तारीख तक, पिछले महीने का वेतन हर अध्यापक को, इस प्रदेश में दे दिया जाय । मान्यवर, जुलाई 1982 से आज की तारीख तक किसी महीने में समय से इस प्रदेश में अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस सदन का बनाया हुआ कानून है कि 20 तारीख तक अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो जो सबंधित लोग उत्तरदायी होंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । तो क्या कारण है कि यह बात स्वीकार करने के बाद भी 30 तारीख तक वेतन नहीं बंटा ? अब यह जो किसी के खिलाफ कार्यवाही की बात शासन नहीं समझता है, तो मेरा यह भी सवाल है कि इस सदन के बनाये हुए कानून को शासन को तोड़ने का क्या अधिकार है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य जहां-जहां वेतन वितरण समय से नहीं हुआ है, उसकी एक सूची दे दें, नियमानुसार कार्यवाही करायेंगे ।

श्री पंचानन राय--

इन्होंने इसी प्रश्न के उत्तर में बताया कि 20 तारीख तक तनख्वाह नहीं बंटी थी । मन्त्री जी तो विद्वान आदमी हैं । जब कानून बना हुआ है कि 20 तारीख तक तनख्वाह नहीं बंटेगी तो उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । सदन के बनाये हुए इस अधिनियम के बावजूद सरकार के पास क्या कारण है कि वह कार्यवाही नहीं करना चाहती है ?

श्री राम सिंह--

जहां तक आजमगढ़ का प्रश्न है वहां ऐसा था कि पहले 6 महीने की

प्रान्ट जिलों को दे दी जाती थी। अब नयी प्रणाली लागू हुई है, उसके कारण भेजने में कुछ कठिनाई हुई। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने....

श्री अध्यक्ष--

आप हिन्दी में कहिए नहीं तो आगे से बोलने की आज्ञा नहीं दूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

श्री राम सिंह--

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने इस प्रकार का पत्राचार नहीं भेजा अप्रैल, मई और जून के स्टेटमेन्टस, इसलिए विलम्ब हो रहा है।

श्री पंचानन राय--

मन्त्री जी ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने पैसे का हिसाब नहीं भेजा। हिसाब भेजा नहीं, कानून इस सदन का बनाया हुआ तोड़ा गया है, तो किसी की तो जिम्मेदारी रही होगी चाहे वह जिला विद्यालय निरीक्षक की हो या किसी और की हो, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने में क्या संकोच है ?

श्री राम सिंह--

जांच करा लेंगे इसकी, जांच के बाद कार्यवाही होगी।

(दिनांक 5 मार्च, 1984 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

वेतन आयोग की संस्तुतियों की विसंगतियों के सम्बन्ध में शिक्षक संघ का ज्ञापन

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग की असंगत संस्तुतियों के कारण सी0 टी0 वेतनमान में संशोधन चाहने बाबत राजकीय शिक्षक संघ का ज्ञापन दिनांक 20-7-83 शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

राजकीय शिक्षक संघ का नहीं बल्कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तरा खंड का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जो ज्ञापन मन्त्री जी को मिला है, उसमें प्रमुख मांग क्या-क्या थीं और उनमें से कितनी मांगों पर आज तक विचार हो चुका है और निर्णय हो चुका है तथा कितनी पर शेष है ?

श्री राम सिंह--

जो प्रतिवेदन मिला है, उसमें सी0टी0 वेतनक्रम में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसमें अध्यापकों की पदोन्नति की समस्या, शिक्षकों का शोषण, वार्षिक वेतनवृद्धि में देरी, वैकल्पिक अवकाश के स्थान पर उपार्जित अवकाश का स्वीकार किया जाना आदि है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मैंने यह जानना चाहा था कि ज्ञापन में 3-4 प्रमुख मांगें हैं, उनमें से किसी पर अभी तक निर्णय लिया भी गया है या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मामला है 65 हजार सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों से सम्बन्धित है और वेतन विसंगति, प्रोन्नति इत्यादि की समस्या से 65 हजार अध्यापक प्रभावित हैं। आठ महीने पहले ज्ञापन दे दिया गया था, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। आपने कहा कि अभी भी विचारार्धीन है, क्या कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री राम सिंह--

जो वेतन आयोग द्वारा संस्तुत किया गया था, उसमें कुछ विसंगतियां थी, उनका परीक्षण करा रहे हैं। कुछ और

इन्कवायरी मांगी गयी हैं, उसके आ जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

आपने क्या कहा क्या चीज मांगी गयी है ?

श्री राम सिंह--

माननीय, शिक्षा निदेशक से सूचना मांगी गयी है । जहां तक दूसरी विसंगतियों का सम्बन्ध है, सेवा नियमावली लगभग 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जायगी और इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायगा ।

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

फैजाबाद जिले में स्टेडियम का निर्माण

*3--श्री निर्मल खत्री (अनुपस्थित)--

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में निर्माणाधीन स्टेडियम के संदर्भ में आवश्यक धनराशि का आवंटन किया जा चुका है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण हो सकेगी ?

वस्त्र एवं खेल कूद राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

जी हां, फैजाबाद जनपद में स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक रु0 4,10,000 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । निर्माण कार्य प्रगति पर है । अगस्त, 1983 तक रु0 2.82 लाख की धनराशि निर्माण कार्य पर व्यय हो चुकी है । यह जिला सेक्टर की योजना है । जिला नियोजन समिति की संस्तुति के अनुसार धन की व्यवस्था वार्षिक आधार पर की जाती है । अतः योजना की पूर्णता धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग

*4--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुरोध पर विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों ने माह सितम्बर, 83 में प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह--

जी हां,

सम्प्रति शासन राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय, मैं अपने मूल प्रश्न और उत्तर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा है कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुरोध पर विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों ने माह सितम्बर, 83 में प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही कर रही है ? जिस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि "जी हां, सम्प्रति शासन राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं है ।"

माननीय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में जो शब्द "सम्प्रति" इस्तेमाल किया गया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शासन अलग है और माननीय मंत्री जी अलग हैं, क्योंकि शासन जो कुछ कर रहा है, उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है । इसलिए माननीय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जो स्पष्ट निर्णय हुआ हो, उसको बताने की

कृपा करें और यदि माननीय मंत्री जी का शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो इन्हें यहां पर उत्तर देने का कोई हक नहीं है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो सका ?

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्ट रूप में प्रश्न करें ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी अलग हैं और शासन अलग है, क्योंकि यह बात इन्होंने "सम्प्रति" शब्द लगाकर स्वयं सिद्ध की है । मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया गया हो, यदि शिक्षा मंत्री जी को जानकारी हो, तो बताने की कृपा करें ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जानना क्या चाहते हैं, माननीय सदस्य, मेरा उत्तर तो स्पष्ट है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इन्हें अपने कक्ष में बुलाइये और चाय पिलवाइये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, विगत बजट सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती बख्शी दीदी ने इस आदरणीय सदन में यह आश्वासन दिया था कि जो शिक्षा आयोग गठित हुआ है, जिसके प्रथम चरण में अध्यापकों की नियुक्ति एवं निलम्बन सम्बन्धी मामले एवं शिक्षा का राष्ट्रीयकरण इस प्रथम चरण में होने जा रहा है और दूसरे चरण में शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण कार्य इस सम्बन्ध में कर दिया जायेगा, तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि प्रथम चरण विगत वर्ष में पूरा हो जाने के बाद जो उसका अन्तिम चरण है, उसको लिया जायेगा, तो यह अन्तिम चरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

(हंसी)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

यह अभूतपूर्व माननीया मंत्री हैं ।

(हंसी)

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन में पहले भी स्पष्ट किया गया था कि हमारे संसाधन ऐसे नहीं हैं कि शिक्षा का पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण करें और जहां तक तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री की बात है, वह स्थिति बदलती रहती है समय के अनुसार । राष्ट्रीयकरण समिति बनी थी और उसकी रिपोर्ट आयी और फिर अन्तिम रूप से सरकार ने यह तय किया कि हमारे संसाधन ऐसे नहीं हैं कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर सकें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय विधायकों की संस्तुतियों के साथ जो विचार-विमर्श माध्यमिक शिक्षा संघ ने अन्तिम रूप से किये, उसका स्वरूप क्या था ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि जो ये माध्यमिक शिक्षक संघ की बात कह रहे हैं, वह प्रतिवेदन मेरे पास है नहीं लेकिन जहां तक राष्ट्रीयकरण समिति की बात है जब यह बनी थी तो इसका मैं भी सदस्य था जिसमें दो बातें कही गई हैं । एक निगम की बात कही गयी थी तथा दूसरी बात अध्यापकों की

सेवा नियमावली की थी कि उसे पूर्णरूपेण इस तरह से कर दिया जाय जिस तरह से राजकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां हैं, तो यह दो दृष्टिकोण उसमें थे ।

श्री के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के लखनऊ के छात्रावास से निलम्बन और नाबालिक लड़की के साथ किया गया बलात्कार

*5--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

1983 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या खेलकूद मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी अनुशासनहीनता थी कि वार्डन के डाटने पर लड़कियां बगैर बताये चली गयीं थी ? 15 दिन का निलम्बन आदेश किस तारीख को निकला ? क्या निलम्बन आदेश लड़कियों के अभिभावकों को भेजा गया था ? यदि हां, तो कब तथा उसका स्पष्टीकरण क्या था ? लड़कियां कब वापस आयीं ? कब और कैसे निलम्बन वापस हुआ ? क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 15 दिसम्बर, 1982 को जिस व्यक्ति ने के0 डी0 सिंह स्टेडियम में नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था, उसका नाम क्या था ? बलात्कार की हजरतगंज थाने में रपट किसने दर्ज कराई ? बलात्कारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री संजय सिंह--

छात्रावास की बालिकाओं कु0 विमला, कु0 प्रीति चतुर्वेदी तथा कु0 सुनीता सांगुड़ी को दिनांक 25 नवम्बर, 1982 को उनके मेस मानीटर द्वारा अनुरोध किया गया कि दोपहर को भजन अपनी देखरेख में बनवा लें । इसका उल्लघंन कर उनके द्वारा अनुशासनहीनता दिखाई गई जिस पर वार्डन द्वारा उनसे पूछ-ताछ की गयी और उन्हें डाटा जिस पर यह बालिकायें बिना बताये छात्रावास छोड़ गयी । वार्डन की रिपोर्ट पर 15 दिन का निलम्बन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया गया । निलम्बन आदेश बिनांक 26 नवम्बर, 1982 को निकले और उसी दिन बाहर के अभिभावकों को को रजिस्टर्ड डाक द्वारा और स्थानीय अभिभावक को पत्र वाहक द्वारा भेज दिये गये । सुनीता सांगुड़ी के अभिभावक ने सूचित किया कि बच्चे गल्ती करते हैं और पनिशमेन्ट मिलना भी आवश्यक है मैं इस बात को अधिक महत्व न देकर अपनी लड़की के साथ निलम्बन आदेश को शिरोधार्य करता हूं और आपके आदेश के अनुसार दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 को ही छात्रावास आयेगी । प्रीती चतुर्वेदी के अभिभावक ने अपने बालिका का पक्ष लेते हुये इस बात से इन्कार किया कि प्रीती ने आदेशों का पालन नहीं किया और वह बगैर बताये चली गयी । उन्होंने यह लिखा है कि वे अभी अस्वस्थ हैं और स्वस्थ होने पर प्रीती के साथ शीघ्र ही क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से साक्षात्कार करेंगे । कु0 विमला के अभिभावक ने कोई उत्तर नहीं दिया । कु0 सुनीता सांगुड़ी दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 को कु0 विमला सिंह तथा प्रीती चतुर्वेदी दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 को अपने-अपने अभिभावकों के साथ छात्रावास में वापस आ गईं । निलम्बन केवल 15 दिन के लिये था अतः अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो गया ।

15 दिसम्बर, 1982 को किस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया उसका नाम रमेश पुत्र गंगा लाल, कलकत्ता निवासी था । बलात्कार के सम्बन्ध में रपट हजरतगंज थाने में श्री बाबू लाल पुत्र कल्लू, जमादार, निवासी लखनऊ द्वारा दर्ज की

गयी थी । हजरतगंज थाने की रिपोर्ट के अनुसार जज खफीफा, लखनऊ के न्यायालय के आदेश दिनांक 27 अगस्त, 1983 द्वारा अभियुक्त को 3 साल का कठोर कारावास तथा 2,000 रु० का जुर्माना हुआ है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इस गम्भीर सवाल का उत्तर लम्बा है अतः इसको दो खंडों में मैं पूरक प्रश्न करूंगा । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस मेस मानीटर का शुभ नाम क्या था । आप कहते हैं कि वे लड़कियां बिना बताये हुये चली गईं । जहां तक मेरी जानकारी है कि छात्रावास में वार्डेन की नियुक्ति होती है, तो जिस समय ये लड़कियां चली गयी, तो वार्डेन कहां थी ? और लड़कियां जब छात्रावास छोड़ कर गयीं, तो वे अपने सामान के साथ गयीं या फिर खाली हाथ गयीं ? यदि वे खाली हाथ गयीं तो क्या छात्रावास को खुला छोड़ दिया गया है कि लड़कियां जहां चाहें चली जाया करें ? उसके बाद आपने कहा है निलम्बन के बारे में तो मैं यह जानना चाहता हूं कि निलम्बन की भाषा क्या है । पहले मन्त्री जी निलम्बन की भाषा को पढ़ कर सुनायें, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा ।

श्री संजय सिंह—

उस समय छात्रावास में मेस मानीटर थी कुमारी अरविन्द माथुर । जहां तक प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, मेरा इससे अलग एक निवेदन है कि जो सवाल होंगे उनके उत्तर दिये जायेंगे । यह जो सवाल पूछा गया है, मैं समझता हूं कि पहले भी ऐसे सवाल किये जा चुके हैं, इससे उस छात्रवास की रेपुटेशन खराब होती है । मैं जानता हूं कि माननीय विधायक का मकसद यह नहीं है, परन्तु यह निश्चित है कि कोई ऐसी बात नहीं कि पब्लिक में इसको फैला कर इसकी पब्लिसिटी की जाय । निलम्बन बहुत ही साधारण बात पर हुआ था, वहां पर कुक रहता है, रसोइया रहता है, वह छुट्टी पर था, वार्डेन ने लड़कियों से निवेदन किया कि आप लोग खाना बनवा लें, उन्होंने कहा कि नहीं बनाऊंगी, चूंकि यह हास्टल है, हाकी सिखाई जाती है, तो वहां पर अनुशासन बनाये रखना चाहिये । चूंकि वार्डेन की बात नहीं मानी, इसलिये उसको 15 दिन के लिये निलम्बित किया गया । दो अभिभावकों ने बात मान ली और खेद भी प्रकट किया । तीसरे अभिभावक, श्री चतुर्वेदी लड़की के साथ आये और खेद प्रकट किया और कहा कि मिस-अन्डरस्टेन्डिंग के कारण पूरी बात समझ में नहीं आयी । यहां पर अनुशासन बनाये रखने के लिये ही इनका 15 दिन के लिए निलम्बन किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मिस-अन्डरस्टेन्डिंग की हिन्दी कर दें ।

श्री संजय सिंह—

भ्रमवश हो गया है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह निलम्बन 15 दिन का अनुशासन बनाये रखने के लिये किया गया था, तीनों लड़कियां अपने अभिभावकों के साथ वापस आ गयी हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं माननीय मन्त्री जी की भावनाओं से पूर्ण रूप से सहमत हूं । उस संस्था से मेरा बहुत ही प्यार है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी बदनामी हो । जहां पर लड़कियां रहती हैं वह स्थान गंगा के समान पवित्र बना रहे । मैं जानना चाहता हूं कि वार्डेन के रहते हुये और उनकी देख-रेख के बाद वह लड़कियां चली गयी, वह खाली हाथ गयीं या सामान के साथ गयी, इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया ।

ड़कियों का जिक्र किया गया है और एक लड़की के अभिभावक ने उत्तर दिया और दो लड़कियों के अभिभावकों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका तात्पर्य यह है कि यह उत्तर विभाग के अधिकारियों ने बड़ी चतुराई से बना दिया है। यह प्रेस में न जाये, मैं भी चाहता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय पीठ से कि वह माननीय विधायकों की एक समिति बना दें, वह सम्पूर्ण मामले की जांच करले और अपनी रिपोर्ट आपको दे दें और आपका जो उस पर फैसला होगा वह सभी को स्वीकार होगा।

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, जहां तक इस मामले की छानबीन का प्रश्न है कि वह लड़कियां खाली हाथ गयी या सामान लेकर गयी, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को करा दी जायगी। जहां तक अनुशासन बनाये रखने की बात है, इसके लिये डिपार्टमेंट स्वयं सक्षम है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को जांच के लिए सुपुर्द कर रहा हूं।

शारदा सहायक परिक्षेत्रविकास परियोजना, भूमि संरक्षण विभाग के लिए सलाहकार समिति का कथित गठन

*6--श्री सन्त बख्श रावत--(अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परिक्षेत्र विकास परियोजना (शारदा सहायक कमाण्ड एरिया) भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत कोई सलाहकार समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसमें जनपद के विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों को न रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार तत्काल अन्य विभागों की भांति इस इकाई में भी माननीय सदस्यों को नामांकित कर चालू वित्तीय वर्ष की योजनायें स्वीकृत कराने एवं परामर्श देने का अवसर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज, ग्राम्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

*7--श्रीमती गौरी देवी--

[माननीया सदस्या द्वारा वापस लिया गया।]

सुभद्रा कुमारी इन्टर कालेज, बसनी, जिला वाराणसी को पुरस्कार दिये जाने की मांग

*8--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में हाई स्कूल एवं इन्टर की परीक्षा 80 फीसदी से ऊपर रिजल्ट लाने वाले कालेजों को एक लाख रु0 का पुरस्कार देने की विभागीय योजना है ? क्या यह सही है कि सुभद्रा कुमारी इन्टर कालेज, बसनी, जिला वाराणसी का गत तीन वर्षों का परीक्षाफल 80 फीसदी से ऊपर हाई स्कूल एवं इन्टर का रहा है ? यदि हां, तो क्या इस कालेज को पुरस्कृत किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उक्त कालेज की ओर से इस सम्बन्ध में 82 व सन् 83 का कोई प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां विचाराधीन है।

श्री राम सिंह--

जी नहीं, अपितु मैदानी जनपदों के तीन उत्कृष्ट उ0 मा0 विद्यालयों को श्रेष्ठता के आधार पर 1 लाख रु0 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है।

जी नहीं, हाई स्कूल 1981 एवं इन्टर 1982 का परीक्षाफल 80 प्रतिशत से कम रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

केवल वर्ष 1983–84 में विद्यालय का आवेदन–पत्र उक्त अनुदान हेतु निदेशालय में प्राप्त परीक्षाफल मानक से कम होने के कारण अनुदान की पात्रता हेतु संस्था अनर्ह है ।

श्री ऊदल––

मान्यवर, परीक्षाफल 80 प्रतिशत से कम बताया गया है, क्या मेरी जानकारी को सही मानकर सरकार पुनः इसकी जांच करायेगी कि परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक है और यह गलत और भ्रामक उत्तर दिया गया है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मेरे पास आंकड़े हैं । उक्त विद्यालय का 1981 का हाई स्कूल का परीक्षाफल 75.8 प्रतिशत है और इन्टर का 89 प्रतिशत है । 1982 का हाई स्कूल का परीक्षाफल 84 प्रतिशत तथा इन्टर का 77.4 प्रतिशत है । 1983 का इस विद्यालय का हाई स्कूल का परीक्षाफल 88.4 प्रतिशत तथा इन्टर का 96 प्रतिशत है ।

श्री ऊदल––

मान्यवर, मैं यही पूछ रहा हूं । मंत्री जी ने उत्तर में 'जी नहीं' बताया है । किसी वर्ष का 89 प्रतिशत परीक्षाफल रहा और किसी वर्ष 87 प्रतिशत रहा । इसे कुल मिलाकर क्या सरकार पुनः जांच करायेगी कि जब इस विद्यालय का 3 वर्षों में 80 प्रतिशत के ऊपर परीक्षाफल रहा और इसका तथ्य जब सामने आ जायेगा, तब इसको अनुदान यह सरकार देगी ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, परीक्षाफल ही केवल एक मात्र बिन्दु अनुदान देने के लिए नहीं है और भी बिन्दु हैं, जिन पर विचार किया जाता है और तब अनुदान दिया जाता है । केवल परीक्षाफल ही आधार नहीं है ।

श्री ऊदल––

श्रीमन्, यह अनुदान की बात नहीं है । यह तो पुरस्कार की बात है । क्या सरकार इसकी पुनः जांच करायेगी ? अगर हमारी बात सही होगी, तो क्या सरकार इस विद्यालय को पुरस्कार देगी ?

श्री राम सिंह––

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि अनुदान देने में कोई परीक्षाफल ही केवल मात्र आधार नहीं होता और भी कुल अर्हतायें होती हैं ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल––

मैं पुरस्कार की बात कर रहा हूं और मंत्री जी अनुदान की बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––

माननीय मंत्री जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि शर्तें पूरी होंगी, तो विचार किया जायेगा । ऐसा उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री राम सिंह––

मान्यवर, शर्तें पूरी होंगी, तो विचार किया जायेगा ।

*9––श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के श्रमिकों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायती–पत्र

*10––श्री मित्रसेन––

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र नरेन्द्र देव कृषि

एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में श्रमिकों के उत्पीड़न से सम्बन्धित दिनांक 8-6-83 का प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति अ० शा० पत्र संख्या 104 वी/12-8-400 (30)/82, कृषि अनुभाग-8, दिनांक 29 जून, 1983 है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उनकी जांच किससे कराई गई और अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है ।

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)--

जी हां, इस शिकायती-पत्र का मुख्य बिन्दु नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में श्रमिकों के उत्पीड़न तथा निष्कासन का था । इस शिकायती-पत्र की जांच कृषि सचिव द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं वहां के अधिकारी जिसको जब चाहें कुत्ते-बिल्ली की तरह निकाल कर बाहर कर देते हैं, तो उन मजदूरों के बारे में उन्हें निकलने और रखने के लिए कोई नियमावली है ? यदि हां, तो वह कब से लागू हुई ?

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, इन फर्मों के ऊपर जो श्रमिक काम करते हैं, जब तक काम रहता है तब तक वे रहते हैं और उसके बाद वे हटा दिये जाते हैं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इस फर्म में जो काम करते हैं, उनमें से बहुत से मजदूर ऐसे भी हैं, जिनकी जमीन अध्याप्ति कर ली गई है । वे भूमिहीन हो गये हैं । तीन गांवों के मजदूर निकाल कर बाहर कर दिये गये हैं । उनको नियुक्ति के सम्बन्ध में और उनको काम पर लेने के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस गांव के कितने-कितने मजदूर किस-किस श्रेणी के हैं और ऐसे कितने मजदूर हैं जिनकी जमीन अध्याप्त कर ली गई है और वे निकाल दिये गये हैं ?

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, कुछ ऐसे हैं, जिनकी जमीन विश्वविद्यालय के लिए ली गयी है । उनको नौकरी में रख लिया गया है और बाकी जो हैं जब काम नहीं रहता है, तो उनको हटा दिया जाता है और जब काम होता है तो पुनः रख लिया जाता है । माननीय सदस्य ने जो सूची दी है, उनमें 26 श्रमिक दिखाये गये हैं और हृदय राम के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिनकी जमीन इस विश्वविद्यालय के लिए ली गयी है, उनको नौकरी में रख लिया गया है । बाकी लोगों को काम न होने की वजह से हटा लिया गया है ।

श्री मित्रसेन--

क्या आपके पास कोई ऐसी सूची वहां के जिलाधिकारी ने दी है, जिनकी भूमि कृषि विश्वविद्यालय के लिए अध्याप्त कर ली गई है ? दूसरी बात उन्होंने कही कि आफ सीजन पर लोगों को हटा दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पिछले सीजन में काम करते हैं, वही अगले सीजन में काम के लिये आते हैं या जो फार्म में आ जाते हैं, उनको काम दिया जाता है, बाकी नये लोगों को रख लिया जाता है ?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

वैसे तो सम्मानित सदस्य ने जो शिकायतें की हैं, उनकी जांच उनकी मांग के अनुसार सचिव कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच कृषि सचिव कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट जब आ जायेगी, तो उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा । परन्तु जो प्रश्न वह कर

रहे हैं, उनमें से कुछ कर्मचारी, जो दैनिक कर्मचारी हैं, जब आवश्यकता होती है तो उनको रख लिया जाता है और जब काम नहीं हुआ तो नहीं रखा जाता है। तो कुछ तो ऐसे कर्मचारी हैं और कुछ स्थायी कर्मचारी हैं। उसके रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, यह केवल फैजाबाद का प्रश्न नहीं है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर यह समस्या उत्पन्न हो गयी है। दो प्रकार के मजदूर होते हैं एक तो स्किल्ड लेबर और दूसरा अन-स्किल्ड लेबर। जैसे एक ट्यूबवेल आपरेटर होता है या ट्रैक्टर ड्राइवर होता है दूसरा धान की कटाई, रोपाई, निराई आदि का काम करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो स्किल्ड लेबर हैं जैसे ट्रैक्टर चालक या ट्यूबवेल आपरेटर हैं, जो अस्थायी हैं, उनको स्थायी करने पर विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

पदों से स्थायी अस्थायी नहीं होता है।

हरदोई जिले के संडीला स्थित राजकीय बालिका इन्टर कालेज के भवन हेतु प्रार्थना-पत्र

*11—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, संडीला, जिला हरदोई के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-10-83 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-10-83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें राजकीय बालिका इन्टर कालेज की इमारत का प्रबन्ध करने के लिये अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो शासन ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है ?

श्री राम सिंह—

जी हां।

नय विद्यालय भवन के निर्माणार्थ भूमि उपलब्ध नहीं है तथा धनाभाव के कारण परिषदीय जूनियर हाई स्कूल का भवन भी क्रय करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संडीला में बालिका इंटर कालेज 40 वर्षों से चल रहा है और तब से उसका भवन नहीं बन पाया है और किराये के भवन में चल रहा है, जो मालिक ने खाली करा लिया है। शासन ने जूनियर हाई स्कूल की इमारत पर जबरन कब्जा कर लिया है और वहां पर दो शिफ्ट में बालक और बालिकाओं के क्लासेज चल रहे हैं, दोनों को कठिनाई होती है। अब जिला परिषद् अपनी इमारत देने के लिए मात्र सवा चार लाख की मांग कर रहा है, तो अगर उ की कीमत नहीं दे सकते हैं तो उनकी बिल्डिंग छोड़ दें या फिर सवा चार लाख में अपनी बिल्डिंग बना लें।

श्री राम सिंह—

श्रीमन्, यह सही है। यह आरम्भ में 26 में जूनियर हाई स्कूल के रूप में चलता था, जो किराये की इमारत में चलता था। उस भवन की हालत बड़ी खराब हो गयी, इसलिए छोड़ दिया और वहां से जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल में आया और दो शिफ्ट में चल रहा है। जहां तक भवन की बात है न संडीला में भूमि उपलब्ध हो रही है और न धन ही फिलहाल हमारे पास है कि हम इस प्रकार के भवन का निर्माण कर सकें। पहले तो भूमि की समस्या है, भूमि का पैसा देना पड़ेगा उसे ले भी लिया तो भवन बनाने की बात है, तो चार लख की बात नहीं है और भी पैसा लगेगा।

श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि अगर उस भवन को लेने की क्षमता

नहीं है, तो जिला परिषद् ने आज्ञा मांगी है कि संडीला से आधा किलोमीटर दूर बेगमगंज में जूनियर हाई स्कूल स्थानान्तरित कर दें और जिलाधिकारी ने भी सिफारिश की है, तो वहां पर इमारत बनाने के लिये आर्थिक सहायता देंगे ?

श्री राम सिंह--

माननीय, इस पर विचार किया जायेगा ।

बहराइच जिले में सम्पन्न स्काउटिंग एवं जनपदीय युवक समारोह के खाते का आडिट

*15--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के संदर्भ में बताने का कृपा करेंगे कि स्काउटिंग एवं जनपदीय युवक समारोह खाते का आडिट क्यों नहीं कराया गया ? रेड क्रास खाते में गबन की गयी 82,878 रुपये 28 पैसे की जांच किस अधिकारी ने की जिसने जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके लिए उत्तरदायी नहीं समझा ।

श्री राम सिंह--

स्काउटिंग एवं जनपदीय युवक समारोह के खातों का आडिट करा लिया गया है । रेडक्रास खाते की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी द्वारा की गयी थी ।

श्री पंचानन राय--

माननीय, प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें पूछा गया था कि रेडक्रास खाते से 82 हजार रुपये से ज्यादा गबन में कौन जिम्मेदार है ? इसका जवाब आया कि बाबू खा गया । मैं कहता हूं कि इंस्पेक्टर क्यों जिम्मेदार नहीं है ? सवाल किया गया कि किसने जांच किया, तो उसका जवाब आया कि जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी ने किया ।

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि लगभग एक लाख रुपया रेडक्रास में गबन है जिसमें 3-4 बार यहां सवाल हुए लेकिन फिर भी वह अधिकारी पदोन्नत कर दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक से उच्च किसी अधिकारी से क्या इसकी जांच करायी जायेगी और इसके लिए जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यह प्रश्न के दूसरे हिस्से में जानना चाहता हूं । प्रश्न के पहले हिस्से में जानना चाहता हूं कि स्काउटिंग एवं जनपदीय युवक समारोह के खातों का आडिट किसने किया और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री राम सिंह--

माननीय, यह मामला अक्टूबर, 1981 में जब जिला विद्यालय निरीक्षक की जानकारी में आया तो वहां जो लेखाधिकारी रहते हैं उनसे उसकी चेकिंग करायी गयी । जहां तक स्काउटिंग के खातों का सम्बन्ध है तो उप शिक्षा निदेशक के यहां एक इस प्रकार की आडिट सेल है जिसके द्वारा उसका आडिट हुआ ।

श्री पंचानन राय--

अक्टूबर, 1981 में जिला विद्यालय निरीक्षक की जानकारी में यह मामला आया है या सदन में सवाल आया है । माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सम्बन्ध में सदन में कब सवाल किया और सरकार को कब भेजा गया था ? माननीय, एक लाख रुपया जिला विद्यालय निरीक्षक खा गये जिसकी जांच सहायक लेखाधिकारी ने किया और आरोप बाबू पर लगाया गया, लेकिन जिसके हस्ताक्षर से पैसा निकाला गया, उसको दोषी नहीं माना गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक से उच्च किसी अधिकारी से पूरे गबन का जांच कराई जायेगी ?

प्रश्न के पहले हिस्से के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि स्काउटिंग खातों का आडिट किसने किया और उसके क्या परिणाम सामने आये हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, वैसे तो एफ0 आई0 आर0 पुलिस में लाज करा दी गई है और वह केस कोर्ट में 24-1-84 को पुलिस द्वारा भेज दिया गया है । जहां तक इसमें विभागीय कार्यवाही का सम्बन्ध है, तो जांच अधिकारी डी0 डी0 आर0, उप शिक्षा निदेशक ने नोटिस 31-7-83 को दिया है । इसलिए इसमें कार्यवाही हो रही है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि प्रश्न का जवाब दूसरा दे रहे हैं । प्रश्न के पहले हिस्से में, मैं जानना चाहता हूं कि स्काउटिंग एवं जनपदीय युवक समारोह के खातों का आडिट किसने किया और उसकी आडिट रिपोर्ट क्या है और कोई गबन पाया गया है कि नहीं ? प्रश्न के दूसरे हिस्से में लगभग एक लाख रुपया रेड क्रास का जिला विद्यालय निरीक्षक ने खा लिया और बाबू नहीं खा सकता, तो जब जिला विद्यालय निरीक्षक पर आरोप है, तो सरकार को क्यों हिचकिचाहट है कि इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, आडिट रिपोर्ट में जैसा बताया कि यह गबन का मामला है और उस क्लर्क पर सिद्ध होता है, उसका नाम रामराज है, उसको नोटिस दी गई है, उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज कराई गई है । इसको अब जांच उप-शिक्षा निदेशक से करा दी जायेगी, यदि चाहते हैं तो ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेज दिया जाय ताकि सारी बातें सामने आ जायं ।

कानपुर जिले में दलहनों तथा तिलहनों के उत्पादन हेतु बीजों तथा उर्वरकों का वितरण

*13--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83 में केन्द्र सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई, फल और जलाऊ लकड़ी की पौध लगाने तिलहनों एवं दलहनों के उत्पादन के लिए बीजों और उर्वरकों की सप्लाई के लिए कानपुर में प्रति ब्लाक कितना रुपया किन शर्तों पर सहायता के लिये दिया था और उसका वितरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सजीवन सिंह--

भारत सरकार द्वारा लघु तथा सीमांत कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता दिए जाने की योजना वर्ष 1982-83 में नहीं वरन् 1983-84 में स्वीकृत की गई । इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जनपदों को कोई धनराशि सीधे नहीं दी गई । राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश शामिल करते हुए कानपुर जनपद में दलहनों तथा तिलहनों के उत्पादन हेतु बीजों तथा उर्वरकों के मिनीकिट्स वितरण हेतु और फल तथा ईंधन के वृक्षों के रोपण के लिए पौधशाला स्थापना हेतु प्रति विकास खंड क्रमशः 1.25 लाख रु0 तथा 0.50 लाख रु0 की दर से कुल 20 विकास खंडों हेतु 35.00 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की है । स्वीकृत धनराशि के समक्ष अब तक कुल 17.84 लाख रु0 मूल्य के मिनीकिट्स वितरित किए जा चुके हैं । पौधशाला स्थापना हेतु वन विभाग द्वारा क्षेत्र का चयन और परियोजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है । लघु सिंचाई हेतु धनराशि का प्राविधान द्वितीय अनुपूरक मांगों के माध्यम से किया गया है और स्वीकृति जारी की जा रही है ।

श्री भूधर नारायण मिश्र—

मान्यवर, यह जवाब आया है कि यह सन् 1982–83 की योजना नहीं, 1983–84 की योजना है और भारत सरकार से जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपना उतना ही हिस्सा मिलाना है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सहायता सबसे पहले कब उपलब्ध कराई गई थी ? क्या उसमें प्रदेश सरकार ने अपना अंशदान देकर सीमान्त और लघु किसानों को लाभ पहुंचाया ? क्योंकि 70 फीसदी लघु और सीमान्त किसान हैं और केन्द्र सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उदासीनता बरती है जबकि दूसरे प्रदेशों की सरकारें उससे फायदा उठा रही हैं ?

श्री राम सजीवन सिंह—

माननीय सदस्य ने कानपुर जनपद के ब्लाकों के सम्बन्ध में पूछा है, यह धन-राशि 35 लाख रुपया उपलब्ध कराई जा चुकी है सभी ब्लाकों को ।

श्री भूधर नारायण मिश्र—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को किस तारीख को केन्द्र सरकार ने उपलब्ध कराई, वह तारीख बता दें ? और वह सहायता फिर कृषकों तक क्यों नहीं पहुंची है ?

श्री राम सजीवन सिंह—

मान्यवर, हमने अभी 28 फरवरी, 1984 को 20.20 लाख रुपया उपलब्ध कराया है, इसमें केन्द्र का भी शामिल है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, प्रश्न में यह पूछा गया था कि यह जो सहायता दी जाती है, किसानों को इसमें क्या शर्त लगाई जाती है ? उसका उत्तर मंत्री जी ने लिखित रूप में दिया और न अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा अभी तक दिया है, तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस सहायता को देने में क्या शर्त लगाई जाती है और दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो धनराशि दी जाती है, अगर उसकी सूचना माननीय विधायकों को भी दे दी जाया करे ताकि वह जानकारी कर सकें कि उस धन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या मंत्री जी इस प्रकार की सहायता की जानकारी माननीय विधायकों को भी देने का प्राविधान करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह—

यह जो धनराशि दी जाती है, जिसमें 50 फीसदी भारत सरकार का और 50 फीसदी अपनी सरकार का है, यह किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाता है, सहायता करने के लिए दिया जाता है ।

जौनपुर जिले के बी0 आर0 पी0 इंटर कालेज के प्रधानाचार्य

*14—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 पी0 इंटर कालेज, जौनपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कौन कार्यरत है ? क्या यह सत्य है कि इस नियुक्ति में वरिष्ठता की पूर्णतया अवहेलना की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव कार्य कर रहे हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव से दो वरिष्ठ प्रवक्ताओं श्री गोपाल जी श्रीवास्तव तथा श्री टी0 एन0 सक्सेना को अवसर दिया गया परन्तु उनके कार्य से प्रबन्धतंत्र सन्तुष्ट नहीं रहा ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सीतापुर जिले के बिसवां स्थित उत्पादन मन्डी समिति के कर्मचारी श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव व श्री शिव प्रसाद द्वारा अवैध धनराशि की वसूली

*15–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन मंडी समिति, बिसवां, जिला सीतापुर के कुछ कर्मचारियों को दिनांक 6–9–83 को गेट पास बनाने में अनुचित धन की वसूली करने के कारण जनता द्वारा एस0 डी0 एम0, बिसवां जो कि उक्त मंडी के प्रशासक भी हैं, के सामने पेश किया गया ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह––

जी हां ।

दिनांक 6–9–83 को मन्डी समिति बिसवां के कर्मचारी श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, लिपिक व श्री शिवपाल सिंह दैनिक मजदूर को गट पास जारी करने में अवैध धन की वसूली के सम्बन्ध में जहांगीराबाद के व्यापारियों द्वारा पकड़ कर तत्कालीन, परगनाधिकारी बिसवां/सभापति मन्डी समिति के समक्ष पेश किया गया था ।

शिकायतकर्ता गण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र एवं पेश किए गए कर्मचारियों के बयान के आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी एवं सभापति मन्डी समिति ने दिनांक 7–9–83 को स्थानीय थाना बिसवां में इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, लिपिक, श्री किशोर अवस्थी, लिपिक, श्री शिवपाल सिंह, दैनिक मजदूर एवं श्री नवरत्न सिंह चौहान, सचिव के विरुद्ध धारा 161 आई0 पी0 सी0 –5 (2) भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराई । श्री शिवपाल सिंह दैनिक मजदूर की सेवाएं समाप्त कर दी गई और सचिव का स्थानान्तरण दूसरे जनपद में कर दिया गया है । इस मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी मुरादाबाद द्वारा की जा रही है ।

खन्ड विकास अधिकारी, कासगंज, जिला एटा के विरुद्ध शिकायती पत्र

*16–श्री किरन पाल सिंह––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी, कासगंज, जनपद एटा के भ्रष्ट आचरण व अनियमितताओं के विरुद्ध विकास खन्ड के प्रधानों का शिकायती पत्र दिनांक 24–11–82 तत्कालीन जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त विषय में क्या कार्यवाही हुई ? क्या तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी को दोषी पाये जाने के बाद भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां ।

शिकायतों की जांच जिला विकास अधिकारी, एटा के द्वारा की गई । जांच में खन्ड विकास अधिकारी दोषी नहीं पाये गये । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधानाचार्या, श्रीमती सुधा चौधरी आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*17–श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की प्राचार्या श्रीमती सुधा चौधरी के विरुद्ध इस समय किन–किन गम्भीर अनियमितताओं भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच प्रबन्ध समिति द्वारा की जा रही है ?

क्या सरकार शासन स्तर से इसकी जांच कराएगी ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी --

बिजली फिटिंग, भवन निर्माण सामग्री स्टेशनरी तथा फर्नीचर क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं की जांच प्रबन्ध समिति द्वारा की जा चुकी है ।

उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा जांच कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जीवन परिचय को पाठ्य क्रम में सम्मिलित किए जाने की मांग

*18-श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री को कोई पत्र शिक्षा विभाग, केन्द्रीय सरकार से सन् 1983 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जीवन परिचय (इतिहास) के अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसमें शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जीवन इतिहास को सम्मिलित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

बच्चों के पाठ्य-पुस्तकों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जीवन-इतिहास को सम्मिलित करने की कोई विशेष उपयोगिता प्रतीत न होने के कारण असमर्थता प्रकट की गई थी । इस प्रकरण पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

कृषि विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*19--श्री मोहन सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1983 तक तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले सभी अस्थायी राज्य कर्मचारियों को तत्काल स्थायी घोषित कर दिया जायेगा संबंधी राजाज्ञा के तहत कृषि निदेशक ने अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के 13 वर्षों से भी अधिक सेवारत अस्थायी कर्मचारियों को, जो आयोग से स्थायी पद हेतु अनुमोदित दिनांक 20-1-70 की सूची, जिसे कृषि निदेशक ने दिनांक 26-2-70 को लागू किया था, के कुछ कर्मचारियों को अभी तक स्थायी करने के आदेश जारी नहीं किए हैं ? सरकार कृषि विभाग द्वारा उन शेष कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश कब तक जारी करायेगी ? क्या यह सही है कि उसी सूची के वरिष्ठ कर्मचारी रहते हुए कनिष्ठ को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

लोक सेवा आयोग से अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के स्थायी पदों हेतु नहीं बल्कि अस्थायी पदों के लिए आयोग के पत्र दिनांक 20-1-70 द्वारा 13 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी जिनकी नियुक्ति के आदेश दिनांक 26-2-70 को प्रसारित किये गये थे । इनमें से 10 सदस्यों को स्थायी कर दिया गया है और शेष 3 को अभी स्थायी नहीं किया गया है । इनका मामला अभी विचाराधीन है । यह सही है कि सूची के वरिष्ठ कर्मचारी के रहते हुए कनिष्ठ को स्थायी किया गया है जिसका कारण यह है कि इन तीन कर्मचारियों में से 2 कर्मचारी चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में तथा एक कर्मचारी गन्ना विकास विभाग में कार्यरत है ।

*20--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[6ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

काशी कृषक, लघु माध्यमिक विद्यालय गोहिआंव, बरवा बाजार, वाराणसी को हाई स्कूल की मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

1--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12-9-83 को काशी कृषक, लघु माध्यमिक विद्यालय, गोहिआंव बरवा बाजार, वाराणसी को हाई स्कूल की मान्यता देने हेतु उन्हें पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी --

हां । प्रकरण विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया था । अतएव मामले में अग्रेतर कोई कार्यवाही सम्भव न हो सकी ।

मिर्जापुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों को दिया गया कथित अनुदान

2--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों को वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में कितना धन किन-किन विद्यालयों को आबंटित किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में मिर्जापुर जनपद के किसी भी माध्यमिक विद्यालय को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया।

ई0 रामानुज सिंह, लिपिक, डी0 अ ई0 कार्यालय, गोरखपुर का बकाया वेतन

3--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतएगी कि दिनांक 22-4-83 को अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को निलम्बित, लिपिक, डी0 अ ई0 कार्यालय, गोरखपुर (श्री रामानुज सिंह) ग्रा0 पो0 सेवई बाजार, गोरखपुर के निलम्बन काल में वेतन का भुगतान न होना, निलम्बन काल में स्थानान्तरण, बीमारी अवस्था में अवशेष धन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए और क्या उनकी मृत्यु के बाद सितम्बर, 1983 में श्री सिंह के पुत्र अजय कुमार की नियुक्ति के सम्बन्ध में तथा उनकी बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । किन्तु पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1985 को नहीं वरन् दिनांक 26 अप्रैल, 1983 को भेजा गया था।

अभी जांच हो रही है । श्री रामानुज सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र को नियुक्त तथा बकाया धनराशि के भुगतान हेतु पत्र प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) के द्वारा स्थान उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जा सकेगी। इसके लिए उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं ।

बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

फैजाबाद जिले की ग्राम सभा माउस के ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों के अस्वीकृत किये गये नामांकन-पत्र

4--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष ग्राम प्रधानों के चुनाव के पदों की नामजदगी व छानबीन की प्रक्रिया के दौरान विकास खण्ड अकबरपुर, जनपद फैजाबाद बूढ़नपुर व ग्राम सभा माउस में सम्बन्धित अधि-

कारियों द्वारा किन्हीं प्रत्याशियों के पर्चे गलत ढंग से खारिज करने के सम्बन्ध में जिला चुनाव अधिकारी के आदेश पर परगनाधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद न कोई जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

ग्राम सभा बूढ़नपुर के सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र गलत ढग से अस्वीकृत किए जाने पर उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के आदेश निर्गत किए जा रहे हैं । इसी प्रकार ग्राम सभा माउख के सहायक निर्वाचन अधिकारी किसी बद-नियती के दोषी नहीं पाए गए बल्कि नियमों एवं न्यायायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण गलती के दोषी पाए गए, जिन्हें उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद द्वारा दिनांक 29-11-83 को कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शुष्क भूमि पर खेती की योजना

5--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार बतलायेगी कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क भूमि पर खेती योजना में 1 जून, 1980 से लेकर अब तक बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किये गये तथा कितना-कितना धन व्यय हुआ ? ग्रामवार कितने कृषकों को लाभ मिला ?

श्री यशपाल सिंह--

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुष्क भूमि पर खेती योजना सूत्र के अन्तर्गत कार्यक्रम रबी वर्ष 1982-83 से अपनाया गया । रबी 1982-83 में 6943 हेक्टेयर तथा खरीफ वर्ष 1983-84 (31-10-1983) तक में 5102 हेक्टर क्षेत्र म शुष्क भूमि पर खेती योजना के कार्य-क्रम का कार्यान्वयन हुआ ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नतिशील बीज, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों का वितरण, अल्पकालीन ऋण का प्रबंध वाटर स्टोरेज स्ट्रकचर्स का निर्माण तथा वनीकरण आदि कार्य सम्पन्न किये गये जिनका विवरण संलग्न है ।

1 जून, 1980 से 31-10-1983 तक वास्तव में शुष्क भूमि पर कृषि योजना के अन्तर्गत कोई धन व्यय नहीं हुआ परन्तु इस सत्र के अन्य विभिन्न कार्यक्रमों जैसे दलहन तिलहन कृषि यंत्र, सामुदायिक नर्सरी एवं फसल सुरक्षा के अन्तर्गत विभिन्न धनराशियां व्यय की गईं जिनका विवरण संलग्न है। इस योजना में रबी वर्ष 1982-83 में 27 ग्रामों के 793 कृषकों को तथा वर्ष 1983-84 में (31-10-1283 तक) 23 ग्रामों के 688 कृषकों को लाभ पहुंचाया गया । ग्रामवार लाभान्वित कृषकों की सूचीं संलग्न है ।

फैजाबाद के जूनियर ट्रेनिंग स्कूल को कथित समाप्ति

9--निर्मल खत्री--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद नगर में स्थित "जूनियर ट्रेनिंग स्कूल" जहां ट्रेनिग का कार्य समाप्त हो चुका है, को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट कालेज करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

†छापी नहीं गयी ।

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर के प्रवक्ताओं के वेतन का भुगतान

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर (डिग्री कालेज) में पद सृजन तथा वेतन संदाय के सम्बन्ध में जो शासकीय पत्र संख्या अर्थ/32025--28, दिनांक 6 जनवरी, 1977 शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0 प्र0, (शिक्षा अर्थ) अनुभाग, इलाहाबाद द्वारा लखनऊ मन्डल के उप शिक्षा निदेशक को भेजा गया तथा उसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर तथा मंत्री हिन्दू कन्या महा विद्यालय सीतापुर को भी प्रेषित की गयी थी, उस बारे में अब महाविद्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या पुनरीक्षित वेतन मान संदाय हो गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कालेज द्वारा निर्धारित शुल्काय वेतन संदाय खाते में दिनांक 28-7-1983 को जमा करने पर तीन प्रवक्ताओं के दिनांक 17-2-1976 से 31-2-1976 तक के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की माँग महाविद्यालय द्वारा की गयी ।

शिक्षा निदेशालय द्वारा भुगतान के आदेश दिनांक 25-12-1984 को जारी कर दिये गये हैं ।

दिनांक 25 जनवरी, 1984 को प्रश्न नहीं उठता ।

महारानी लाल कुंवारि महाविद्यालय बलरामपुर, गोण्डा में प्राचार्य की नियुक्ति सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित मामले (महारानी लाल कुंवरि महाविद्यालय, बलरामपुर, गोंडा में अवैध रूप से नियुक्त प्राचार्य के बारे में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट क्या है ? जांच उन्हें कब सौपी गयी ? रिपोर्ट के सन्दर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच रिपोर्ट शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है ?

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को जांच के प्रदेश शासनादेश दिनांक 19-4-1983 द्वारा दिए गए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लगाये गये बायोगैस संयंत्र

9—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जून, 1980 के बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने बायोगैस किन-किन ग्रामों में लगाये गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में 1 जून, 1980 के बाद से निम्न बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं :

क्रमांक	नाम ग्राम	लगाये गये बायोगैस संयंत्र की संख्या
1	2	3
1	साथी	2
2	कैरी	2

1	2	3
3	बिलगांव	2
4	गड़ांव	1
5	पुनाहुर	1
6	विसण्डा	1
7	तिन्दवारा	1
8	डिगवाही	1
9	निचादा	1
10	दुर्गापुर	1
11	पैगम्बरपुर	1
12	महुआ	2
13	बांदा नगर क्षेत्र के अन्दर	3
		20

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि किये जाने की व्यवस्था

10-प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या कृषि मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जून, 1980 से लेकर अब तक दाल और तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषकों का प्रशिक्षण एवं समुचित कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्था की गयी।

फसलवार प्रशिक्षण बुआई के समय से पर्याप्त पहले विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये गये इसके अतिरिक्त दलहन तथा तिलहन योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को अनुमन्य सुविधायें बीज कृषि रक्षा उपचार एवं प्रदर्शनों के आयोजन में उपलब्ध कराया गया।

आजमगढ़ जिले के ग्राम देवरा-नवली को ब्लाक भैसा खरग सरहरा में सम्मिलित किये जाने की मांग

11--श्री राज कुमार राय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम देवारा नवली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ को ग्राम सभा चौउंटी डांड ब्लाक बड़राव से निकलवाकर, ग्राम सभा भैसा खरग सरहरा ब्लाक दोहरीघाट में पूर्ववत जोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-6-83 शासन को मिला था ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की और दोबारा नवली को भैसा खरग सरहरा ब्लाक दोहरीघाट से निकालकर चिउटी डांट ब्लाक बड़रांव जिला आजमगढ़ में जोड़े जाने का औचित्य क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 6-9-83 को सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ था जिस पर निदेशक पंचायत राज से दिनांक 29-9-1983 को सूचना मांगी गयी।

प्राप्त सूचनानुसार देवरानवली एक लाचिरागी राजस्व ग्राम है। उक्त ग्राम को भैसा खरग सरहरा ब्लाक दोहरीघाट से चिउंटी डांड ब्लाक, बड़रांव में सम्मिलित करने की कार्यवाही क्रमशः उक्त गांव की भौगोलिक स्थिति व तत्कालीन ग्राम प्रधान/जिला पंचायत राज अधिकारी/परगनाधिकारी / जिलाधिकारी, आजमगढ़ व सचिव राजस्व परिषद् द्वारा की गयी संस्तुतियों के अन्तर्गत की गयी।

स0 पू0 मा0 बा0 विद्यालय, वलीदपुर मीरा, जिला आजमगढ़ की अध्या-पिकाओं के वेतन का भुगतान

12--श्री राज कुमार राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0 पू0 मा0 बा0 विद्यालय वलीदपुर मीरा, जिला आजमगढ़ के अध्यापिकाओं और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्रीमती आशा विन्दू राय तथा अन्य अध्यापिकाओं के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-9-1983 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है तथा कब तक वेतन भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । उक्त विद्यालय की अध्यापिकाओं के समस्त अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री नौबत सिंह आर्य, इंगलिश टीचर जू0 हाई स्कूल सिरौली, जिला एटा के कार्य भार ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश

13--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी इंसपेक्टर जिल परिषद् एटा ने श्री नौबत सिंह आर्य, इगलिश टीचर जू0 हा0 स्कूल सिरौली, डा0 बिलराम, जिला एटा को अवकाश के बाद 1 मई, 1968 से अब तक स्कूल में कार्यभार ग्रहण की आज्ञा क्यों नहीं दी गई ? क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या जी0 2349/81 दिनांक 23-5-1981 सवेतन बहाली के आदेश की भी अवहेलना की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के ग्राम पालपुर की हरिजन बस्तियों में कूप निर्माण

14--श्री प्रदीप कुमार यादव--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 मे दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-148 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि दो निर्माणाधीन कूपों का अलग-अलग व्यास तथा अधिक पेयजल हेतु गहराई कितनी है और किस स्तर की ईट व किस अनुपात से सीमेंट/बालू का प्रयोग किया गया तथा दोनों कूपों का जगत से नेंवार तक पलस्तर कराकर अविलम्ब कब तक निर्माण करा दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दोनों निर्माणधीन कूपों का अलग-अलग व्यास 4 फीट है । कूप की गहराई कूप के पूर्ण हो जाने के बाद ही बताई जासकेगी । कुप की खुदाई इतनी गहराई तक की जायेगी कि मई-जून माह में कम से कम 8 से 10 फीट पानी उपलब्ध रहे ।

दोनों कूपों के निर्माण में प्रथम श्रेणी की ईट एवं 1:4 के अनुपात में सीमेन्ट बालू का प्रयोग किया गया है ।

दोनों कूपों का जगत से नेवार तक ब्लास्टर कराकर कूप का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष (मार्च 1984) में पूर्ण हो जायेगा ।

फैजाबाद जिले के ग्राम घटौली के पुल टूटने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

15--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 6 हजार की आबादी वाली

ग्राम सभा–घटौली विकास क्षेत्र–अमानीगंज (खंडासा) तहसील–बीकापुर, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर घटौली के पुल तथा राजकीय डामर रोड के मध्य वर्षा ऋतु में भीषण एवं गहरें जलभराव के संबंध में उक्त ग्राम की जनता द्वारा हस्ताक्षरित सितम्बर, 1983 में कोई प्रार्थना–पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्राम सभा घटौली से पुल और राजकीय डामर रोड की ऊंचाई स्तर (लेबिल) से एक कंक्रीट लिंक रोड का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

ग्राम घटौली विकास क्षेत्र अमानीगंज (खण्डासा), तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद की जनता द्वारा हस्ताक्षरित सितम्बर, 1983 का कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मिलिट्री ट्रेनिंग सेन्टर देहरादून के जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतनमान

16--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 58, गोरखा मिलिट्री ट्रेनिंग/सेन्टर जूनियर हाई स्कूल को अप्रैल सन 1970 में जिला विद्यालय निरीक्षक देहरादून ने अपने पत्र सं0 सी0/2377--8/70–7 दिनांक 9 अप्रैल, 1970 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक एक ह। यूनिट के रूप में मानकर चलाने की मान्यता प्रदान की और क्या यह भी सही है कि सन 1975 में सरकार ने इस विद्यालय को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिया तो सिर्फ कक्षा 6 से 8 तक ही यह लागू किया गया और प्राइमरी कक्षाओं पर यह अधिनियम लागू नहीं किया गय ? यदि हां, तो इस विसंगति क क्या कारण है ? और इस अधिनियम को प्राइमरी कक्षाओं पर कब त लागू कर देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । इस मामले में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश को जांच कराने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

बलिया जिले की प्राइमरी पाठशाला हरिपुर के अध्यापक श्री दीना नाथ सिंह को दी गई सजा

17--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्व0 राम एकबाल सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला हरिपुर, ब्लाक–दुबहड़, परगना जिला बलिया को 6 माह की सजा व 200 रु0 का आर्थिक दन्ड मु0 अ0 सं0141/80, धारा--382, आई0 पी0 सी0 थाना बांसडीह रोड, बलिया में अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट तृतीय बलिया द्वारा दिनांक 23–9–83 को की गई है । यदि हां, तो अब तक उक्त सहायक अध्यापक के विरुद्ध निलम्बन आदि की कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं .

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । अध्यापक ने अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट बलिया के निर्णय दिनांक 23–9–83 के विरुद्ध सिविल कोर्ट, बलिया के न्यायालय में अपील दायर किया है । मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण विधिक परामर्शानुसार अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई ।

हरदोई जिले में बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18—श्रीमती कमला देवी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि हरदोई जनपद में सन 1982 में होने वाली बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में अनियमितताओं की शिकायत की गई। इस संबंध में क्या शिक्षा मंत्री चयन समिति के प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई सूची तथा समिति द्वारा बनाई गई सूची की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी नहीं। क्योंकि मामले में विभागीय जांच की जा रही है।

जिला सिलाई अध्यापकों की नियुक्ति का निरस्तीकरण

19--श्रीमती कमला देवी--

जिला सिलाई अध्यापकों की नियुक्ति की जांच अधिकारी ने अवैध करार दिया था तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा इनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था। ये अध्यापक हाई कोर्ट की शरण में गये तथा दो सप्ताह के अल्प समय के अन्दर माननीय हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को वैध पाकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश को निरस्त कर दिया। यदि हां, तो उपर्युक्त मामले में गलत जांच आख्या देने वाले तथा इस संबंध में गलत आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने के कारण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के निदेश पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा सिलाई अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त की गई थी।

जी हां। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को बहाल रखा इस मामले की जांच आख्या प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

बाराबंकी जिले की गदिया-जसमन्डा सेनपुरवा सड़क में पानी निकासी की मांग

20--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न योजना द्वारा जनपद बाराबंकी में गदिया से जसमन्डा तथा सेनपुरवा होते हुए एक सड़क का निर्माण हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क में पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उसे मुख्य सड़क से मिलाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

धन की कमी के कारण वर्ष 1979-80 में उक्त सम्पर्क मार्ग पर पानी निकास का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका था। बाराबंकी से लखनऊ एवं देवाचिनहट दोनों मुख्य मार्गों को गदिया माती सम्पर्क मार्ग से जसमन्डा तक मिला दिया गया है।

लखनऊ जिले के ग्राम लीला खेड़ा में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग

21—श्री यमुना प्रसाद--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 में दिनांक 12-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-89 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम लीलाखेड़ा, जनपद लखनऊ में जूनियर हाई स्कूल स्तर का विद्यालय खोले जाने आदि के सम्बन्ध में माननीय विधायकों

के पत्रों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों का पुनः कोई अनुस्मारक श्री सुनील कुमार मुखोपाध्याय एम0 एल0 सी0 के पत्र सहित दिनांक 3-10-83 को उन्हें तथा जि0 बे0 शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण की प्रगति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

ग्राम लीला खेडा, जनपद लखनऊ में जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालय आदि खोले जाने के सम्बन्ध में श्री मान्धाता सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 19-10-83 का उत्तर बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा उनके पत्र दिनांक 9-11-83 में दिया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त श्री मान्धाता सिंह के पत्र दिनांक 14-11-83 तथा 12-12-83 का भी उत्तर बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा उनके पत्र दिनांक 2/4-1-84 द्वारा दिया जा चुका है ।

जी हां । शासन स्तर पर प्राप्त पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

जवाहर लाल नेहरू स्मारक इन्टर कालेज, कालेज, कांथा, उन्नाव के प्रधानाचार्य का निलम्बन एवं वेतन

22--श्री गया सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक इन्टर कालेज, कांथा, उन्नाव के प्रधानाचार्य का निलम्बन आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव ने जून, 1976 में निरस्त कर दिया था और उक्त आदेश के विरुद्ध प्रबन्ध समिति द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई रिट पर स्थगन आदेश न प्राप्त होने पर भी प्रबन्ध समिति ने प्रधानाचार्य को मार्च, 82 तक कार्यरत नहीं होने दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने संयुक्त खाते से प्रधानाचार्य को बिना कार्य के कुल कितनी धनराशि वेतन आदि के रूप में दी ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी हां ।

लगभग रु0 95,000 ।

प्रधानाचार्य से कार्य न लेने के लिये प्रबन्धाधिकरण उत्तरदायी है । विभाग द्वारा प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

लघु सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के मुख्य अभियन्ता, श्री एम0 एल0 गुप्ता द्वारा स्टोर का निर्माण

23--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लघु सिंचाई विभाग, मिर्जापुर में दिनांक 14, 15, 16 मार्च, 83 को मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई एम0 एल0 गुप्ता ने दो स्टोरों के निर्माण बिना कार्यादेश व अनुबन्ध के घटिया सामानों से निर्मित होने के कारण आपत्ति की थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि 6 अप्रैल, 82 के पूर्व उपरोक्त अनियमित घटिया सामानों से निर्मित स्टोरों का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और क्या इसकी जांच करायी जाएगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां यह सत्य है कि दिनांक 14, 15, 16 मार्च 83 को मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा भन्डारों के निर्माण कार्य पर कार्यादेश व अनुबन्ध न होने एवं स्पेशीफिकेशन के अनुसार कार्य न होने के कारण आपत्ति की

गयी थी । इन भन्डारों के कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

श्री देवकली नाथ संस्कृत विद्यालय बरपार, देवरिया के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

24--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि श्री देवकली नाथ संस्कृत विद्यालय बरपार, देवरिया के प्रबन्धक द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग तथा उक्त संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों का सितम्बर, 81 से अप्रैल, 83 तक के बकाया वेतन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 11 अप्रैल, 83 को शिक्षा सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां,

प्रबन्धक की अनियमितताओं के कारण अनुदान निलंबित कर दिया गया। अध्यापकों के वेतन का भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चैक से किया जा रहा है ।

25--श्री विजय सिंह--

[दिनांक 21-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 61--द्वारा उत्तरित ।]

26-प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[दिनांक 22-2-84 को अतारांकित प्रश्न सं0 15 द्वारा उत्तरित]

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन

27- प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत विकास खन्डवार तथा ग्रामवार कितने लोगों को अब तक सहायता धन-राशि दी गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 143 पर ।)

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत युवकों का प्रशिक्षण

28-प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के जून, 1980 से लेकर 1 अक्तूबर, 1983 तक कितने युवकों को ट्रेनिंग दी गई ? इस पर कितना शासकीय धन व्यय हुआ तथा कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जून, 1980 से लेकर 1 अक्तूबर, 1983 तक 194 युवकों को प्रशिक्षण दिलाया गया तथा रु0 88,981.45 की शासकीय धनराशि व्यय की गई । इनमें से 70 युवकों को रोजगार प्राप्त हो गया है ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, गोरखपुर द्वारा अनियमित खरीद

29-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के छठे सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 51 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले पर

कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो द्वारा की गई ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायत पर यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के लेखाधिकारी (खाद्यान्न) द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई जिसके परिणामस्वरूप निम्न तथ्य प्रकाश में आये :--

(1) गोरखपुर जनपद में गेहूं खरीद कार्य के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरें स्वीकृत की गई ।

(2) क्षेत्रीय प्रबन्धक का उपरोक्त कार्य निविदा की शर्तों एवं शासन के निर्देशों के विरुद्ध था ।

मामले की विस्तृत जांच करने हेतु निगम के उप सामान्य प्रबन्धक को आदेशित किया गया है उप सामान्य प्रबन्धक की जांच आख्या अपेक्षित है ।

गंडक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, गोरखपुर के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध पैम्फलेट

30--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना गोरखपुर के अन्तर्गत कार्यरत उप निदेशक (भूमि संरक्षण) अतिरिक्त कृषि निदेशक व भूमि संरक्षण अधिकारी इकाई गोरखपुर के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग, वाहनों का निजी रूप में प्रयोग, प्रत्येक भूमि संरक्षण अधिकारी से 3 प्रतिशत कमीशन लेने, कार्यालय भवन को निजी निवास बनाकर अलग से किराया लेने आदि से सम्बन्धित माह अगस्त से सितम्बर, 83 तक कोई पैम्फलेट अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति गोरखपुर की ओर से प्रेषित उन्हें मिला है जिसकी प्रतिलिपि सभी मंत्रियों, विधायकों तथा परियोजना प्रशासकों को भेजी गई है ? यदि हां, तो इस गंभीर मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । वर्णित पैम्फलेट में अध्यक्ष भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, गोरखपुर का कोई पता दर्ज न होने तथा पैम्फलेट को छापने वाले प्रेस का पता भी अंकित न होने के कारण सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका । एम0 जी0 ओ0 के पैरा 771 (3) के अन्तर्गत अनाम शिकायत पर कार्यवाही आवश्यक नहीं है एवं सम्बन्धित अधिकारियों ने भी अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खंडन किया है ।

लखनऊ के बेलीकलां कुक्कुट विकास केन्द्र का निर्माण

31--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खन्ड गोसाईगंज के अन्तर्गत बेलीकलां कुक्कुट विकास केन्द्र के निर्माण में वित्तीय वर्ष 82-83 और 83-84 में किन-किन कार्यों पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ? सम्पूर्ण ग्रोथ सेन्टर का निर्माण कार्य कब तक पुर्ण हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम बेलीकलां विकास खन्ड गोसाईगंज जनपद लखनऊ में स्थापित कुक्कुट विकास केन्द्र के निर्माण में वित्तीय वर्ष 82-83 में रु0 87,797.29 पैसे तथा वित्तीय वर्ष 1983-84 में (15 जनवरी 1984 तक) रु0 1054086.19 पैसे व्यय हुआ । मदवार विवरण संलग्न है । निर्माण कार्य मार्च 1984 तक पूर्ण हो जान की आशा है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 148 ....पर ।)

लखनऊ, भूमि संरक्षण इकाई मोहन लाल गंज द्वारा किये गये कार्य एवं व्यय की गई धनराशि

32--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या ग्राम विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खंड गोसाईगंज में शारदा सहायक कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 में नहरों की पक्की एवं कच्ची गूलों के निर्माण तथा ग्रामीण चक रोडों के निर्माण एवं ड्रेनों के निर्माण में अनुमानतः एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक धनराशि व्यय की गयी ? यदि हां, तो सम्पूर्ण कार्य का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा कराया गया ? क्या यह सत्य है कि सम्पूर्ण क्षेत्र की बनी हुई कच्ची एवं पक्की नालियां 50 प्रतिशत से अधिक मानक के अनुसार सामेन्ट एवं बालू का प्रयोग न करने के कारण नष्ट हो गयी हैं ? यदि हां, तो उनके सुधार के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? तथा दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आलोच्य वर्षों में भूमि संरक्षण इकाई, मोहन लाल गंज द्वारा मु0 39, 23, 013.98 रुपये की लागत से प्रक्षेत्र विकास कार्य, चकरोड एवं जल निकास नालियों का निर्माण कराया गया ।

निष्पादित कार्य का सत्यापन अधिदर्शक प्राविधिक सहायक, भूमि संरक्षण अधिकारी तथा उप निदेशक (भू0 सं0) द्वारा किया गया ।

नालियों में निर्धारित मानक की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है । यह यथार्थ नहीं है कि 50 प्रतिशत से अधिक नालियां नष्ट हो गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण इकाई, मोहनलाल-गंज के कर्मचारियों का कार्यकाल

33—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक कमाण्ड परिक्षेत्र गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में 3 वर्ष से कार्यरत कितने और कौन-कौन से ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे समस्त कर्मचारी एवं अधिकारियों को जिनको 3 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया है, स्थानान्तरण करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड गोसाई गंज जनपद लखनऊ, भूमि संरक्षण इकाई, मोहनलाल-गंज के कार्य क्षेत्र में पड़ता है कोई भी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक सेवा अवधि का वहां पर तैनात नहीं है । अधीनस्थ कृषि सेवा सम्वर्ग के 16 कर्मचारी (सूची संलग्न) ऐसे हैं जिन्होंने वहां तीन वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है । निर्धारित व्यवस्था के अनुसार इन कर्मचारियों को एक स्थान पर पांच वर्ष तक रखा जा सकता है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 149 पर ।)

भूमि संरक्षण इकाई, निचलौल, गोरखपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

34—श्री फिरंगी प्रसाद भिंगारद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक समादेश के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई, निचलौल, गोरखपुर से सम्बन्धित किन-किन निरीक्षकों, वरिष्ठ निरीक्षकों एवं कनिष्ठ निरीक्षकों तथा भूमि संरक्षण अधिकारी, निचलौल के विरुद्ध घटिया काम कराने, गोल-माल

करने एवं इन लोगों के स्थानान्तरण व निलम्बन आदि करने के संदर्भ में प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 9-9-1983 जिसकी प्रति स्वीकृति श्री गोपाल पुष्कर, उप सचिव ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या एम0 एल0 ए0 10712(9)-83, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 6 अक्टूबर, 1983 द्वारा किया है, के सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई ? यदि ऐसा नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1983 में इन्सपेक्टर श्री राम चन्द्र पटेल के स्थानान्तरण हेतु लिखा गया था तथा उसके संदर्भ में श्री पटेल का स्थानान्तरण उप निदेशक भू0 सं0 पौढ़ी के अधीन किया गया है तथा इन आदेशों के अनुपालन में भू0 सं0 गण्डक समादेश निचलौल, जनपद गोरखपुर द्वारा श्री पटेल को दिनांक 8-3-1984 को कार्य मुक्त कर दिया गया है ।

2---जहां तक अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रश्न है, श्री विद्यासागर कुशवाहा, अधिवर्शक को भी आरोपित किया गया है तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद मौर्य एवं श्री शिव राज मल्ल, भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है ।

लाला रामकुमार इण्टर कालेज, पटरंगा, बाराबंकी के शिक्षकों के परीक्षा पारिश्रमिक

35---श्री चित्रसेन---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला राम कुमार इण्टर कालेज, पटरंगा, जनपद फैजाबाद के शिक्षकों की वर्ष 1980 का परीक्षा पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

प्रश्नगत विद्यालय जनपद फैजाबाद में न होकर बाराबंकी में है । उसके शिक्षकों को वर्ष 1980 की परीक्षा के पारिश्रमिक का भुगतान अभी नहीं हो पाया है । तत्सम्बन्धी देयक पारित कर पूर्व जांच हेतु महालेखाकार को भेजा गया था और उनके द्वारा कुछ आपत्ति सहित वापस हुआ था, किन्तु इसी आवाजाही में ही वह कहीं खो गया । मा0 शि0 प0 द्वारा देयक की द्वितीय प्रति पारित करने हेतु कोषाधिकारी, बाराबंकी से आदेय प्रमाण-पत्र मांगा गया है, जिसके प्राप्त हो जाने पर देयक पारित कर महालेखाकार से पूर्व जांच करा कर भुगतान हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को यथा शीघ्र भेज दिया जायेगा ।

36---प्रोफसर चन्द्र प्रकाश शर्मा---

[दिनांक 22-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या---35 द्वारा उत्तरित ।]

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

37---श्री विजय सिंह---

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर दुद्धी तहसील में वर्ष 1980 से 1983 तक कितने सम्पर्क मार्ग बनाए गए ? क्या इन सम्पर्क मार्गों की तारकोल पेन्टिंग भी कराए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मिर्जापुर जनपद के दुद्धी तहसील में वर्ष 1980 से 1983 तक 76 सम्पर्क मार्ग जिनकी कुल लम्बाई 237.8 किलोमीटर है बनाये गये । "काम के बदले खाद्यान्नों योजना" के अन्तर्गत सड़कों पर तारकोल पेन्टिंग कराने का प्राविधान नहीं था ।

अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के आधार पर 11 किमी0 दूर सोलिंग तथा मिट्टी की आपूर्ति 4.60 किमी0 पर कुटाई एवं 8.00 किमी0 पर पुलिया का निर्माण कराया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आठ विभाग (सिंचाई, वन, भूमि संरक्षण माल, पंचायत, जिला परिषद् विकास खण्ड तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) की 50 इकाइयां कार्यरत हैं। इस जनपद के लिए आवंटित धनराशि को उक्त इकाइयों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों को पक्का कराने का कार्य भी किया जा रहा है।

38--श्री विजय सिंह--

[दिनांक 22-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 36 द्वारा उत्तरित।]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध कृत कार्यवाही

39--श्री मित्र सेन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न--37 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश इन्टर-मीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा रही है और उसके परिणाम कब तक ज्ञात हो सकेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के इन्स्ट्रक्टरों का वेतनमान

40--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पी0 एस0 डी0 (प्रवेशीय शिक्षा दल) से संबंधित स्टाफ इन्सट्रक्टरों को नवीन वेतनक्रम नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, इन्हें सामान्य संवर्ग में आमेलित किए जाने के पश्चात् ही संवर्गानुसार नवीन वेतन-क्रम दिया जाना सम्भव होगा।

सुल्तानपुर जिले की भवनविहीन प्राइमरी पाठशालाएं

41--श्री यमुना प्रसाद तथा श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अजोर, क्षेत्र धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला भवनहीन हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्कूल के भवन का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

इसके लिये कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि विद्यालय भवनों के निर्माण के संबंध में धन उपलब्ध होने पर आवश्यक निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा ही लिया जाता है।

प्रगति आश्रम प्राइमरी स्कूल, बालागंज, लखनऊ को मान्यता दिये जाने की मांग

42--श्री यमुना प्रसाद--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 में दिनांक 12-9-1983 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को न तो जिला परिषद्, लखनऊ द्वारा और न ही बेसिक शिक्षा परिषद

द्वारा प्राइमरी सेक्शन की मान्यता दी गयी है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त स्कूल के संचालन हेतु शत प्रतिशत अनुदान किस आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है ? उक्त विद्यालय को शासनादेश संख्या 6157/ पन्द्रह-7-4 (4)-75, दिनांक अक्तूबर, 1975 द्वारा हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करते समय समस्त तथ्यों की छानबीन क्यों नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल सेक्शन को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के निर्देश देते समय प्राइमरी सेक्शन को मान्यता प्रदान करने हेतु निदेश क्यों नहीं दिये गये ? उक्त मान्यतायें विपरीत-क्रम से किन-किन विशेष परिस्थितियों में प्रदान की गयीं ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां । किन्तु प्रश्नगत प्राइमरी सेक्शन को अनुदान देने का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से नहीं है अपितु हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से है ।

प्रश्नगत विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता कतिपय विशेष परिस्थितियों के कारण इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9 (4) के अन्तर्गत दिया जाना समीचीन समझा गया था ।

जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल अलग-अलग इकाई मानी जाती है और उनको मान्यतायें भी पृथक-पृथक दी जाती हैं । अतः जूनियर हाई स्कूल को मान्यता प्रदान करने के साथ प्राइमरी सेक्शन को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस विद्यालय के जूनियर हाई स्कूल इकाई को ही स्थायी मान्यता प्रदान की गई है । उपलब्ध सूचनानुसार इस विद्यालय का प्राइमरी यूनिट मान्यता प्राप्त नहीं है ।

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कथित जांच

43--श्रीमती गौरी देवी --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, झांसी के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध सतर्कता एवं विभागीय जांच दिसम्बर, 1982 में प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक की क्या प्रगति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनकी पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता पद पर किस आधार पर की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी नहीं । अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग झांसी के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में न तो कोई सतर्कता जांच प्रारम्भ की गयी और न ही विभागीय जांच प्रारम्भ की गयी ।

झांसी वृत में अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति अभी तक नहीं की गयी है । झांसी वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता का कार्यभार देखने के लिए कार्य हित में श्री आर0 वाई0 कुशवाहा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को नितान्त अस्थायी एवं कम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभारी के रूप में पदस्थ किया गया है ।

जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हरिहरपुर, गोरखपुर की मान्यता

44--श्रीमती गौरी देवी---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हरिहरपुर, गोरखपुर की मान्यता पत्रावली एवं अन्य तथ्यों के अपूर्ण होते हुए भी उसे मान्यता वर्ष, 1976 में प्रदान कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में जिला जनता

पार्टी के उपाध्यक्ष, श्याम जी त्रिपाठी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 2-4-1983 को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 4-4-1983 द्वारा जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री त्रिपाठी को इस संबंध में उत्तर भेज दिया था ।

संस्कृत अध्यापकों का वेतनमान और त्रयमासिक अनुदान

45--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि मुख्य मंत्री के सचिव (श्री योगेन्द्र नारायण) ने दिनांक 9-4-83 को संस्कृत अध्यापकों के वेतनमान और 3 माह के वेतन भुगतान न होने के सम्बन्ध में शिक्षा सचिव को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां,

वेतनमान का उल्लेख नहीं है । संस्कृत अध्यापकों के वेतन हेतु शासन द्वारा त्रयमासिक अनुदान रिलीज (अवमुक्त) किया जाता है । इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण से किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री जगमोहन प्रसाद गुप्त, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध गबन का कथित आरोप

46--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, कृषि, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या 699, दिनांक 9-2-82 द्वारा चौथ परगना श्री जगमोहन प्रसाद गुप्त, सहायक लेखाकार को शासन को क्षति पहुंचाने, लेखा अभिलेखों जालसाजी कर गबन करने में दोषी पाये जाने के लिए श्री गुप्त को तत्काल निलम्बित करने हेतु कृषि निदेशक, लखनऊ को लिखा गया है ? यदि हां, तो श्री गुप्त पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं । उप कृषि निदेशक, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या 699, दिनांक 9-2-1983 द्वारा श्री जगमोहन प्रसाद गुप्त सहायक लेखाकार को शासन को क्षति पहुंचाने तथा अभिलेखों में जालसाजी करने हेतु निलम्बित करने के लिए कृषि निदेशक को नहीं लिखा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेशीय शिक्षा दल के इन्स्ट्रक्टर्स को नया वेतनमान दिये जाने की मांग

47--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय शिक्षा दल योजना के स्टाफ इन्सपेक्टर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध है, का वे0 कमीशन द्वारा नया पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । ऐसे स्टाफ इन्सट्रक्टर्स (न कि स्टाफ इन्सपेक्टर) को शिक्षा विभाग से सामान्य संवर्ग में आमेलित किए जाने के पश्चात संवर्ग के अनुसार नया वेतनमान दिया जाना सम्भव होगा । आमेलन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

देवरिया जिले के कृषि गोदामों को उर्वरक का आवंटन

48--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के कृषि गोदामों पर कितनी मात्रा में कौन-कौन से उर्वरक खरीफ एवं रबी के लिए वर्ष 1981-82 में उपलब्ध कराये गये ? इसमें उपलब्ध कराने की तिथि तथा वितरण का आधार क्या रहा है ?

श्री यशपाल सिंह--

जनपद के अन्तर्गत कृषि गोदामों पर खरीफ एवं रबी 1981-82 में निम्नानुसार उर्वरक की आपूर्ति की गई--

खरीफ 1981-82

1--डी0 ए0 पी0	479-740-000
2--यूरिया	494-126-000
3--एम0 ओ0 पी0	66-107-000

रबी 1981-82

1--डी0 ए0 पी0	959-589-600
2--यूरिया	675-704-099
2--एम0 ओ0 पी0	182-572-500

उर्वरक की आपूर्ति खण्डवार निर्धारित किये गये लक्ष्यों के आधार पर की गई ।

अरबी तथा फारसी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा नियमावली

49--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यापकों की सेवा नियमावली को व्यवस्थित किये जाने हेतु नियम बनाने का कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

नियमावली का आलेख्य तैयार कर लिया गया है । परीक्षण किया जा रहा है और अन्तिम रूप यथा शीघ्र दिया जायगा ।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय

50--श्री मित्रसेन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया दिनांक 17-5-82 को आयोजित बैठक में किये गये निर्णयों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुये यह बतायेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त निर्णयों के क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयां बतायी गयी हैं और शिक्षा विभाग ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक 17-5-82 का निर्णय संलग्न है ।

यह शिक्षण संस्थायें अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा विमुक्त जाति के बच्चों के लिए संचालित विशेष प्रकार की संस्थायें हैं । इनमें बच्चों से फीस नहीं ली जाती है तथा उनके निःशुल्क भोजन, कपड़ा और लेखन सामग्री आदि दिया जाता है । अतः उक्त बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई बताते हुये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने इस विषय पर पुनर्विचार का अभिस्तावि किया है जो सम्प्रति, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में विचाराधीन है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 150 पर) ।

51--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

इटावा जिले के दिवियापुर बेला रोड पर दिनवामऊ के निकट सड़क का निर्माण

52—श्री धनीराम वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में दिवियापुर-बेला रोड के नवें किलोमीटर से (दिनवामऊ पुल के पास से) पूर्वाजन तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत लगभग तीन किलोमीटर सड़क वर्ष 1978-79 में बनवायी गयी थी और उस पर कंकड़ भी डाला गया था ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर मिट्टी और कंकड़ डलवाने का अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला विकास अधिकारी, इटावा से प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित मार्ग के उक्त भाग पर कच्चे कार्य पर निर्माण हेतु 66,175·55 रु0 मूल्य का खाद्यान्न तथा कंकड़ के कार्य पर 32,490·00 रु0 मूल्य का खाद्यान्न व्यय किया गया है ।

कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के ट्रैक्टर द्वारा हुई दुर्घटना

53--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कुलपति श्री गुलाम हुसैन के निजी फार्म ग्राम गंदाय, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की जुताई कार्य हेतु कृषि विश्वविद्यालय का ट्रैक्टर जाते हुए थाना महाराजगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत दुर्घटना-ग्रस्त हुआ है ? जिसकी रिपोर्ट उपरोक्त थाना अन्तर्गत एक व्यक्ति की मृत्यु से सम्बन्धित अगस्त, 1983 में अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त ट्रैक्टर के थाना महाराजगंज के पास जाने का उद्देश्य क्या था ? किसके आदेश से भेजा गया ? दुर्घटना के दोषी लोग कौन लोग हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं ।

कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ प्रक्षेत्र अनुसंधान मसौधा यूनिट नं0 द्वितीय का ट्रैक्टर ग्राम असगवां, थाना गोसाईंगंज किराये पर जुताई के लिए सहायक फार्म अधीक्षक श्री पारस नाथ यादव के घर जा रहा था । ग्राम जरहां चौराहा पर एक्सीडेंट होने के कारण थाना महाराजगंज में अ0 सं0 324/83 धारा 279/337/304 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ । किराये पर जाने का आदेश प्रभारी अधिकारी कृषि फार्म मसौधा ने दिया था ।

दुर्घटना में दोषी ड्राइवर श्री कन्हई के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जहां वह विचाराधीन है ।

फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इण्टर कालेज, गोण्डा एवं राजकीय इण्टर कालेज, गोरखपुर में अनुसूचित जाति के सी0 टी0 वेतन-क्रम के अध्यापक

54--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इन्टर कालेज, गोण्डा एवं राजकीय इण्टर कालेज (बालक एवं बालिकाएं), गोरखपुर में इस समय कुल कितने सी0 टी0 वेतन-क्रम के शिक्षक कार्यरत हैं ? इनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं जिनको शासनादेश के अन्तर्गत एल0 टी0 वेतन-क्रम में पदोन्नति हो जानी चाहिए ? ऐसे लोगों के नाम क्या हैं तथा इनको कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ? क्या इससे सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-9-83 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपके पत्रांक

2724/एल0/83, दिनांक 27-9-83 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुभद्रा कुमारी इण्टर कालेज, बसनी वाराणसी में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति और बिल्डिंग ग्रान्ट दिये जाने एवं साइंस कक्ष बनाने की मांग

55--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों को नियुक्ति हेतु इण्टर कालेजों में मानक निश्चित किया है ? यदि हां, तो कितने छात्रों पर एक अध्यापक रखने की व्यवस्था की गयी है ? क्या सरकार सुभद्रा कुमारी इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी में छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मानक में छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि छात्रों की संख्या के आधार पर अनुभाग खोलने एवं मान्य अनुभागों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठते ।

56--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमारी इन्टर कालेज, बसनी वाराणसी की छात्र संख्या दो हजार के करीब है ? इसको एक लाख रुपया बिल्डिंग ग्रान्ट देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । संसाधनों की कमी के कारण एक लाख रुपयों की बिल्डिंग ग्रान्ट देने का कोई योजना ऐसे विद्यालयों हेतु हम प्रारम्भ नहीं कर सके हैं ।

57--श्री ऊदल--

क्या शिक्षी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमारी इन्टर कालेज, बसनी, वाराणसी में हाई स्कूल में 250 व इन्टर में 250 से ऊपर साइंस के छात्र हैं ? क्या यह सही है कि साइंस कक्ष अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में चार साइंस कक्ष बनवाने हेतु अनुदान देने की आज्ञा प्रदान करेगी *

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी हां ।

ऐसे विद्यालयों को संसाधनों की कमी के कारण सम्प्रति प्रश्नगत अनुदान देने की कोई योजना हम नहीं बना पा रहे हैं ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरदोई के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

58--श्री भोखालाल--

द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच का क्या परिणाम निकला और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, हरदोई के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियंता

के विरुद्ध श्री लल्लू सिंह चौहान, विधायक के शिकायती पत्र पर विस्तृत जांच टेक्निकल आडिट से, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

जांच कार्य अन्तिम चरण में प्रगति पर है । जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

पंचायत राज निदेशालय में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ सहायक

59—श्री मित्रसेन—

क्या पंचायती राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 सितम्बर, 1983 का पत्र पंचायत राज निदेशालय में वरिष्ठ सहायक के पदों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों के आरक्षण कोटा पूरा किए जाने हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, निदेशालय में वरिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ सहायक के पदों में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है । क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशालय लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1978 के नियम 5 (2) के तहत पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं । विचारोपरान्त उक्त नियमावली में संशोधन का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

60—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

प्रतापगढ़ जिले के कृषि विभाग के कर्मचारियों का कार्य-काल

61—श्री मोहन सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कृषि विभाग में कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी (लिपिक) लगभग 12 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं ? इनके स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कृषि विभाग में 15 तृतीय श्रेणी कर्मचारी (लिपिक) 12 वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं । जनपदीय एवं मंडलीय स्तर के विभिन्न कार्यालयों मे कार्यरत लिपिकों का संवर्ग एवं ज्येष्ठता कार्यालय वार है । अतः उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं किया जाता है ।

बुन्देलखंड में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग

62—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बुन्देलखंड में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रदेश में वर्तमान समय में तीन कृषि विश्वविद्यालयों को ही पर्याप्त आंका गया है । चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए भरारी (झांसी) में एक कैम्पस की स्थापना की गई है ।

बांदा जिले के खुरहन्ड में मंडी समिति द्वारा नाली निर्माण का भांग

63--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दिनांक 18 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि खुरहन्ड में मन्डी समिति की ओर से नाली बनवाने का कार्य कब आरम्भ करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

खुरहन्ड में नाली बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री ईश्वर महाराज इंटर कालेज, आगरा का वाणिज्य शास्त्र विषय को प्रदान की गयी मान्यता

64--श्री जसवन्त सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ईश्वर महाराज इंटर कालेज, नगला तेजा (बी०ई०) सैंथा आगरा को दिनांक 10-10-82 को संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राज० शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र विषयों में अतिरिक्त सीट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (मेरठ) द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी जिसमें से शिक्षा शास्त्र काटकर समाज शास्त्र में मान्यता प्रबन्ध समिति (उच्च विद्यालय) के न मांगने पर क्यों दे दी गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, मान्यता पत्र निर्गत करने के पश्चात् शिक्षा शास्त्र के स्थान पर समाजशास्त्र विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना-पत्र विद्यालय के कार्यालय पैड पर प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ था जिस पर विचारोपरान्त यह विषय परिवर्तन किया गया।

65--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को स्नातकोत्तर कक्षाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

66--श्री निर्मल खत्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में विभिन्न विषयों के संदर्भ में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं को चलाने की स्वीकृति व मान्यता विषयक मामला शासन के समक्ष लम्बित है ? यदि हां, तो इन विषयों में मान्यता दिये जाने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस महाविद्यालय से कतिपय विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में अस्थायी सम्बद्धता के हेतु सिलयरेंस प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ है।

कालेज को निर्धारित प्रपत्र भेजकर सूचनाएं मंगायी गयी हैं जिनके प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जायगा।

प्रदेश के सरकारी फार्मों में धान की उत्पादन लागत एवं बीज का प्रमाणीकरण

67--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के फार्मों पर वर्ष 1982-83 में प्रति क्विन्टल धान की औसत उत्पादन लागत क्या थी ? सरकार किसानों को वर्ष 1983 की धान की फसल का उत्पादन लागत से अधिक एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को समर्थन मूल्य की संस्तुति करने के अतिरिक्त क्या प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

सरकारी फार्मों पर धान बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है। वर्ष 1982-83 में प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों पर धान बीज की प्रति कुन्तल औसत उत्पादन लागत 164.25 रु0 थी।

खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य के निर्धारण का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है। प्रदेश सरकार भारत सरकार से उत्पादन लागत से अधिक एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए जोरदार संस्तुति ही करती है इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

68—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत बीज का सामान्य प्रक्रिया के विपरीत संसाधन और तत्पश्चात् उसकी निरीक्षण रिपोर्ट आने से पहले आधार बीज का प्रमाणीकरण कैसे कर लिया गया ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत विधायन संयत्र (प्रोसेसिंग प्लान्ट) पर बीज प्राप्त होने के उपरान्त विधायन से पूर्व प्रत्येक लाट के नमूने लिए जाते हैं और उनका परीक्षण कराया जाता है। जो बीज लाट परीक्षण के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाते हैं उनका विधायन अलग-अलग (आधार बीज एवं प्रमाणित बीज) कराया जाता है। विधायन के समय ही बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज के टैग दिये जाते हैं। जिसको सिलाई संसाधित बीज के थैलों पर विधायन के समय कर दी जाती है। विधायन के समय प्रमाणीकरण संस्था द्वारा एक नमूना अन्तिम रूप से लिया जाता है एवं इस नमूने के परीक्षण परिणाम के आधार पर ही बीज को "आधार बीज" अथवा "प्रमाणित बीज" होने की संज्ञा अंतिम रूप से प्रदान की जाती है।

प्रश्नगत आधार बीज के विषय में उक्त सामान्य प्रक्रिया अपनायी गई लेकिन कुछ लाट्स, जिनका विधायन दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 से दिनांक 2 नवम्बर, 1981 के मध्य आधार बीज के रूप में किया गया था एवं जिनके नमूने विधायन के समय अंतिम रूप से बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लिये गये थे, के परीक्षण परिणाम, जो 26 अक्तूबर, 1981 से 16 नवम्बर, 1981 के मध्य प्राप्त हुआ, आधार बीज के मानकों के अनुरूप न होकर प्रमाणित बीज के मानकों के अनुरूप पाया गया। इस प्रकार वह बीज प्रमाणित बीज उत्पादन के लिये प्रयोग किया गया जो नियमानुकूल था। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम, नैनीताल द्वारा कृषकों से लिया गया गेहूं के बीज का मूल्य और बीज का प्रमाणीकरण

69—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1983 के चौथे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम बार जुलाई, 1982 में यह प्रश्न उठाने के बाद ही अधिक लिया गया मूल्य वापस किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

यह सही है कि अधिक लिया गया मूल्य जुलाई, 1982 के बाद ही कृषकों को वापस दिया गया किन्तु अधिक लिये गये मूल्य की वापसी की प्रक्रिया दिनक

8 फरवरी, 1982 को प्रारम्भ कर दी गई थी। बीज उत्पादकों से सूचना एकत्र करने, लेखों की जांच-पड़ताल करने एवं छपने में कुछ समय लगना स्वाभाविक था। अतएव विषय से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण करने में लगे समय के सापेक्ष भुगतान न्यूनतम समय में किया गया है।

70--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण बीज संस्था द्वारा प्रश्नगत बीज संसाधन के पश्चात् किस तारीख को प्रमाणित बीज घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम को इसकी सूचना कब प्राप्त हुयी ?

श्री यशपाल सिंह--

प्रश्नगत बीज का संसाधन दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 से 2 नवम्बर, 1981 के बीच सम्पन्न किया गया। इन बीजों का परीक्षण दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 से 10 नवम्बर, 1981 के मध्य किया गया तथा इनके परीक्षण परिणाम उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं तराई विकास निगम को दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 से 16 नवम्बर, 1981 तक प्रेषित कर दिये गये।

71--श्री जयदीप सिंह बरार--

[3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर जिले में प्रधानों के रिक्त पद

72--श्री राम चरण सिंह--

क्या पंचायती राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में किन-किन विकास खंडों में प्रधानों के ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ प्रमुख के चुनाव लड़ने से कितने प्रधानों के पद रिक्त रहे ? इन रिक्त प्रधान पदों के चुनाव किस तिथि तक करा लिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद मिर्जापुर के विकास खंड, सिटी, लालगंज, नरायनपुर, जमालपुर, रावर्ट्सगंज, घोरावल, चोपान चतरा तथा नगवां में प्रधानों के ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाने के कारण कुल 13 प्रधानों के पद रिक्त हुये। रिक्त पदों के चुनाव शीघ्र ही करा दिये जायेंगे।

मिर्जापुर जिले में ग्राम प्रधानों को दिया गया चार्ज

73--श्री राम चरण सिंह--

द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन 6 ग्राम प्रधानों को कागजात इत्यादि का चार्ज नहीं दिया जा सका उनके पूरे पते क्या हैं तथा किन कारणों से चार्ज नहीं दिया गया तथा अब चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिन 6 ग्राम प्रधानों को कागजात इत्यादि का चार्ज नहीं दिया जा सका उनके पूरे पते निम्न प्रकार हैं :--

(1) श्री शिव चरण, प्रधान, ग्राम सभा सिरसी गहरवार, वि0 ख0 नगर, पो0 अमोई, जिला मिर्जापुर।

(2) श्री राम चन्द्र सिंह, ग्राम सभा बरैनी, वि0 ख0 मझवा, पो0 मझवां, जिला मिर्जापुर।

(3) श्री विन्ध्यवासनी सिंह, ग्राम सभा महामलपुर, वि0 ख0 मझवां, पो0 महामलपुर, जिला मिर्जापुर।

(4) श्री जय प्रकाश, प्रधान, ग्राम सभा तम्मनपट्टी, वि0 ख0 सोखड़, पो0 मेड़िया, जिला मिर्जापुर ।

(5) श्री शिवगरण, प्रधान, ग्राम सभा शंकरपुरी, वि0 ख0 हलिया, पो0 पंवारी, जिला मिर्जापुर ।

(6) श्री लाल बहादुर, प्रधान, ग्राम सभा गरौड़ी, वि0 ख0 जमालपुर, पो0 अदलहाट, जिला मिर्जापुर ।

उपरोक्त क्रमांक 1, 2, 3 पर अंकित ग्राम प्रधानों को क्रमशः 27 अगस्त, 1983, 29 जुलाई, 1983 तथा 26 जुलाई, 1983 को चार्ज दिलाया जा चुका है ।

शेष 3 नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को क्रमशः अभिलेख जल जाने, भूतपूर्व प्रधान के लापता होने तथा पूर्व प्रधान द्वारा चार्ज न दिये जाने के कारण चार्ज नहीं दिया जा सका जिन्हें शीघ्र चार्ज दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

गुलाब शंकर दीक्षित, जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को बकाया ग्रेच्युटी पेंशन एवं यात्रा भत्ता

74--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 28-2-83 को श्री गुलाब शंकर दीक्षित, जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने अवकाश प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि आज तक उनको पेंशन तथा प्राविजनल ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

75--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवकाश प्राप्त अधिकारियों को वर्ष 1978 तथा 1981 के तीन अवकाश प्रकरण वर्ष 1976 से 1978 की अवधि के स्थानान्तरण यात्रा बिल 911.80 पैसे तथा 732.85 पैसे आज तक अनिर्णीत है तथा पारित बिल 234.25 पैसे तथा 487.55 पैसे भुगतान का शेष है यदि हां, तो उक्त मामलों में निर्णय लेकर सम्बन्धित देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दि इंस्टीटयूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नालाजी ऐण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बम्बई, दिल्ली में लखनऊ एवं देहरादून से कला में उत्तीर्ण छात्रों को भर्ती किए जाने की मांग

76--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या फल उपयोग मंत्री को ज्ञात है कि दि इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टेक्नालोजी ऐण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन की बम्बई, दिल्ली कलकत्ता व मद्रास शाखाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हतायें कला, विज्ञान, वाणिज्य से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण है, जबकि लखनऊ व देहरादून में कला से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश हेतु नहीं चुना जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त संस्थाओं में कला से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश पाने के लिए सक्षम होने हेतु शीघ्र आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां। सम्भवतः प्रश्नगत संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले विषयों को ध्यान में रखते हुए वहां के प्रदेशीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने कला में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिये जाने की अनुमति दी है। लखनऊ एवं देहरादून के संस्थानों के लिए कला में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश पाने के पात्र नहीं हैं ।

जी नहीं ।

क्योंकि लखनऊ व देहरादून में अधिकतर पढ़ाई विज्ञान, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान से सम्बन्धित हैं अतः कला से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता ।

77--श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

[दिनांक 21-2-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या-84 द्वारा उत्तरित ।]

मिर्जापुर जिले की प्राइमरी पाठशालाओं में मानक के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति

78--श्री राम चरण सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खंड, नरायनपुर, जमालपुर, सोखड़ व राजगढ़ के प्राइमरी पाठशालाओं में वर्ष 1982-83 में मानक के अनुसार ही अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

क्योंकि निर्धारित मानक के अनुसार अपेक्षित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं हो सके ।

हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर के लेखों में आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रबन्धक को दी गयी नोटिस

79--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1962 से वर्ष 1982 तक हुए कालेज लेखों की सम्परीक्षा में कितनी आडिट आपत्तियों का निवारण 31-5-83 तक किया गया और कितनी आडिट आपत्तियां शेष हैं ? यदि आडिट आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है तो शिक्षा निदेशक के पत्रांक अ-9623/दो-ग/99/78-79, दिनांक 18-8-78 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

81--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रबन्धक को शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16-डी (2) के अन्तर्गत जो नोटिस मार्च, 1983 में भेजा गया है उसमें उन समस्त अनियमितताओं का उल्लेख किया गया जो विद्यालय में व्याप्त हैं ? यदि नहीं किया, तो क्यों ? तथा क्या उक्त नोटिस में समस्त आर्थिक आडिट आपत्तियों का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए यह सूचित किया गया है कि मैनेजमेन्ट को अपने स्रोतों से अनुपालन निधि में कितना धन जमा करना है ? यदि नहीं किया, तो क्यों ? क्या सरकार को ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नोटिस में जानबूझ कर समस्त अनियमितताओं का उल्लेख नहीं किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं। उस समय आडिट आपत्ति की निवारण आख्या प्रबन्धक से प्राप्त नहीं हुई थी।

जी हां। शिकायतों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को जांच कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु लिखा गया है।

82--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्यालय में व्याप्त अनियमितताये शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16 (डी) (3) की परिधि में आती है ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों द्वारा काश्तकारों से अतिरिक्त मण्डी शुल्क की वसूली

83--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1983 के प्रथम सप्ताह से कृषि उत्पादन मंडी समितियों द्वारा मंडी से बिक्री हेतु माल लाने वाले काश्तकार से भी बिक्री पर एक प्रतिशत शुल्क वसूल किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि अभी तक मात्र खरीददार से लिया जाता था ? इसका क्या औचित्य है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि मंडी स्थलों में क्रेताओं पर लगाये और वसूल किये गये शुल्क का उपयोग मंडी क्षेत्रों के विकास और संयोजन, सड़कों, पुलियों और ग्रामीण गोदामों के लिए नहीं किया जा सकता किन्तु इसका उपयोग उन्हीं व्यक्तियों को सुविधाएं और सुखसाधन देने के लिए किया जाना चाहिए जिनसे यह वसूल किया जाय। चूंकि ग्राम्य विकास के लिए सम्पर्क सड़क, पुलिया और ग्रामीण गोदामों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करना अत्यावश्यक है। अतः उक्त गतिरोध को दूर करने के लिए दिनांक 4-10-83 से मंडी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय के सौदे पर उत्पादकों से एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मंडी शुल्क लगाया गया है ताकि इससे प्राप्त होने वाली आय से मंडी समितियों द्वारा अपने मंडी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के लिए विकास कार्यों पर व्यय किया जा सके।

84--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

अल्मोड़ा जिले के गणानाथ विद्यापीठ इन्टर कालेज के श्री नारायण दत्त लोहानी की ग्रेच्युटी आदि की बकाया धनराशि

85--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि श्री नारायण दत्त लोहानी, गणानाथ विद्यापीठ इन्टर कालेज, गणानाथ, जनपद अल्मोड़ा की मृत्यु 18 दिसम्बर, 1980 को हुई है, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी को ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा तथा नये वेतनमान का एरियर, अवकाश बकाया का नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मृत्यु 18-12-81 को हुई है। सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान हो चुका है। प्राईवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सम्प्रति अवकाश बकाया का नकदीकरण देय नहीं है। शेष के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल शाहजहांपुर की कु0 शशि व श्रीमती सरला देवी का बकाया वेतन

86--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक ने 17 सितम्बर, 1983 या इसके आस-पास कोई आवेदन-पत्र कु0 शशि व श्रीमती सरला देवी की बकाया वेतन मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर द्वारा भुगतान के विषय में आर0 आई0 जी0 एस0 मंडल बरेली को दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? तथा उपरोक्त वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही ।

देहरादून, नेहरू युवक केन्द्र के कोआरडिनेटर, श्री अवधेश कौशल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

87--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद देहरादून में स्थित नेहरू युवक केन्द्र के कोआर्डिनेटर अवधेश कौशल के विरुद्ध चकराता ब्लाक के लाखा मंडल, देहरादून के ग्राम प्रधान नैन सिंह राणा द्वारा कोई शिकायती-पत्र दिनांक 29 जून, 1983 को मुख्य मंत्री को दिया गया है ? क्या मुख्य मंत्री द्वारा गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने हेतु आदेश दिया गया ? क्या यह भी सही है कि गुप्तचर विभाग जांच द्वारा पूर्ण करने के पश्चात् जांच रिपोर्ट दे दी गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली कलां, बस्ती के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

88--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली कलां, बस्ती के प्रबन्धक द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में अगस्त/सितम्बर, 1983 में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, बस्ती एवं विद्यालय के अध्यापकों से शिकायती-पत्र दिनांक 8-8-83 एवं 9-8-83 प्राप्त हुए थे । शिकायती-पत्रों पर जांचोपरान्त माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले के भवनहीन प्राइमरी/जूनियर/माध्यमिक स्कूल

89--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत व अल्मोड़ा जनपद अल्मोड़ा में कितने भवनहीन विद्यालय (प्राइमरी/जूनियर/माध्यमिक) हैं और कितने भवनों को वर्ष 1981-82 में मरम्मत की गई है और उस पर

कितनी धनराशि व्यय हुई है ? कितने भवन ऐसे रह गये हैं जो मरम्मत योग्य हैं क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1983–84 में सभी भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

तहसील रानीखेत एवं अल्मोड़ा में कुल 33 प्राइमरी तथा 8 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं ।

वर्ष 1981–82 में उपर्युक्त दोनों तहसीलों में कुल 208 प्राइमरी एवं 13 जूनियर हाई स्कूलों की मरम्मत की गई जिस पर क्रमशः 12,52,453 रु0 तथा 1,08,950 रु0 व्यय हुआ । 217 प्राइमरी तथा 8 जूनियर हाई स्कूल भवन मरम्मत योग्य है । वर्ष 1983–84 में संसाधनों की कमी के कारण सभी की मरम्मत सम्भव नहीं है ।

सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ के प्रधानाचार्य, श्री कृपा शंकर त्रिपाठी की पुनर्नियुक्ति

90—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ के प्रधानाचार्य, श्री कृपा शंकर त्रिपाठी को उक्त स्कूल में लगभग 6 वर्ष से अधिक कार्य करते हुए हो गया है ? यदि हां, तो श्री त्रिपाठी को कब तक अन्य स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । श्री त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में शासन द्वारा 58 वर्ष की आयु तक निविदा पर पुनर्नियुक्त किया गया है । उन्हें स्थानान्तरित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड मिल्कीपुर, फैजाबाद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में गड़बड़ी की शिकायत

91—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत हुए घपले की शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 30 जून, 1983 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

मिल्कीपुर विकास खंड में गड़बड़ी की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच के दौरान श्री लालता प्रसाद मिश्र, मडार लिपिक को निलम्बित किया जा चुका है । शिकायतों की विस्तृत जांच की जा रही है । जांचोपरान्त दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद का स्थानान्तरण

92—श्री मित्रसेन—

संयुक्त सचिव, के अर्धशासकीय पत्र संख्या–810/12–4–118/83 कृषि (4) अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 1983 के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री बी0 के0 सिंह अधीक्षक, उद्यान फैजाबाद को स्थानान्तरित कर लखनऊ तैनात किया गया है तथा अन्य शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

सीतापुर जिले में एक अध्यापक वाली प्राइमरी पाठशालाएं

93—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में 30 सितम्बर, 1983 को कितनी प्राइमरी पाठशाला ऐसी हैं, जिनमें एक अध्यापक

हैं और उन प्राइमरी पाठशालाओं की अलग-अलग छात्र संख्या क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद सीतापुर में 30 सितम्बर, 1983 को कुल 245 प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं जिनमें एक अध्यापक कार्यरत है । उक्त एक अध्यापकीय प्राइमरी पाठशालाओं के नाम तथा उनकी अलग-अलग छात्र संख्या संलग्न सूची में अंकित है ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों के जूनियर हाई स्कूलों के प्रश्न-पत्रों की छपाई की दर

94—श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष 1983 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ मण्डल में प्रश्न-पत्रों की छपाई में प्रति छात्र अलग-अलग क्या धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि प्रति छात्र लखनऊ मण्डल में 5 रुपये से अधिक तथा वाराणसी मण्डल में 2 रुपये से कम व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के कर्मचारियों एवं अध्यापकों के सम्बन्ध में पत्र

95--श्री पंचानन राय --

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवम् कर्मचारियों की समस्या से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-9-83 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†(छापी नहीं गयी) ।

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी गयी है ।

फैजाबाद जिले के माया बाजार व हरिंगटनगंज विकास खंड के भवनों के निर्माण की मांग

96-- श्री निर्मल खत्री--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के ब्लाक माया बाजार व हरिंगटनगंज में कालोनी बनाने के लिये शासन विचार कर रहा है ? इस संदर्भ में धनराशि का आवंटन का क्या मापदन्ड रखा गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

प्रत्येक विकास खन्ड में कार्यालय भवन तथा आवासीय भवन निर्माण हेतु क्रमशः रुपये 1,20,500 तथा रु0 2,15,500 की सीमा निर्धारित की गई है । कार्यालय भवनों के निर्माण को प्रथम वरीयता दी जाती है इसके उपरान्त आवासीय भवनों के निर्माण धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है । अभी प्रदेश के 25 विकास खंडों में कार्यालय भवनों का निर्माण तथा 309 विकास खंडों में आवासीय भवनों का निर्वाण कराया जाना शेष है । फजाबाद जिले के विकास खंड मायाबाजार व हरिंगटनगंज/कार्यालय भवन निर्मित है, परन्तु अभी आवासीय भवनों का निर्माण नहीं हुआ है । इन विकास खंडों में धन उपलब्ध होने पर आवासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

बांदा जिले के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापक

97-- श्री भैरोंलाल--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद से सन् 1975 तक के

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहमीन रोड, लखनऊ के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के खातों का रख-रखाव

98--श्री भोखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 2450/10-506-77, दिनांक 12-12-1977 के साथ पठित सामान्य 4-1077/10-503/77, दिनांक 8-5-78 के द्वारा जारी किये गये भविष्य निर्वाह निधि के रख-रखाव के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों का अनुपालन राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहमीना रोड, लखनऊ द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि के लेखों के रख-रखाव का कार्य पूरा है ? तृतीय श्रेणी के लेखों का मिलान एवं पास बुकों के प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

जौनपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में प्रसार शिक्षकों की नियुक्ति एवं भूमि का अभाव

99--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के किन-किन विद्यालयों में शिक्षा पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत प्रसार शिक्षक नियुक्त हैं ? क्या उन सभी विद्यालयों के पास वांछित भूमि एवं उपकरण उपलब्ध हैं । क्या सरकार इस जनपद को पिछले पांच वर्ष का विद्यालयवार आय-व्यय तथा लाभ का विवरण भी प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद जौनपुर के माध्यमिक के 60 तथा बेसिक के 30 विद्यालयों में शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार अध्यापक नियुक्त हैं । सूची संलग्न है ।

इस जनपद के केवल दो विद्यालयों श्री गणेश राय इण्टर कालेज, डोमी तथा राम जानकी इण्टर कालेज तरोखनपुर में भूमि का अभाव है । शेष सभी विद्यालयों के पास वांछित भूमि एवं उपकरण उपलब्ध हैं ।

जी हां, उपरोक्त विद्यालयों का पिछले पांच वर्षों का विद्यालयवार आय-व्ययक तथा लाभ का विवरण उक्त संलग्न †सूचियों में अंकित है ।

शाहजहांपुर जिले की ग्राम सभा जेरा रहीमपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

100--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जेरा रहीमपुर, वि0 खं0 जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर के उप प्रधान, श्री गिरधारी लाल तथा ग्राम सभा के अन्य सदस्यों ने दिनांक 30-5-83 तथा सितम्बर, 1983 में उपरोक्त गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन व अनियमितताओं के विषय में कोई आवेदन-पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिए हैं ? यदि हां, तो प्रधान ग्राम सभा के ऊपर मुख्य कर कौन से आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा क्या परिणाम रहे ?

जी बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

†(छापी नहीं गयी ।)

ग्राम प्रधान के ऊपर मुख्य कर आरोप ग्राम समाज की सम्पत्तियों का दुरुपयोग, धन का गबन तथा पत्रादि न दिखाने से सम्बन्धित है । आरोपों की जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा तहसीलदार, जलालाबाद से करायी गयी । सभी आरोप निराधार पाये गये ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

101—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1983 का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ प्रखंड, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त हुआ है, जिसे स्थानान्तरण आदेश के साथ अपने पत्र सं0 4327, दिनांक 20-6-83 द्वारा मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ?

उक्त पत्र मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को भेजा गया था किन्तु उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

जूनियर हाई स्कूल, जौयनपुर, आजमगढ़, के चपरासी, श्री कबलूराम का बकाया वेतन

102—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कबलू राम, चपरासी, जूनियर हाई स्कूल, जौयनपुर, आजमगढ़ के अवशेष वेतन भुगतान से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में बरती गयी अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र

103—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, 1983 में गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित जिला मंत्री, उ0 प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, ललितपुर का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-7-83 के साथ उप शिक्षा निदेशक, झांसी मंडल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? तथा उनके संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्न प्रकार थीं :—

1—पांच परीक्षा केन्द्रों की सामूहिक नकल सम्बन्धी रिपोर्ट की उपेक्षा कर परीक्षाफल घोषित कर देना ।

2—परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा समिति के परिवेक्षकों ने छात्रों से नकल कराने हेतु केन्द्र व्यवस्थापकों से चन्दा वसूल कराकर नकल करायी गयी ।

3—परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अपनी शिकायत होने पर जानबूझ कर सामूहिक रूप से उ0 मा0 विद्यालयों के छात्रों को योजनाबद्ध तरीके से भेदभाव किया गया ।

4—उड़न दस्ते द्वारा सामूहिक नकल पकड़ने के पश्चात् भी रिश्वत लेकर छोड़ देना ।

5--उ0 मा0 विद्यालय का परीक्षाफल जानबूझ कर खराब कर देना ।

मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, झांसी ने उक्त संदर्भित शिकायतों की जांच कराने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कराया जिनकी जांच आख्या एवं सस्तुति पर निम्न कार्यवाही की गई :--

1—19 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त किया गया ।

2—केन्द्र व्यवस्थापकों को तीन वर्ष के लिए और सम्बन्धित लक्ष निरीक्षकों को दो वर्ष के लिये परीक्षा के समस्त कार्य से वंचित किया गया ।

3—जांच में नकल कराने हेतु चन्दा वसूल करने हेतु आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

4—जांच में पाया गया कि चूंकि प्रधान परीक्षक सभी माध्यमिक विद्यालयों के थे अतः यह कहना निराधार है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के सहायक परीक्षकों ने माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव किया ।

5--शिकायत संख्या 4 के सम्बन्ध में जांच समिति के समय कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । सचल दल द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर अनियमितता पाई गई उन केन्द्र के दोषी अध्यापकों को दन्डित किया गया ।

6--जांच समिति द्वारा उक्त शिकायत संख्या 5 निराधार पायी गयी ।

श्री ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी, लालगंज, आजमगढ़ की पेन्शन का भुगतान

104--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खन्ड, लालगंज, आजमगढ़ को 31 मार्च 1981 को सेवा निवृत्त हुए तथा उनको आज तक पेन्शन भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-7-83 जो ग्राम विकास मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

माननीय विधायक महोदय के पत्र दिनांक 1-7-83 पर कार्यवाही की गयी । श्री श्रीवास्तव का अनन्तिम पेन्शन की धनराशि का भुगतान दिनांक 14-12-83 को कर दिया गया एवं अन्तिम पेन्शन की स्वीकृति के आदेश भी निर्गत कर दिये गये हैं ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम करमड़ी को ग्राम सभा बनाने की मांग

105--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम करमणी, विकास खंड आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का अलग ग्राम सभा बनाये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-7-83 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

ग्राम करमड़ी, ग्राम सभा गडेरुवा का एक पुरवा है राजस्व ग्राम न होने के कारण ग्राम करमड़ी को अलग ग्राम सभा बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पृथक् गांव सभा बनाये जाने हेतु सम्बन्धित गांव सभा की आबादी कम से कम 250 तथा उसे अनिवार्य रूप से राजस्व ग्राम होना चाहिये ।

आजमगढ़ जिले के नसीरपुर अल्लाउद्दीनपुर पट्टी मार्ग पर खडंजा लगाने की मांग

106—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अल्लाउद्दीन पट्टी, वि0 खं0 बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ नागरिकों का नसीरपुर अल्लाउद्दीन पट्टी मार्ग पर खडन्जा लगाये जाने से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-7-82 के साथ खंड विकास अधिकारी, बिलरियागंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

इस मार्ग पर खडंजा लगाये जाने का प्रस्ताव क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है ।

पचोत्तर नेशनल इन्टर कालेज, मरदह, गाजीपुर के अध्यापकों के अवशेष वेतन का भुगतान

107—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पचोतर नेशनल इन्टर कालेज मरदह, गाजीपुर के 11 अध्यापकों के वेतन से अनियमित कटौती से सम्बन्धित शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-7-83 के साथ शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

माह मई 1983 के 27 दिनों के अवशेष वेतन का भुगतान 1-8-83 को हो चुका है ।

श्री राम दयर ग्राम नेवादा, आजमगढ़ का पानी निकासी सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

108—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दयर, ग्राम नेवादा, जिला आजमगढ़ का पानी निकास से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 11 जुलाई, 1983 के साथ मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं । अतः उन पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, देव नगर सरांवां, जिला आजमगढ़ को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

109—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, देवनगर सरांवां, जनपद आजमगढ़ को वर्ष 82-83 के अनुदान सूची में लिए जाने की शिकायत से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-7-82 कब को प्राप्त है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को आख्या हेतु लिखा गया है ।

110---श्री राम आसरे वर्मा---

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

111-112---श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

खन्ड विकास अधिकारी, ब्लाक सेवापुरी, वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

113---श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेज बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र समिति सेवापुरी, जिला वाराणसी ने खंड विकास अधिकारी, सेवापुरी, जिला वाराणसी के विरुद्ध एक आरोप-पत्र मुख्य मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री, आयुक्त, वाराणसी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, वाराणसी एवं जिलाधीश वाराणसी को अक्तूबर में 20 अक्तूबर, 1983 के पूर्व दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? इसमें जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

शिकायतों के सम्बन्ध में जांच अपर जिलाधिकारी (विकास) वाराणसी द्वारा की गई एवं जांच परिणाम के आधार पर खंड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण गाजीपुर जनपद के लिये किया गया है । जांच के फलस्वरूप कुछ शिकायतें सही पायी गयीं । और कुछ गलत पायी गयी ह ।

वाराणसी जिले की सिंधोरा बाजार की सड़क के निर्माण की मांग

114---श्री ऊदल---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाजार सिंधोरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में बाजार की सड़क एवं दक्षिण अस्पताल से बाजार में जाने वाली सड़क एकदम खराब है ? क्या यह भी सही है कि सिंधोरा बाजार, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का ठेका जिला परिषद्, वाराणसी कई वर्षों से देकर रुपया हजारों में जमा करा रही ह और हैसियत टैक्स भी लगा कर ले रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को अब तक न बनवाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त सिंधोरा बाजार की सड़क को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण पर 3 लाख रु0 के व्यय का अनुमान है, जब कि परिषद् को सम्बन्धित बाजार की तहबाजारी से मात्र 1000 से 1100 रु0 की वार्षिक आय होती है और हैसियत टैक्स की वसूली कम है अतः जिला परिषद् द्वारा धनाभाव के कारण इस मार्ग का निर्माण कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी है । शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में इस हेतु कोई विशेष अनुदान देना सम्भव नहीं है ।

115---श्री भूधर नारायण मिश्रा---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

झांसी जिले के मऊरानीपुर में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना

116 प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद झांसी के मऊरानीपुर नगर में

राजकीय कन्या हाई स्कूल वर्ष 1983–84 में खोल दिया गया है ? क्या इससे सम्बन्धित राजाज्ञा जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां ।

जो हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हमीरपुर जिले के विकास खंड, गोहाल्ड के ग्राम रहके के लिए सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

117––प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के वि0 खं0, गोहाल्ड के अन्तर्गत ग्राम रहके के लिए लिंक रोड का निर्माण का प्रस्ताव प्रश्नकर्त्ता ने 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 में दिया था ? यदि हां, तो अब तक लिंक रोड के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां ।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो मार्ग पूर्व में बने थे उनकी बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए शासन स्तर से जिलाधिकारियों को यह निर्देश भेजे गये थे कि कोई कच्चे, नये मार्ग के निर्माण कार्य को न लिया जाय । अतः इस लिंक रोड के निर्माण का कार्य अभी सम्भव नहीं हो सका है ।

हीरालाल स्मारक इन्टर कालेज, आजमगढ़ के सेवानिवृत्त प्रवक्ता, श्री हीरा लाल के अवशेष वेतन का भुगतान

118––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भृगुनाथ सिंह, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, हीरालाल स्मारक इण्टर कालेज, भरौली, आजमगढ़ के अवशेष वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4–7–83 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां ।

श्री सिंह को तीन मास का अवशेष वेतन (अप्रैल, 1970 से जून, 1970 तक का) 969 रुपये का भुगतान दिनांक 14–9–83 को जमींदारी उन्मूलन अनुदान से चेक संख्या वी0 2/89 896862 द्वारा किया जा चुका है ।

स्व0 सूरजलाल वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गोरखपुर के पुत्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र

119––श्री पंचानन राय––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 सूरजलाल वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गोरखपुर मंडल जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी के पुत्र (श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा) की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 जून, 1983 आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां । उक्त पत्र मूलरूप में, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

बसन्त विद्यालय इंटर कालेज, मिर्जापुर की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती–पत्र

120––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसन्त विद्यालय इन्टर कालेज, मिर्जापुर की प्रबन्ध समिति की अनिय–

मितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-3-83 शिक्षा सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुवा, गाजियाबाद की आडिट रिपोर्ट

121--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आडिट रिपोर्ट में क्या आपत्तियां प्राप्त हुईं ? उनके निस्तारण हेतु सरकार ने क्या प्रयास किया आपत्तियों के सन्दर्भ में साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुवा (गाजियाबाद) का आडिट रिपोर्ट में विद्यालय के प्राभूत कोष के संदिग्ध होने, सुरक्षित कोष अपूर्ण होने, छात्र निधियों की धनराशि बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुरक्षण निधि को हस्तान्तरित करने विभिन्न निधि विकास, अनुरक्षण तथा छात्र निधियों से अमान्य व्यय किये जाने, छात्रों से परीक्षा शुल्क अधिक दरों पर प्राप्त करने, चन्दे तथा दान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का नियमित रूप में हिसाब-किताब न रखने, अनावर्तक अनुदानों का उपयोग नियमित रूप से न करने, नगरपालिका से प्राप्त अनुदान की धनराशियां अपहरण करने, विद्यालय के 1963 से 1981 तक के कतिपय अभिलेख दीमक लगने के कारण जलाकर नष्ट करने आदि आपत्तियां प्रकाश में आयीं ।

इन आपत्तियों के प्रकाश में आने पर इनके निराकरण हेतु विद्यालय के प्रबन्धक को निर्देश दिये गये । उक्त विद्यालय में अब माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

सीतापुर जिले के भवनविहीन जूनियर हाई स्कूल

122--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में जूनियर हाई स्कूल (जिला परिषद् के माध्यम से) कितने हैं और उसमें कन्या जूनियर हाई स्कूल कितने हैं और उसमें कितने भवन बने हैं और कितने भवनहीन हैं ? भवनहीन विद्यालयों के भवन कब तक बना दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1977-78 में ग्राम खैरुल्लापुर में खोला गया था वहां अभी तक भवन न बनाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद सीतापुर में जिला परिषद् के नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद् के 230 जू0 हा0 स्कूल हैं । उसमें कन्या जू0 हा0 स्कूल 24 हैं जिसमें से 13 बालिका विद्यालयों के भवन बने हैं और 11 भवनहीन विद्यालय हैं ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा उक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिए चयनित न होने के कारण उसके भवन का निर्माण न हो सका ।

बरेली जिले के ब्लाक बहेड़ी तथा शेरगढ़ के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

123--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के कौन-कौन से ब्लाक में कितने समय से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य चल रहा है ? इन ब्लाकों में कार्य प्रारम्भ होने से पहले साक्षरता का प्रतिशत क्या था और अब क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

बरेली जनपद के विकास खंड, बहेड़ी तथा शेरगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम फरवरी, 1980 से संचालित किया जा रहा है । कार्यक्रम आरम्भ होने से पहले वर्ष 1980-81 के विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार जनपद के सम्बन्धित ब्लाकों में 15-35 वय वर्ग के व्यक्तियों में साक्षरता का प्रतिशत 19.94 था । तीन वर्षों तक कार्यक्रम संचालित होने के पश्चात् वर्ष 1983 में किये गये विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार दोनों विकास खंडों में उक्त वय वर्ग के व्यक्तियों में साक्षरता का प्रतिशत 47.77 हो गया है ।

राजकीय इन्टर कालेज, स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा में प्रवक्ता के रिक्त पद

124--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा में प्रवक्ता, भूगोल व पी0 टी0 आई0 का स्थान दो वर्ष से रिक्त है ? यदि हां, तो इनके स्थान की पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले के राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कालेज के अध्यापक को सी0 टी0 ग्रेड में पदावनति

125--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में राजकीय हाई स्कूल व इंटर कालेज के प्रान्तीयकरण से पूर्व जिन अध्यापकों की संस्था द्वारा एल0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा था प्रान्तीयकरण के बाद उन्हें सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त अध्यापकों को क्या एल0 टी0 ग्रेड दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

केवल एक ऐसे अध्यापक को राजकीय सेवा की अर्हता न रखने के कारण सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है । अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें एल0 टी0 ग्रेड दिया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में राजकीय बालिका इंटर कालेज की स्थापना की मांग

126--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर राजकीय बालिका इंटर कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

क्योंकि सीधे राजकीय इंटर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है और न कानपुर महानगर में कोई राजकीय बालिका हाई स्कूल ही है, जिसे इन्टर स्तर पर उच्चीकरण किया जा सके ।

आदर्श हायर सेकेण्डरी स्कूल, सी0 ओ0 डी0, कानपुर के छटनी-शुदा कर्मचारी एवं अध्यापकों का समायोजन

127--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल सी0 ओ0डी0, कानपुर के कितने छटनी-शुदा अध्यापक और कर्मचारी दिनांक 31-12-1982 तक समायोजित किये जा चुके हैं जो अभी कहीं भी समायोजित नहीं हो सके हैं उनके नाम क्या हैं तथा इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के ब्लाक ब्रह्मपुर के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, बिशुनपुरा की बाढ़ के आधार पर बन्दी

128--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के परिषद् द्वारा संचालित कितने जूनियर हाई स्कूल बिना किसी के आदेश पर फर्जी बाढ़ का बहाना लेकर माह सितम्बर, 1983 में बन्द कर दिये गये थे ? क्या इस दिशा में प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायतपत्र, जिलाधिकारी गोरखपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एवं आपको माह सितम्बर, 1983 एवं 15 अक्तूबर, 1983 के बीच में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गोरखपुर में मात्र एक जूनियर हाई स्कूल, बिशुनपुरा बिना किसी आदेश के बाढ़ के आधार पर दिनांक 26-9-83 से 30-9-83 तक प्रधानाध्यापक द्वारा बन्द कर दिया गया था । प्रश्न में सन्दर्भित माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 30-9-83 प्राप्त हुआ है जिस पर अतिरिक्त उपविद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर से जांच करायी गयी और जांच के आधार पर सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कन्या जूनियर हाई स्कूलों की परिचारिकाओं का वेतनमान

129--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कन्या जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त परिचारिकाओं का वेतनमान क्या है ? उक्त परिचारिकाओं को वही वेतनमान दिया जाता है जो राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो उक्त असमानता का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्तमान में परिचारिकाओं का कोई पद नहीं है । बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व से कन्या जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त परिचारिकाओं, जो अब चपरासी, चौकीदार एवं चपरासी तथा चौकीदार के पदों पर कार्यरत हैं, का वर्तमान वेतनमान 305-590 है । इस वर्ग के जो व्यक्ति नियत वेतन 165 रु0 प्रतिमास पा रहे थे । उनका वर्तमान नियत वेतन रु0 305 प्रतिमास है । जो अंशकालिक परिचारिकाएं थी और जो बच्चों को स्कूल में लाने और स्कूल से उन्हें ले जाने का कार्य करती हैं उन्हें अब स्कूल माता कहा जाता है और इस समय उन्हें नियत 30 रु0 प्रतिमास पारिश्रमिक दिया जाता है ।

उपर्युक्त 305-390 रु0 वेतनमान के परिषदीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान के समकक्ष है नियत वेतन पर नियुक्त अथवा अंशकालिक परिषदीय कर्मचारियों को राजकी

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतनमान नहीं दिया गया है ।

क्योंकि वे पहले से ही या तो नियत वेतन पर नियुक्त थे अथवा अंशकालिक कर्मचारी थे ।

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर की अध्यापिकाओं के पद सृजन एवं वेतनमान सम्बन्धी कथित पत्र

130--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर की अध्यापिकाओं का पद सृजन तथा वेतन संदाय सम्बन्धी जो निर्देश उच्च शिक्षा के शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 (शिक्षा अर्थ) अनुभाग, इलाहाबाद द्वारा उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल को लिखित रूप से 6 जनवरी, 1978 को दे दिया गया था, उसमें उल्लिखित मुख्य निर्देश क्या था तथा उसके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

निदेशालय द्वारा 6 जनवरी, 1978 को कोई पत्र इस सम्बन्ध में निर्गत नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंडलीय विकास निगमों के लाभ/हानि

131--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में मंडलीय विकास निगमों (सभी मंडलों में गठित परन्तु पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर) में शासकीय विनियोजन (पूंजी तथा शासकीय ऋण) कितना था ? सकल आय एवं शुद्ध लाभ/हानि का पूंजी विनियोजन से क्या प्रतिशत था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 1982-83 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के मंडलीय विकास निगमों में कुल शासकीय विनियोजन 866.131 लाख रुपये था ।

कतिपय निगमों के वर्ष 1982-83 के लेखे पूर्ण न हो पाने के कारण सकल आय एवं शुद्ध लाभ/हानि की पूंजी विनियोजन से प्रतिशत की सूचना दिया जाना इस समय सम्भव नहीं है । जिन निगमों से वर्ष 1982-83 में सकल आय तथा शुद्ध लाभ/हानि की सूचना प्राप्त हुई है, उसे नीचे दिया जा रहा है :--

निगम का नाम	सकल आय (लाख रु0 में)	शुद्ध लाभ (+) / हानि (--) (लाख रु0 में)
1--आगरा मंडल विकास निगम लि0, आगरा	97.09 (--)	16.55
2--वाराणसी मंडल विकास निगम लि0, वाराणसी	419.05 (+)	4.91
3--गोरखपुर मंडल विकास निगम लि0, गोरखपुर	0.50 (--)	10.00
4--उ0 प्र0 बुन्देलखंड, विकास निगम लि0, झांसी	48.23 (--)	6.70
5--लखनऊ मंडलीय विकास निगम लि0, लखनऊ	269.83 (+)	0.05
6--मुरादाबाद मंडल विकास निगम लि0, मुरादाबाद	4.86 (+)	0.57
7--इलाहाबाद मंडल विकास निगम लि0, इलाहाबाद	4.14 (+)	0.23

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र, नाथनगर के विकास खंड अधिकारी, श्री राजेन्द्र मिश्र के विरुद्ध शिकायती-पत्र

132--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्री द्वारा जून, 1983 में जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र नाथनगर के विकास खंड अधिकारी (श्री राजेन्द्र मिश्र) के विरुद्ध ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित 7 गंभीर आरोपों का एक शिकायती-पत्र मंत्री जी को दिया गया था ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

पंचायतों के निर्वाचन में पक्षपात, बैंक से फर्जी ऋण वितरण कराकर अनुदान की धनराशि हड़पने, सीमेन्ट की परमिट मनमाने ढंग से काटकर उसे ब्लैक भाव पर बेचने, हरिजन आवास एवं हरिजन कूप निर्माण में ईंटों की ढुलाई में अधिक व्यय दिखा कर धन अर्जित करने, प्रधानों के चुनाव में पक्षपात का आश्वासन देकर प्रधान प्रत्याशियों से काफी धन एकत्रित करने एवं कर्मचारियों से धन की उगाही करने आदि के आरोप थे । जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं एवं सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

133--श्रीमती गौरी देवी--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिव, मंडी समिति, स्याना, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

134--श्री छत्तर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-6-82 को सचिव, मंडी समिति, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी थी ? उस जांच में किन लोगों का साक्ष्य लिया गया ? यह जांच उप निदेशक प्रशासन राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, मेरठ ने किन तथ्यों को लेकर की थी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत जांच में निम्नलिखित व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया :--

1--श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा, ग्राम दोहरा ।

2--श्री बनी सिंह, ग्राम प्रधान, चिगरावठी ।

3--श्री राम बल सिंह, प्रधान, ग्राम सभा साहनपुर (नया वास और नया गांव) ।

4--श्री नन्हू सिंह, ग्राम प्रधान, चांदपुर पूठी ।

5--श्री मंगू सिंह, ग्राम प्रधान, करौठी ।

6--श्री प्रताप नारायण शास्त्री ग्राम माकड़ी ।

6--श्री राम शरण दास, ग्राम माकड़ी ।

8--श्री भवानी शंकर, ग्राम माकड़ी ।

9--श्री चन्द्र पाल सिंह, ग्राम भवन बहादुर नगर ।

10--श्री विनोद कुमार ग्राम भवन बहादुर नगर ।

11--श्री छोटे लाल त्यागी, कस्वा स्याना ।

12--श्री धीरेद्र सिंह त्यागी, ग्राम वेरा, फिरोजपुर ।

जांच के लिए मुख्य तथ्य जो लिए गये थे इस प्रकार हैं :--

1--नवम्बर, 1981 में दिसम्बर 1981 की अपेक्षा कम आय होना ।

2--माल बेचते समय किसानों से एक रुपया प्रति सैकड़ा अन्य खर्चे काटा जाना ।

3--भुगतान देते समय किसानों को 6 आर का न दिया जाना :

4--तौल के समय गलत बांट का प्रयोग किया जाना ।

5--मंडी क्षेत्र में माल की नीलामी का न होना ।

6--सब्जी के व्यापार में किसानों से अवैधानिक कटौती ।

7--किसानों को प्रवेश पर्चों का न दिया जाना ।

8--मंडी समिति क्षेत्र में थोक व्यापारियों व अढ़तियों द्वारा अनधिकृत माल का बेचा जाना ।

9--किसानों का माल समय पर न बेचा जाना ।

10--ओम प्रकाश भूषण लाल के क्रेशर से गुड़ की बिक्री ।

11--मंडी शुल्क एवं अन्य शुल्कों की चोरी ।

12--प्रमोद कुमार ऐन्ड को0, तेजराम खुशीराम आदि फर्मों द्वारा अवैध रूप से क्रय विक्रय किया जाना ।

भारतीय विद्यालय इंटर कालेज, उतरौला, गोंडा सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

135--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष 10-1-82 को भारतीय विद्यालय इंटर कालेज, उतरौला, जिला गोंडा के सम्बन्ध में किसी विधायक का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक विद्यालयों के आध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग

136--श्री मंगल देव--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद समस्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी पदों पर नियुक्तियां आयोग द्वारा चयनित अध्यापकों से की जायेगी तो ऐसी स्थिति में किसी रिक्त पद को स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने के मामले में प्रबंध समिति की स्वीकृति की अनिवार्यता क्यों रखी गई है ? क्या इस अनिवार्यता को समाप्त कर स्थायी रिक्त पदों को स्थानान्तरण द्वारा भरने का कार्य भी नवगठित आयोग को सौंपने के प्रश्न पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के प्राविधानानुसार अध्यापकों के रिक्त स्थायी पदों को स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने में प्रबन्ध समिति की सहमति आवश्यक है । जी नहीं, क्योंकि स्थानान्तरण द्वारा रिक्त पद को भरने का विषय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 से आच्छादित नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के हाई स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का आधार

137--श्री गोवर्धन तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित हाई स्कूलों को किन मानकों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है ?

श्री अम्मार रिजवी--

संस्थाओं को जिन मानकों के आधार पर हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट की नवीन अथवा अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान की जाती है, उसकी प्रतिलिपि संलग्न है । पर्वतीय क्षेत्र की संस्थाओं को भी इसी मानक के आधार पर उक्त मान्यता दी जाती है । इन मानकों में पर्वतीय क्षेत्र की संस्थाओं को उक्त मान्यता दिये जाने हेतु छात्र संख्या, भवन की माप, प्राभूत कोष तथा क्रीड़ास्थल में शिथिलता प्रदान करने की व्यवस्था है चूंकि संलग्न मानकों के आधार पर कुछ स्वल्प संस्थायें ही मान्यता हेतु अर्ह हो पाती हैं, अतएव इन मानकों को कुछ हद तक शिथिली कृत करते हुए संस्थाओं को उक्त मान्यता दी जाती है ।

उन्नाव जिले की ग्राम सभा नेवलगंज के ग्राम प्रधान का भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निलम्बन

138--श्री मोहन सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनांक 3 अप्रैल, 1983 को ग्राम सभा नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्राम प्रधान को भ्रष्टाचार के संबन्धमें निलम्बित किय जा चुका है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्राम प्रधान ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्याय लय, लखनऊ में एक रिट याचिका दाखिल की थ जो दिनांक 20 मई, 1983 को खारिज की जा चुकी है ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रधान के निलम्बन आदेश व प्रधान पद से चार्ज अभी तक न लिये जाने के क्या कारण हैं ? इस आदेश का पालन अभी तक न कराने का कौन अधिकारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज के प्रधान को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 2 अप्रैल, 1983 को परगनाधिकारी हसनगंज द्वारा निलम्बित किया गया है ।

दिनांक 31 दिसम्बर 1983 तक उक्त प्रधान ने कोई रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दाखिल की । अतएव उसके दिनांक 20 मई, 1983 को खारिज होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त प्रधान द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के न्यायालय में रिवीजन दायर कर दिया गया है जो अभी लम्बित है । इस कारण प्रधान पद का चार्ज अभी तक नहीं लिया जा सका है ।

देवरिया जिले के विकास खण्ड भागलपुर की हरिजन बस्ती में पेय जल कूप का निर्णय

139--श्री मोहन सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के आमलपुर विकास खण्ड का हरिजन पेय जल कूप हरिजन बस्ती के बाहर खेत की सिंचाई करने के लिए बना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जनपद में आमलपुर नामक कोई विकास खण्ड नहीं है । विकास खण्ड भागलपुर में पेय जल कूप का निर्माण पानी पीने के अभिप्राय से हरिजन बस्ती में ही बनवाया गया है । केवल एक कूप जो भागलपुर विकास

खण्ड के देलवा ग्राम के लिए स्वीकृत था, भूमि उपलब्ध न होने के कारण गांव के उत्तर की तरफ 25 मीटर की दूरी पर बनवाया गया है जिससे लोग पानी पीते हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के श्री गणेश प्रसाद शुक्ल, सहायक उपस्थिति अधिकारी का पेंशन एवं ग्रेच्युटी और समस्त शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन

140--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेतर कर्मचारी श्री गणेश प्रसाद शुक्ल, सहायक उपस्थिति अधिकारी, जो दिनांक 8 जनवरी, 1975 को ही अवकाश प्राप्त कर चुके हैं को शासनादेश अनुभाग (5) दिनांक 6 नवम्बर, 1980 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के निदेशक एवं अध्यक्ष के आदेश दिनांक 6 अक्तूबर, 1977 की अवहेलना करते हुए तथा महालेखाकार की आडिट आपत्ति की उपेक्षा करके उन्हें ग्रेच्युटी व पेन्शन का लगभग 14,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

श्री गणेश प्रसाद शुक्ल, सहायक उपस्थिति अधिकारी को 8 जनवरी, 1975 से रु0 97·82 प्रति मास पेन्शन तथा रु0 3,250 एक मुश्त ग्रेच्युटी की धनराशि स्वीकृत की गई थी । आडिट आपत्ति प्राप्त होने पर भुगतान रोक दिया गया और सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है ।

141--श्री मोहन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षणेतर कर्मचारियों को जो जनवरी, 1975 के लगायत मार्च, सेवा निवृत्त 1980 के पूर्व हो चुके हैं, उन्हें ग्रेच्युटी व पेन्शन का भुगतान कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

क्योंकि वर्ष 1980 के पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षणेतर कर्मचारियों को पेन्शन आदि देने का प्राविधान नहीं है ।

142--श्री मोहन सिंह--

क्या सरकार श्री गणेश प्रसाद शुक्ल का अवैध पेन्शन भुगतान को तुरन्त रोक कर दोषी अधिकारीगण को दण्डित कर रुपये की वसूली करने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

पेन्शन का भुगतान रोक दिया गया है । प्रकरण की जांचोपरान्त ही दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उठेगा ।

हरदोई जिले की ग्राम सभा वैशपुर में सड़क निर्माण की मांग

143--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी की ग्राम सभा वैशपुर जरेरा में जिला सेक्टर योजना या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्मित कराने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब से शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

जिला हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी की ग्राम सभा वैशपुर में कोई भी सड़क जिला सेक्टर अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न निर्माणाधीन है ।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आलमारी की खरीद

144–श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवध विश्व विद्यालय फैजाबाद के कुल सचिव द्वारा आल्मारी (स्टील) क्रय हेतु 16-4-83 को टेन्डर खोला गया ? यदि हां, तो कुल कितने फर्मों द्वारा टेन्डर दिए गए, उनके नाम व पता क्या हैं तथा समस्त पड़े टेन्डर का क्रमवार रेट क्या है और किस फर्म का टेन्डर स्वीकार किया गया तथा स्वीकार किए गए टेन्डर का रेट क्या है ? क्या यह भी सही है कि ऐसा टेन्डर जिसका रेट सभी टेन्डरों से अधिक था उसे स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां, कुल दस फर्मों द्वारा अल्मारी की सप्लाई के लिए टेन्डर दिए गए जिनके नाम, पते तथा क्रमवार रेट संलग्न हैं । मेसर्स गर्ग ऐन्ड कम्पनी का टेन्डर स्वीकार किया गया जिसका टेन्डर रेट रु0 2015.08 प्रति आलमारी था जो सभी टेन्डरों से अधिक था । फेयरडील एजेन्सी की "चरन" मेक की तथा मेसर्स गर्ग एन्ड कम्पनी की "गोदरेज" मेक की अल्मारी ही अच्छी, मजबूत तथा स्टैन्डर्ड मेक की थीं । चरन मेक को फर्म बिल पर सप्लाई करने को तैयार नहीं थी और सप्लाई करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहती थी । चूंकि कम्बाइन्ड फ्री मेडिकल टेस्ट के लिए अभिलेखों को रखने के लिए आलमारियों की तत्काल आवश्यकता थी, अतः कार्य के हित में मेसर्स गर्ग ऐन्ड कम्पनी की "गोदरेज" अल्मारी क्रय की गई ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 151 पर ।)

145–श्री गोपीनाथ वर्मा––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

कृषि मन्डी समिति, लखनऊ द्वारा अधिष्ठान मद में व्यय की गई धनराशि और श्री विशम्भर लाल, अमीन की आयु में प्रदान की गई छूट

146–श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मन्डी समिति लखनऊ ने वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान अपनी आय का 15 प्रतिशत के बजाय 17.8 प्रतिशत व्यय किया था ? यदि हां, तो 2.8 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय का औचित्य क्या है ?

श्री यशपाल सिंह––

वर्ष 1981-82 में कृषि उत्पादन मन्डी समिति लखनऊ द्वारा अपनी आय का 13.22% ही अधिष्ठान मद में व्यय किया गया था । वर्ष 1982-83 में वित्तीय वेतन आयोग के निर्णय के फलस्वरूप बढ़े वेतन का अवशेष भुगतान करने के कारण यह व्यय 17.86% होकर निर्धारित व्यय की सीमा 15 प्रतिशत से 2.86 प्रतिशत बढ़ गया ।

147–श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या कृषि मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मण्डी समितियों में अमीनों की नियुक्तियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में लखनऊ मण्डी समिति में विशम्भर लाल की नियुक्ति कम उम्र में ही कर दी गई थी ?

श्री यशपाल सिंह––

जी हां ।

मण्डी समिति लखनऊ में श्री विशम्भर लाल की अमीन/नीलामकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु सभापति, मण्डी समिति की संस्तुति पर मण्डी निदेशक द्वारा उपविधि 81 के प्राविधानों के अन्तर्गत न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष 2 माह 22 दिन की छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई थी ।

फैजाबाद जिले की प्राइमरी पाठशाला खूखूतारा में अध्यापकों की संख्या बढ़ाने की मांग

148—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत प्रा० पा० खूखूतारा, ब्लाक टांडा, फैजाबाद में कुल छात्रों की संख्या 450 हैं तथा चार अध्यापक शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त किए गए हैं ? छात्रों की संख्या के आधार पर नियमानुसार कुल कितने अध्यापक नियुक्त किए जाने थे और क्या छात्रों की शिक्षा सुचारु रूप से चलाने हेतु नियमानुसार अस्थ ई नियुक्ति शीघ्राति-शीघ्र की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

छात्र संख्या 363 हैं तथा कार्यरत अध्यापकों की संख्या 6 हैं । छात्र संख्या के आधार पर नियमानुसार 9 अध्यापक होने चाहिए । सीमित संसाधनों के कारण आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन तथा अध्यापकों की नियुक्तियां सम्भव नहीं है ।

149—श्री गोपीनाथ वर्मा —

[दिनांक 20-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 154 द्वारा उत्तरित]

150—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[दिनांक 20-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 145 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद माधुरी बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा अनशन एवं मांग

151—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में विकास खंड कटहरी, अकबरपुर के अन्तर्गत माधुरी बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा 12 मई, 1983 से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनशन पर बैठने वाली अध्यापिकाओं की कौन-कौन सी मांगें हैं और समस्त मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत मांगों को पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । अनशन प्रारम्भ किया था जो दिनांक 18-5-83 को समाप्त कर दिया । उनकी 8 सूत्रीय मांगें निम्न थीं—

(1) शिक्षिका उपस्थिति पंजिका तत्काल विद्यालय में उपलब्ध करायी जाय ।

(2) दिसम्बर 1982 से अद्यतन वेतन तत्काल भुगतान कराया जाय ।

(3) पुनरीक्षित वेतन के फल-स्वरूप देय (एरियर) (36 माह) का भुगतान अविलम्ब कराया जाय ।

(4) प्राइमरी स्तर पर सरकार द्वारा प्रदत्त वेतनमान प्रदान किया जाय ।

(5) यूनियन बैंक आफ इंडिया, फैजाबाद से खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा कटेहरी को स्थानान्तरित किया जाय ।

(6) विद्यालय में विभागीय नियमानुसार क्लर्क, दाई उपलब्ध कराया जाय ।

(7) प्रबन्धक द्वारा पहले से भविष्य के लिए समस्त अध्यापिकाओं से कोरे कागज, कोरे स्टैम्प पेपर, कोरी चेक बुक व रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर कराया गया था, वह अमान्य घोषित किया जाय ।

(8) विद्यालय में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों को विद्यालय के पदाधिकारियों के दुरुपयोग से सुरक्षित कराया जाय ।

उपरोक्त मांगों में मांग संख्या 1, 2 तथा 4 पूर्ण कर दी गई है। मांग संख्या-3 के बारे में कार्यवाही की जा रही है। मांग संख्या-5 के बारे में स्थिति यह है कि मांग करने वाली अध्यापिकाओं ने भी अपने खाते यूनियन बैंक, फैजाबाद में खोल दिये हैं। अतः इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मांग सख्या 7 के बारे में अध्यापिकाओं द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। मांग संख्या-8 के सम्बन्ध में भविष्य के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को नगद न करके बैंक/डाकखाने में खाता खुलवाकर उनके पासबुक में जमा किया जाय।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रायबरेली में लिपिक के पद पर श्री प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति

152--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिन्हा, निवासी दक्षिण जहानाबाद निकट कैपिटल सिनेमा, रायबरेली को नियुक्ति तदर्थ रूप से 3 माह के लिए वेतनमान 354-10-424 द0 रो0 10-454-12-515 द0 रो0-12-550 में किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रायबरेली के पत्रांक ग्रा0 अ0 से0/82-83, दिनांक 8-6-82 को आदेश दिय गया? यदि हां, तो क्या जिस पद पर नियुक्ति की गई है उक्त पद बढ़ोत्तरी हेतु सरकार से अनुमति ली गई है? यदि नहीं, तो अधिक नियुक्ति किये जाने का क्या कारण है और क्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किये गये आदेश को समाप्त किए जाने पर विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। श्री प्रदीप कुमार सिन्हा पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिन्हा, निवासी दक्षिणी जहानाबाद निकट कैपिटल सिनेमा, रायबरेली की कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रारम्भ में 3 माह की अवधि के लिए अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रायबरेली के नियुक्ति आदेश संख्या-2032/ग्रा0 अ0 से0/आदेश-82-83, दिनांक 8-6-82 द्वारा की गयी थी। अधिशासी अभियंता कनिष्ठ लिपिक के नियुक्ति अधिकारी हैं।

कार्यहित में श्री सिन्हा को कार्यरत रहने को समय-समय पर समय-वृद्धि मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ परिमंडल द्वारा दी गयी।

शासन से कोई स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक नहीं है। श्री सिन्हा, कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री सिन्हा की सेवायें समाप्त किए जाने का कोई कारण नहीं है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रायबरेली के लिपिक श्री देवकी नन्दन पाठक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश

153--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के स्थगन आदेश संख्या 4733, दिनांक 14-10-1982 का उल्लंघन अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखंड रायबरेली द्वारा किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं। श्री देवकीनन्दन पाठक, कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ परिमंडल, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 3907/स्था0/स्थानान्तरण-82-83, दिनांक 14-9-82 द्वारा रायबरेली से हरदोई जनपद को किया

गया था जिसके परिपालन में श्री पाठक को दिनांक 23-9-82 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था । श्री पाठक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश इनको कार्य-भार से मुक्त करने के पश्चात प्राप्त हुए । अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कोई उल्लंघन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, राय-बरेली द्वारा नहीं किया गया ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रायबरेली के प्रधान लिपिक श्री सुधाकर शर्मा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

154--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सुधाकर शर्मा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड रायबरेली के विरुद्ध अनेकों भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री जुल्फिकार खान, सदस्य, विधान परिषद ने पत्र संख्या 2204/जी0/ए0/एस0/सी0 एम0 यू0/ए0 दिनांक 10-8-82 तथा संदर्भ संख्या 203/82, दिनांक 15-8-82 का शिकायती पत्र तथा श्रीमती सुमनलता दीक्षित सदस्य, विधान सभा का 31-8-82 का शिकायती-पत्र जिला-धिकारी का रायबरेली को मिला है ? यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित आरोपों व मांगों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री जुल्फिकार खान सदस्य विधान परिषद का श्री सुधाकर शर्मा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राय-बरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र संख्या 203/82, दिनांक 15-8-82 जिला-धिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ था । श्रीमती सुमनलता दीक्षित, सदस्य विधान सभा का श्री शर्मा के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 31-8-82 जिलाधिकारी रायबरेली को प्राप्त नहीं हुआ वरन श्रीमती दीक्षित का शिकायती-पत्र दिनांक 14-8-82 प्राप्त हुआ था ।

उक्त शिकायती-पत्रों में श्री शर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं मुख्य अभियंता के पत्र संख्या 2204, दिनांक 10-8-82 द्वारा श्री शर्मा को पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के अधिशासी अभियंता, रायबरेली को दिये गये आदेशों का संदर्भ देते हुए प्रत्यावर्तन की मांग की गई थी ।

श्री शर्मा के विरुद्ध शिकायती पत्रों पर जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा जांच चलते रहने एवं अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली से श्री शर्मा के संबंध में आख्या पर विचारोपरान्त मुख्य अभियंता ने श्री शर्मा के पैतृक विभाग को प्रत्या-वर्तित के आदेश दिनांक 10-8-82 का कार्यान्वयन अपने पत्रांक-3318 दिनांक 20-8-82 द्वारा स्थगित कर दिया था ।

जिलाधिकारी, रायबरेली ने श्री शर्मा के विरुद्ध शिकायती पत्रों पर जांच कराई । एवं संस्तुति के अनुसार मुख्य अभियन्ता द्वारा श्री शर्मा को चेतावनी दी जा चुकी है । श्री शर्मा को राय-बरेली प्रखण्ड से स्थानान्तरित भी किया जा चुका है ।

अधिशासी अभियन्ता, श्री डी0 जी0 सिंह ग्रामीण अभियन्ता सेवा, रायबरेली द्वारा स्कूल के भवन निर्माण हेतु जी0 सी0 सीट की खरीद के सम्बन्धी कथित जांच

155--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, श्री डी0 जी0 सिंह, तथा सहायक अभियंता, श्री ओ0 पी0 कपूर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड रायबरेली द्वारा मई, 1982 में मेसर्स यू0 पी0 एस0 आई0 सी0, बिहारी एण्ड कम्पनी, सर्वोदय नगर, कानपुर से 90,000.00 रुपये की जी0

सी0 शीट की खरीद नवीन स्कूल भवनों के निर्माण के लिए की गई? यदि हां, तो क्या क्रय शीट का उपयोग करके स्कूल भवनों का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो उन स्कूल भवनों के नाम व पते क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली द्वारा 90,000.00 रुपये की जी0 सी0 शीट की खरीद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत नवीन स्कूल भवनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम गाजियाबाद शाखा से की गई थी, जिसका उपयोग जनपद रायबरेली के जूनियर हाई स्कूल रहीभाव बेढ़ल बारा, गूवा जोगो, अजीतपुर, विनोवापुरी सातन पुरवा, फूला, सरवन, कुवरमऊ तथा प्राइमरी पाठशाला खलीलपुर, जमालपुर, हरैया, फुरसतगंज, ढोढनपुर नशरतपुर, कचौदा, मोहिउद्दीनपुर, हजियापुर, गोपलपुर, खारा एवं तावामऊ के निर्माण कार्यों में किया गया।

156--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में शासन द्वारा सन् 1982-83 में केन्द्रीय जांच अनुसंधान कार्यालय द्वारा जांच कराने हेतु आदेश दिये गये ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा अब तक की जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

157--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

माधुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

158--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माधुरी, उ0 मा0 विद्यालय कठहटी, जनपद फैजाबाद में करीब 20 अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के प्रबंधक द्वारा संबंधित विद्यालय के अध्यापिकाओं से संपूर्ण वेतन पर जबरियन हस्ताक्षर कराकर कम वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो संबंधित मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने पर सरकार विचार करेगी, जांच के दौरान संबंधित अध्यापिकाओं के लिखित बयान लेकर तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

केवल 11 अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान उनके खाते में सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर दिया जाता है जिसका आहरण वे स्वयं करती हैं। बैंक से वेतन प्राप्त करने के उपरान्त जबरिया हस्ताक्षर कराकर वेतन भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता। अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)/उप बालिका विद्यालय निरीक्षका से जांच करायी गयी। जांच के फलस्वरूप लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। इसलिए किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शुकुल बाजार, फैजाबाद के प्रान्तीयकरण की मांग

149--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद में जिला परिषद् द्वारा संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय शुकुल बाजार, फैजाबाद के प्रान्तीयकरण हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 3-5-83 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रश्नकर्ता का कथित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के उर्दू छात्रों का आवेदन पत्र और उनके रोके गये परीक्षाफल

160--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर के इंटर उर्दू परीक्षा 1983 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के आवेदन पत्र क्रमशः श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल अनुक्रमांक 218557 व श्री हीरा लाल मौर्य पुत्र श्री राम अजोर अनुक्रमांक 218564 व श्री मेवा लाल पुत्र श्री पलटू के अनुक्रमांक 218575, मित्रसेन पुत्र श्री केदार नाथ श्रीवास्तव अनुक्रमांक 217581 व श्री मूलचन्द्र गुप्त पुत्र श्री राम नरेश अनुक्रमांक 218631 व श्री बेचन राम पुत्र श्री राम नरेश अनुक्रमांक 218651, व श्री राकेश कुमार पुत्र श्री लल बिहारी लाल के परीक्षा फार्मों को अपर सचिव मा0 शि0 प0, 34 कार्यालय, मेरठ के पत्रांक-उप शि0 प0 इन्टर 3/5562 दिनांक 2-3-83 को निरस्त किये जाने हेतु आदेश प्रधानाचार्य को दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

हां। परन्तु प्रश्नगत किसी भी छात्र ने उर्दू विषय का चयन नहीं किया था।

161--श्री गोपीन थ वर्मा--

क्या यह भी सही है कि उक्त समस्त छात्र आदेश के बावजूद परीक्षा में किस आधार पर सम्मिलित किये गये ? क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी --

हां। माध्यमिक शिक्षा परिषद् की नीति के अनुसार इन छात्रों को परिषद् कार्यालय, के पत्रांक मा0 शि0 प0/मुख्यालय-19789, दिनांक 10-3-83 द्वारा 1983 की इन्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई। इन छात्रों के परीक्षाफल रोक लिये गये हैं और इनकी अर्हता सम्बन्धी जांच करने जा रही है। यदि ये छात्र अर्ह न पाये गये तो इनका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायगा।

फैजाबाद जिले के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की बकाया वेतन वृद्धि

162--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का जुलाई, 1979 से माह अगस्त, 1983 तक का वेतन बढ़ोत्तरी (एरियर) तथा दिसम्बर, 1982 से जुलाई, 1983 तक का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त बकाया धनराशि भुगतान न होने का क्या कारण रहा और उक्त समस्त बकाया धनराशि कब तक उक्त अध्यापकों को भुगतान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद फैजाबाद के 16 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का जुलाई, 1979 से अगस्त 1983 का वेतन बढ़ोत्तरी (एरियर) का भुगतान नहीं हुआ है। इनमें से 9 विद्यालयों से उक्त प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं जिनमें से तीन पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद तथा 6 पर निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा निदेशक से धनराशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा । शेष 7 विद्यालयों के प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के प्राप्त नहीं हुए हैं । दिसम्बर, 1982 से जुलाई 1983 के बकाया वेतन का भुगतान 14 विद्यालयों को किया जा चुका है । शेष चार विद्यालयों में से तीन के बारे में कार्यवाही की जा रही है । निदेशालय से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा । एक विद्यालय का बिल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है ।

त्रिलोक नाथ महविद्यालय, फैजाबाद के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने की मांग

163--श्री गोपी नाथ वर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा त्रिलोक नाथ महाविद्यालय, टान्डा, फैजाबाद के शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बार रिजवी---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा श्री सूर्य नारायण सिंह की भूमि का अधिग्रहण और प्रभावित किसानों को दी गयी नौकरी

164--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रभावित किसान श्री सूर्य नारायण सिंह पुत्र श्री राजा सिंह, ग्राम व पो0 जोरियम, तहसील बीकापुर, फैजाबाद द्वारा भूमि नं0 10 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एक बिस्वांसी तथा उक्त भूमि पर लगे नलकूप का प्रतिकर भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 नवम्बर, 1982 को कोई आवेदन-पत्र कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को रजिस्टर्ड डाक संख्या 818 द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित भूमि व नलकूप का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

मामले की जांच करने से पता चला कि जब विश्वविद्यालय द्वारा भूमि अध्याप्ति कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था तो इनकी भूमि त्रुटि वश उसमें शामिल नहीं थी । इनकी भूमि विश्वविद्यालय द्वारा अध्याप्त अन्य भूमि के बीच में आती थी । जब यह बात सामने आयी तो शासन को इस भूमि को अध्याप्त करने का प्रस्ताव भेजा गया । अध्याप्ति की कार्यवाही लम्बित होने के कारण प्रतिकर अभी तक नहीं बंट पाया है ।

165--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0 वि0, कुमारगंज, फैजाबाद के निर्माण हेतु कुल कितनी भूमि अर्जित की गयी है तथा उक्त निर्माण से कितने किसान परिवार प्रभावित हुये ? अब तक उक्त विश्वविद्यालय में प्रभावित परिवारों को नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कुमारगंज में 316.214 एकड़ भूमि

अध्याप्त की गयी है। कुमारगंज में अध्याप्ति से प्रभावित 271 कृषक हैं।

अब तक विश्वविद्यालय द्वारा 38 प्रभावित कृषकों को नियमित नौकरी में रख लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो लोग दैनिक श्रमिक के रूप में विश्व-विद्यालय के प्रक्षेत्री तथा अन्य इकाइयों में यदि कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

प्राइमरी पाठशाला, अजमेरी बादशाहपुर, फैजाबाद के भवन का निर्माण

166--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में ब्लॉक बसखारी, तहसील टांडा के अन्तर्गत प्रा0 पा0, अजमेरी, बादशाहपुर के नवीन भवन निर्माण हेतु 1980 से 1983 तक कुल कितना धन दिया गया ? क्या प्रा0 पा0, अजमेरी, बादशाहपुर का भवन निर्माण पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा और अब तक निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने का क्या कारण है।

श्री अम्मार रिजवी--

प्राइमरी पाठशाला, अजमेरी बादशाहपुर के नवीन भवन निर्माण हेतु 1980 से 1983 तक कुल 17,500 रु0 दिया गया।

जी नहीं।

निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है। ठेकेदारों द्वारा कार्य रोक देने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हो जाने से कार्य पहले पूरा नहीं कराया जा सका।

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में वेतन निर्धारण सम्बन्धी नोटिस

167--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेराम असरे वर्मा, अध्यक्ष, शिक्षा संघ, इकाई शाखा, नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद द्वारा रजि0 डा0 संख्या 3146, दिनांक 12 अप्रैल, 1983 को उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले में किसी उच्च अधिकारी से जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, वह शिकायती-पत्र नहीं, अपितु वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में एक नोटिस थी कि यदि 25 अप्रैल, 1983 तक वेतन निर्धारण नहीं किया गया तो जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर 26 अप्रैल, 1983 से अनशन एवं घेराव किया जायेगा।

जांच कराने की आवश्यकता नहीं थी अपितु वेतन निर्धारण करना था, जो किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

168--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[दिनांक 20 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 52 द्वारा उत्तरित।]

169--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[दिनांक 20 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 53 द्वारा उत्तरित।

राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के साप्ताहिक विश्राम के बदले मजदूरी का भुगतान

170--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 उप धारा (2) के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, लखनऊ के सम्मन संख्या 5853/एल0 आर0-क्षति, दिनांक

29 मार्च, 1982, जो श्री बी0 एस0 माथुर तथा डी0 पी0 चौधरी, प्रबन्धक, गोमती होटल, 6, सप्रू मार्ग, लखनऊ को जारी किया गया था, का प्रतिवादी द्वारा वाद स्वीकार कर साप्ताहिक विश्राम के दिन किये गये कार्य के बदले मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त विषयक अधिनियम के पालनार्थ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अन्य पर्यटक आवास गृहों में कार्यरत कर्मचारियों को भी साप्ताहिक विश्राम के दिन किये गये कार्य के बदले मजदूरी का भुगतान किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)---

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 उपधारा (2) के अन्तगत उप श्रम आयुक्त के आदेशानुसार उन सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने साप्ताहिक विश्राम के दिन कार्य किया है, उनको मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है । इसके पश्चात् सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम दिया जाता है । इस सम्बन्ध में निगम द्वारा अन्य इकाइयों पर यह निर्देश जारी कर दिये गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम देने अन्यथा साप्ताहिक विश्राम न देने के फलस्वरूप उस दिन के वेतन का नियमानुसार भुगतान करेंगे ।

शिक्षा विभाग के उत्पादक अधिकारी पद की शैक्षिक अर्हता में संशोधन का प्रस्ताव

171--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि भूतपूर्व विधायक श्री देव कुमार यादव के पत्र, दिनांक 12 सितम्बर, 1979 के सम्बन्ध में अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ज0 प्र0-118/15-2-79 शिक्षा (2) अनुभाग, दिनांक 22 सितम्बर, 1979 के द्वारा शिक्षा विभाग के उत्पादन अधिकारी पद की अर्हता में प्रिंटिंग टेक्नालाजी के डिप्लोमा को सम्मिलित करने हेतु शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने की सूचना उन्हें दी गई थी ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री विजय सिंह का दिनांक 7-9-81 एवं 4-5-83 के पत्र शासन के शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कारण क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । उत्पादन अधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता में संशोधन के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, लखनऊ के वैक्सीनेटरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्ति एवं उनके वेतन से जमानत की धनराशि का कटौती

162--श्री खैरुल बशर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, लखनऊ के वैक्सीनेटरों को उनके स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्य से हटाकर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से) अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, लखनऊ द्वारा अवैधानिक ढंग से टैक्स, लाइसेंस और फण्ड का कार्य लिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि 9 (नौ) वैक्सीनेटरों का माह अगस्त, 83 का वेतन रोक कर [2,000 रु0 (दो हजार रुपये)] उनकी सिक्योरिटी जमा करने पर विवश किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त बेसिक हेल्थ वर्करों की नियुक्ति होने के फलस्वरूप जिला परिषद्, लखनऊ के वैक्सीनेटरों के पास कार्य शेष नहीं रह गया फलतः इन वैक्सीनेटरों के पदों को

समाप्त करने का निर्णय जिला परिषद् द्वारा लिया गया। पर इन वैकल्पिनेटरों की प्रार्थना पर विचार कर एवं मानवीय दृष्टिकोण से इनकी जीविका का आधार समाप्त न करने के उद्देश्य से इन्हें इस शर्त पर स्थायी किया गया कि ये अपने कार्य के साथ लाइसेंस, कर वसूली व फंड का भी कार्य करेंगे। फलतः इनसे यह अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है। टैक्स वसूली व फंड के कार्य हेतु 2,000 रु0 जमानत नियमानुसार जमा करायी जाती है, अतः किसी भी वैकल्पिनेटर का वेतन न रोक कर इन कर्मचारियों की सहमति से 10 रुपये प्रति माह की आसान किस्तों पर यह जमानत की धनराशि जमा कराई जा रही है।

बस्ती जिले की ईश्वर संस्कृत पाठशाला के श्री राम आसरे शुक्ल के बकाया वेतन का भुगतान

173--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सचिव, शिक्षा विभाग को श्री राम आसरे शुक्ल, ईश्वर संस्कृत पाठशाला, होशयरी बाजार, जनपद बस्ती को बकाया वेतन न दिये जाने के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1982 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? श्री शुक्ल को उनका बकाया वेतन का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री अम्बार रिजवी--

जी हां।

अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के तत्कालीन सहायक अध्यापक, श्री जव्वाद अली बरगदही, प्राइमरी पाठशाला का बकाया वेतन

174--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री जव्वाद अली, सहायक अध्यापक, जब प्राइमरी पाठशाला बरगदही, नानकार, विकास क्षेत्र बांसी, जनपद बस्ती में कार्यरत थे, सितम्बर, 1981 का वेतन तथा जब वह प्राइमरी पाठशाला धर्मसिंहवा बाजार, विकास क्षेत्र खेसरहा, जनपद बस्ती में कार्यरत थे तो जुलाई, 1982 का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री अली के बकाये वेतन का तुरन्त भुगतान कराकर दोषी कर्मचारियों को दंडित करेंगे ?

श्री अम्बार रिजवी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती से प्राप्त सूचनानुसार श्री जव्वाद अली, सहायक अध्यापक का माह सितम्बर, 1981 तथा माह जुलाई, 1982 का अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत किसानों को दिये गये पशु

175--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कुल कितने दुधारू व अन्य जानवर, डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत किसानों को ऋण द्वारा क्रय कराये गये तथा इनमें से कुल कितने जानवरों का बीमा राजकीय नियमों के अनुसार कराया गया तथा यह बीमा किस कम्पनी के द्वारा कराया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--,

जनपद बस्ती में वर्ष 1981-82 में 746 व 1982-83 में 2120 दुधारू एवं अन्य पशु क्रय कराये गये। इनमें से कुल 2728 पशुओं का बीमा निम्न कम्पनियों द्वारा कराया गया--

1--दी ओरिएन्ट फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी, गोरखपुर।

2--दी न्यू इन्श्योरेंस कम्पनी, गोरखपुर ।

3--दी यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी, गोरखपुर ।

4--नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी, गोरखपुर ।

श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, एकडंगवा, जिला बस्ती की पेंशन एवं बकाया वेतन

176--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, सेवा निवृत्त, सहायक अध्यापक जो जूनियर हाई स्कूल, एकडंगवा, विकास खंड स्थोली, जनपद बस्ती से 30 जून, 1980 को सेवा-निवृत्त हुए थे, को अब तक बकाया वेतन, भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि देय धन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सभी बकाया देय धनों का तुरन्त भुगतान कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री अम्बिकामणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक दिनांक 30-6-1980 को सेवा निवृत्त थे । उनके भविष्य निधि का 2313.57 रुपया चेक नं0 3366/17, दिनांक 19-12-83 द्वारा भुगतान कर दिया गया है । पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है । सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होते ही पेंशन का भुगतान कर दिया जायगा । अध्यापक का कोई देय वेतन अवशेष नहीं बताया गया है, फिर से इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है । उक्त के लिए कोई दोषी नहीं है । अतः उसे दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम आसरे शुक्ल, सहायक अध्यापक, ईश्वर संस्कृत पाठ-शाला, बस्ती का बकाया वेतन

177--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 2-9-82 बाबत श्री राम आसरे शुक्ल, सहायक अध्यापक, ईश्वर संस्कृत पाठ-शाला, घोसियारी बाजार, जनपद बस्ती के वेतन भुगतान न किये जाने के बारे में सचिव, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन मामलों में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी और श्री शुक्ल को कब तक वेतन भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन विकास निगम द्वारा बौद्ध तीर्थ स्थलों की विकास योजना

178--श्री दिवाकर विक्रम सिंह --

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटन विभाग अथवा उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बौद्ध तीर्थ स्थानों के विकास तथा वहां पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि हेतु कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह तीर्थ स्थान कौन-कौन से हैं और योजना क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां ।

बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास हेतु यात्रा परिपथ विभाग द्वारा तैयार किया गया जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । निर्धारित परिपथ पर पड़ने वाले स्थलों को सुनियोजित ढंग से विकसित करने का प्रस्ताव है जिससे

कि अधिक से अधिक तीर्थ यात्री आकर्षित हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन केन्द्रों का विकास, आवासीय व्यवस्था का निर्माण, मार्गीय सुविधा तथा यातायात की सुविधा सम्मिलित है। जिन स्थानों पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है, निम्नवत् है :--

योजना का नाम	शैय्यायें	अनुमानित लागत
1	2	3
		लाख
1--यात्री निवास, इलाहाबाद	100	8.95
2--आधुनिक स्वागत केन्द्र, गोरखपुर	40	20.43
3--पर्यटक आवास गृह, नौगढ़	20	5.44
4--पर्यटक आवास गृह, बलरामपुर	20	6.06
5--पर्यटक आवास गृह, अयोध्या	100	18.96
6--आधुनिक स्वागत केन्द्र, अयोध्या	40	14.68
7--मोटल हिण्डन	20	8.76

इसके अतिरिक्त निम्न स्थानों पर योजनायें स्वीकृत हैं तथा कार्य प्रारम्भ किया जाना है :--

		लाख
1--पर्यटक आवास गृह, श्रावस्ती	50	11.21
2--पर्यटक आवास गृह, कुशानगर	100	17.36
3--मोटल, कानपुर	20	5.35
4--यात्री निवास, वाराणसी	100	18.95
5--आधुनिक स्वागत केन्द्र, वाराणसी	40	14.68
6--पर्यटक आवास गृह, गोरखपुर	50	11.21
7--आधुनिक स्वागत केन्द्र, लखनऊ	40	20.43
8--मार्गीय सुविधा, बवर	8	3.81
9--मार्गीय सुविधा, सुल्तानपुर	8	3.74
10--मार्गीय सुविधा, बस्ती	8	3.74

सुनौली तथा हिण्डन में क्रमशः आधुनिक स्वागत केन्द्र (40 शैय्या) तथा मार्गीय सुविधा (8 शैय्या) के निर्माण की योजनायें पूर्ण हो गई हैं। जिला सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में कपिल के पर्यटन विकास की योजना अनुमोदित की जा चुकी है।

सेवा निवृत्त श्री सुखरू प्रसाद उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, छितरावार जिला बस्ती का बकाया वेतन

179--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जू0 हाई स्कूल, श्री सुखरू प्रसाद उपाध्याय का माह फरवरी, 1975 से दिसम्बर, 1975 तथा माह जुलाई, 1976 से अक्तूबर, 1976 तक कुल 15 माह का वेतन जब यह जू0 हा0 स्कूल, छितरापार, विकास खंड उसका, जनपद बस्ती में कार्यरत थे तथा माह अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक 4 माह का वेतन जब वह जू0 हा0 स्कूल, मेहदूपार, विकास खंड साथा, जनपद बस्ती में कार्यरत थे, सम्बन्धित प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अकारण रोक दिये जाने से आज तक नहीं दिया गया ? क्या मंत्री जी श्री उपाध्याय के उक्त अवधि के सम्पूर्ण वेतन बकाये तथा अन्य सभी देयों का भुगतान अविलम्ब कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री सुखरू प्रसाद उपाध्याय, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक का माह मार्च, 1975 से दिसम्बर, 1975 तक जब वह जूनियर हाई स्कूल छितरापार में कार्यरत थे व अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक जब वह जूनियर हाई स्कूल मेहदूपार विकास खंड साथा में कार्यरत थे, का वेतन, राजकीय धन व्यपहरण करने, विद्यालय के अभिलेखों का सम्पूर्ण चार्ज न देने तथा कन्टिनजेंसी एवं कृषि कार्य सम्बन्धी आय-व्ययक का लेखा-जोखा न देने के कारण रोका गया है ।

श्री उपाध्याय के विरुद्ध लम्बित आरोपों के निराकरण के बाद ही उनके अवशेष देयकों का भुगतान किया जाना नियमानुसार सम्भव होगा । अवशेष देयकों के अभी तक भुगतान न हो पाने के लिए श्री उपाध्याय स्वयं उत्तरदायी हैं । अतः दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दू इंटर कालेज, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर की भूमि एवं कृषि प्रसार योजना

180--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू इंटर कालेज, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर में भूमि उपलब्ध न होने पर भी कृषि प्रसार योजना चलायी जा रही है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत विद्यालय में भूमि उपलब्ध है जिस पर कृषि प्रसार योजना चलायी जा रही है ।

सीतापुर जिले के कतिपय विकास खंडों की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं तथा जूनियर हाई स्कूल

181--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खंड खैराबाद परसेंडी तथा एलिया में वर्ष 77-78, 78-79 तथा 79 80 में किस-किस गांव में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल खोले गये और उनमें से किस-किस विद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया है ? जहां भवन नहीं बना है वहां न बनने का क्या कारण है तथा कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 77-78, 78-79 तथा 79-80 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सीतापुर जनपद के विकास खंड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया में खोले गये विद्यालयों की सूची संलग्न है ।

वर्ष 77-78 में खोले गये प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है । वर्ष 78-79 में खोले गये विद्यालयों में से खैराबाद विकास खंड में प्राइमरी पाठशाला उनसिया तथा वर्ष 79-80 में खोले गये विद्यालयों में से परसेंडी क्षेत्र में प्राइमरी पाठशाला समैसा का भवन पूर्ण हो गया है ।

6 विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं । जिन विद्यालयों के भवन नहीं बन सके हैं उनका चयन समिति द्वारा भवनों के निर्माण के लिए चयनित न होना है ।

शासन के पास ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते रहते हैं बेसिक परिषदीय भवन रहित स्कूलों के भवन निर्माण हेतु जनपदवार अनुदान की धनराशि स्वीकृति की जाती है जिससे जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित विद्यालय भवनों का ही निर्माण होता है । अतः जनपद के उक्त भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण कब तक हो सकेगा यह बताना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 152 पर ।)

182--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

श्री टापू राम गुप्त, सहायक लिपिक, स्वरूप नरायण इंटर कालेज, फर्रुखाबाद की सेवा निवृत्ति के विरुद्ध की गई अपील

183--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि टापूराम गुप्त, सहायक लिपिक, स्वरूप नारायण इंटर कालेज, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद की सेवा निवृत्ति के विरुद्ध की गयी अपील दिनांक 23-7-66 पर अभी तक शासन द्वारा कोई निर्णय न देने का क्या कारण है तथा निर्णय कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री टापूराम गुप्त, सहायक लिपिक स्वरूप नारायण इंटर कालेज, कन्नौज, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 23-7-66 को जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद को अपील की गई थी। इस अपील पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 20-5-78 को निर्णय दिया। इस निर्णय के विरुद्ध श्री गुप्त ने मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को अपील की। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक ने इस अपील पर अपना निर्णय दिनांक 2-11-83 को दिया जिसकी प्रति श्री टापूराम गुप्त को दी जा चुकी है।

सीतापुर जिले की अल्प संख्यक शिक्षा संस्थाएं

184--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में अल्प संख्यक शिक्षा संस्थायें कौन-कौन हैं जिन्हें भारत का संविधान की धारा 30 (1) के अधीन संरक्षण प्राप्त है ?

श्री अम्मार रिजवी--

उपलब्ध सूचनानुसार जनपद सीतापुर में ऐसे विद्यालय निम्नांकित हैं :--

1--सेक्रेड हार्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

2--मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल।

5--फुरकानियां गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, विसवां।

बी0 बी0 इन्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर के अध्यापक, श्री विद्याराम अग्रवाल का शिकायती-पत्र

185--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बी0 बी0 इन्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर के अध्यापक श्री विद्याराम अग्रवाल द्वारा विद्यालय में अन्य अध्यापकों के साथ हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र फरवरी, 1983 में उन्हें मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोरम का अभाव होने से अल्पसूचित प्रश्नोत्तर के लिए निर्धारित समय न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सदन 6 मिनट देर से, कोरम पूरा न होने के कारण शुरू हुआ। प्रक्रिया नियमावली के नियम 31 के अनुसार 20 मिनट का समय अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिए तथा 1 घंटे का समय तारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित है। उसमें यह नहीं लिखा है कि 11 बजे से 20 मिनट, बल्कि 20 मिनट अल्पसूचित के लिए होंगे। प्रश्न करने का विरोध पक्ष का ही अधिकार होता है जिसके द्वारा सत्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पक्ष से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । अगर उस अधिकार से हम वंचित रहते हैं तो हमारे अधिकारों की रक्षा मान्यवर, किस प्रकार हो पायेगी ? जब 20 मिनट का समय निर्धारित है तो वह 20 मिनट का समय हमें अल्पसूचित प्रश्नों के लिए मिलना चाहिये था जो, आज नहीं मिला । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

सदन 11 बजे से आरम्भ होता है और 11 बजे से ही 20 मिनट का समय निर्धारित है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिए । अब मान लीजिये कि सदन 12 बजे से या साढ़े 11 बजे से आरम्भ हो, तो यह कैसे सम्भव होगा कि उस समय से 20 मिनट दिये जायें ? 11 बजे से ही 20 मिनट माने जाते हैं अगर वह समय निकल गया तो वह फिर आगे कैसे मिलेगा ?

श्री हुकुम सिंह--

मेरा अनुरोध है, मान्यवर, जब से सदन बैठे तब से 20 मिनट आप दें, क्योंकि इस तरह से तो यह सत्ता पक्ष कभी समय से कोरम पूरा होने ही नहीं देगा और समय निकल जाया करेगा ।

श्री अध्यक्ष--

उसके लिए ही तो मैंने चेतावनी दी है ।

श्री हुकुम सिंह--

मगर मान्यवर, उसका कुछ असर सत्ता पक्ष पर होता ही कहां है ? आज न तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे और न माननीय नेता सदन थे ।

(माननीय नेता सदन के आने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि आज सदन 6 मिनट बाद बैठा, कोरम न होने के कारण। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाये ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, आप किसी-किसी प्रश्न को 12 मिनट दे देते हैं और किसी को 2 सेकिन्ड का ही समय देते हैं । हमारे जैसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो आप 2 सेकिन्ड का ही समय देते हैं । आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी 20 तारांकित प्रश्न जो एजेन्डे में होते हैं, आ जाया करें ।

श्री अध्यक्ष--

आपका अतारांकित प्रश्न 124 है, जिसका यह उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । अब यह नियम 38(2) के अन्तर्गत चौथे सोमवार के लिए एजेन्डे में आयेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैंने जो आपको लिखकर दिया है उसके बारे में यह आप कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, आपके बारे में है ।

गोरखपुर जनपद के सदर तहसील में नीलगायों द्वारा फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से श्रीमती गौरी देवी, माननीय मित्र सेन, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, माननीय शंकर सिंह,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय राम स्वरूप वर्मा, माननीय नंद किशोर सिंह तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है । बाकी को अस्वीकार किया है ।

*श्रीमती गौरी देवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जनपद के सदर तहसील के सैकड़ों गांवों, सेवई, ककराखोर, भौवापार, व्यवहरिया, फरसही, ऊंचगांव, बलुईगाड़ा, चेरिया, महोव आदि की हजारों एकड़ फसल जगली जानवरों, नीलगाय द्वारा बरबाद की जा रही है । लाखों रुपयों की फसल को नीलगाय दो संख्या में आकर खा डाल रहे हैं तथा उनके खेतों में दौड़ने से तहस-नहस हो गई है । दर्जनों प्रधान एवं मैं जिला प्रशासन से इस सम्बन्ध में पूरे जनवरी से अब तक अनुरोध कर चुके हैं परन्तु इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन मौन है ।

नीलगायों के इस क्षेत्र में घूमने से फसल बरबादी के साथ किसान परेशान या तबाह है, रातदिन सो नहीं पा रहा है । किसानों में भारी असंतोष है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति करने, नीलगायों से फसल को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सरकार से मांग करती हूं ।

रेतवा गाड़ा (गोंडा) में स्पेशल कम्पोनेन्ट तथा आई0 आर0 डी0 स्कोम में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोंडा, विकास क्षेत्र रेतवा गाड़ा के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट तथा आई0 आर0 डी0 स्कोम में जो लाखों रुपये के घपले तथा गम्भीर अनियमितताएं की जा रही हैं उस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं । वर्ष 1981-82 व 1983 में कम्पोनेंट योजना के पात्र हरिजन परिवारों को लाभान्वित न करके, दर्जनों कुपात्र तथा एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से अनुचित लाभ दिया गया है और उन्होंने अपनी वल्दियत तथा जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र संलग्न किया है । फर्जी हरिजन प्रमाण-पत्र के आधार पर उदाहरण स्वरूप बड़कऊ नानक चंद, आत्मज नवल बिहारी, ग्राम उजैनो व दयाराम, अनखी तथा सुंदर पुत्र बुधई, गजाधर, हजारी लाल, जयराम और राम-तीरथ पुत्र रामसमुझ व राकेवल पुत्र पुदई, श्याम लाल पुत्र सोमन व सोमन पुत्र उदित आदि ग्राम व विकास क्षेत्र रेतवा गाड़ा ने, राजस्व विभाग के फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर ग्राम विकास अधिकारी की साजिश से हरिजन अनुदानों की लूट की है तथा धन का दुरुपयोग किया है । इसी प्रकार सिपाही सिंह पुत्र दुखी सिंह, राजमणि सिंह, परमेश्वर सिंह, उदयराज सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह ने आई0 आर0 डी0 स्कीम के अंतर्गत पात्र न होते हुए भी अनुचित लाभ उठाया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने एव दोषी कर्मचारियों को दंडित करने की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंझनपुर, इलाहाबाद में बस अड्डा न होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद इलाहाबाद, मंझनपुर बाजार में बस अड्डा न होने से जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को भारी कष्ट एवं जटिल समस्याओं के प्रति आकर्षित कराना चाहता हू । लगभग 25,000 की आबादी का मंझनपुर एक बहुत बड़ा बाजार है और टाउन एरिया भी है । खेद की बात है कि शासन की बसों को बाजार में खड़ी न करके 2 कि0 मी0 दूर मनचाहे ढंग से किसी सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है ।

बाजार में बस अड्डा की प्रस्तावित पुराना भवन एवं भूमि है । सम्बन्धित परगना अधिकारी श्री जग प्रसाद ने सारी औपचारिकतायें पूर्ण करके स्थानीय परिवहन विभाग को दे दिया है । भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे परन्तु अभी तक कोई प्रगति नहीं है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि बस अड्डे की प्रस्तावित पुराना भवन एवं भूमि पर कार्यवाही शीघ्र किया जाय तथा जनहित में बाजार में ही बसों को खड़ी करने के लिये परिवहन अधिकारियों को कड़ा निर्देश देने की कृपा करें ।

सिकन्दरपुर, जालौन के धर्मजीत सिंह की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह—

माननीय, मैं अत्यन्त लोक महत्व की अविलम्बनीय घटना की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जालौन जनपद के ग्राम सिकन्दरपुर निवासी भारतीय सेना में कार्यरत सूबेदार धर्मजीत सिंह को 6 नवम्बर को जनपद जालौन में नदी गांव के निकट एक मेले में कुछ पुलिस सिपाहियों द्वारा गोली मार कर जान से मार दिया गया था । सूबेदार धर्मजीत सिंह की यह हत्या इस कारण की गयी थी क्योंकि वे हत्यारे सिपाहियों द्वारा मेले में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने तथा अभद्र व्यवहार करने का विरोध कर रहे थे । गम्भीर रूप से घायल होने के बाद उक्त पुलिस के हत्यारे उनको पुलिस वाहन में डाल कर नदी गांव पुलिस चौकी ले गये जहां उनका देहांत हो गया । नदी गांव में सूबेदार के जीवित रहते ही स्वास्थ्य केन्द्र का डाक्टर भी इस मौके पर पहुंच गया था परन्तु पुलिस ने उसको भी मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लेने दिया ।

स्थानीय पुलिस उक्त काण्ड में केवल निष्क्रिय ही नहीं हो गयी है, अपितु गवाहों को आतंकित कर रही है । मृतक के भाई ने शासन को सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने के आवेदन-पत्र दिये हैं, परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता शासन द्वारा नहीं दी गयी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम सभा उडी, प्रतापगढ़ की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय, मैं निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के तथ्य को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

ग्राम सभा उडी जिला व तहसील सदर-प्रतापगढ़ की बंजर चकमार्ग, खेल का मैदान, हरिजन आबादी, कन्या पाठशाला का मैदान, खलिहान व कुछ परती भूमि राजस्व विभाग के एक पी0 ए0 रैंक के सचिवालय स्थित अधिकारी ने हड़प ली है और अनधिकृत कब्जा जमाये हुये हैं जो इसी गांव के निवासी हैं । गांव वालों की राजस्व विभाग ने नहीं सुनी । जिससे उस इलाके में भीषण रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि गांव की भूमि जब उक्त व्यक्ति के अनधिकृत कब्जे से क्यों नहीं मुक्त करायी गयी ?

देवरिया जनपद में फैक्ट्रियों के कारण छोटी गण्डक का पानी विषाक्त होने से मछुआरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देवरिया जिले में छोटी गण्डक का पानी विषाक्त हो गया है । कारण यह है कि उस नदी में डिस्टलरी कप्तानगंज और शुगर फैक्टरी कप्तानगंज का पानी गिरता है । दो हजार से ऊपर मछुआ परिवार भुखमरी का शिकार हो गया है । हजारों की संख्या में पशु पानी पी करके मर गये हैं । लोग उस नदी में उपरोक्त दो फैक्टरियों का पानी गिराने का विरोध कर रहे हैं । देवरिया जिले की विपक्षी पार्टियों ने उक्त फैक्टरियों का घेराव करने का निर्णय 15 मार्च, 1984 से करने जा रहे हैं । इससे कप्तानगंज, हेतिमपुर, भटनी के पूरे इलाके में भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है ।

अस्तु इस माननीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि उपरोक्त मछुआ परिवारों को आर्थिक मदद दें तथा उक्त फैक्टरियों का पानी इस नदी में गिरने से रोकने की व्यवस्था करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिधौली में सिपाहियों द्वारा ट्रक ड्राइवर को गोली मारने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, रक्षकों के भक्षक बन जाने की एक दर्दनाक एवं निर्लज्जतापूर्ण घटना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । अभी तड़के सीतापुर से लखनऊ आने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर सिधौली से कुछ ही आगे दो ट्रक ड्राइवर सड़क के किनारे एक होटल पर सो रहे थे कि पुलिस जीप आ धमकी । सिपाहियों ने पहले चाय पिया । सोते ड्राइवरों को जगा कर भुगतान के लिए कहा । आनाकानी करने पर एक सिपाही ने ड्राइवर को गोली मार दी । उसकी दशा चिन्ताजनक है । सर्वाधिक लज्जाजनक बात यह है कि जब वह सिधौली थाने प्रथम सूचना अंकित कराने पहुंचे, तो उन्हें भगा दिया गया । कुपित होकर ट्रक ड्राइवरों ने रास्ता जाम कर दिया । मैं स्वयं 8·30 बजे प्रातः वहां पहुंचा, तब तक लगभग 200 ट्रक सड़क पर जाम हो चुके थे । लखनऊ सीतापुर यातायात बन्द है । उनकी मांग है कि प्रथम सूचना न लिखने तथा संघातक हमला करने के दोषी पुलिस जनों को दंडित किया जाये । 3 बजे घटना घटी, 9 बजे तक की मेरी निजी जानकारी है कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा । अकारण आहत किये गये ट्रक ड्राइवर के प्रति पूर्ण संवेदना प्रकट करते हुए मैं मांग करता हूं कि दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जावे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, मैं स्वयं वहां से साढ़े 3 बजे चला और 10 बजे लखनऊ आया, रास्ता वहां पर जाम था ।

बस्ती में बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों को बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास दो औचित्य के प्रश्न आये हैं । एक श्री माता प्रसाद पाण्डेय का और एक श्री रजेन्द्र गुप्त का है । पाण्डेय जी, इसके बारे में कुछ कहना है ?

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने औचित्य का प्रश्न आपको दिया है । मैंने नियम 301 के माध्यम से 20 फरवरी, 1984 को इस सदन में एक मामला अपने जिले के सम्बन्ध में जो परीक्षा केन्द्र हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट के निर्धारित किये गये हैं, उठाया था । उसमें मैंने कहा था कि नेपाल और लखनऊ से लड़के हमारे यहां परीक्षा देने जाते हैं और उनसे काफी धनराशि वसूल की जाती है और उनकी सुविधानुसार केन्द्र निर्धारित किये जाते हैं । इस सन्दर्भ में पिछले वर्ष भी कई बार मामला सदन में उठा था और सरकार ने जांच भी करायी थी और यह बात पकड़ में आयी कि लखनऊ और नेपाल के लड़के परीक्षा देने आते हैं । आज भी उन्हीं परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र बना दिया गया । इस सन्दर्भ में मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया था । 301 की सूचना के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो पत्र भेजा उसमें है कि जांच करा रहे हैं । मेरी जानकारी है कि कोई जांच नहीं हुई । 20 मार्च से परीक्षा होने जा रही है, परीक्षा केन्द्रों को परिवर्तित नहीं किया गया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन ने जांच कराने की बात की और शासन के संज्ञान में आया कि परीक्षा केन्द्र 20 हजार और 40 हजार रुपये लेकर निर्धारित किये गये हैं तो फिर आज तक उन परीक्षा केन्द्रों को परिवर्तित न करने या जांच न कराने का क्या कारण है ?

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

इन परीक्षा केन्द्रों के मामले की जांच कराई जा रही है । इसमें कई केन्द्र का मामला था जिससे जांच अभी पूरी नहीं हो सकी ! एक केन्द्र की बात होती तो अब तक जांच समाप्त हो गई होती । पूरी जांच कराकर आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा और अगर किसी केन्द्र को बदलना पड़ा या लड़कों को दूसरी जगह भेजना पड़ा तो भेज दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने बस्ती के हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के व्यक्तिगत व संस्थागत छात्रों के परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत 20 फरवरी, 1984 को एक विषय सदन में उठाया था । इस सन्दर्भ में राज्य मन्त्री के 24-2-84 के उत्तर द्वारा यह सूचना उपलब्ध करायी गयी है कि उक्त प्रकरण की जांच तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य इस आधार पर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं कि आज तक उक्त केन्द्र के बदलने की कोई व्यवस्था या कार्यवाही नहीं की गयी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 14(1) के अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत उठायी गयी किसी सूचना का अन्तिम उत्तर देने के लिए अधिकतम एक माह का समय निर्धारित है और श्री पाण्डेय की प्रश्नगत सूचना के प्रसंग में एक माह का समय अभी व्यतीत नहीं हुआ है । अतः इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है और मैं उसके लिए अनुमति नहीं देता हूं । फिर भी मैं शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करके सूचना हमको तथा श्री पाण्डेय को दे दी जाय ।

दैनिक समाचार-पत्र "आज" के नगरीय संस्करण में माननीय अध्यक्ष तथा श्री किरन पाल सिंह का नाम गलत छापे जाने की शिकायत

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, तीन मार्च का आज अखबार का नगरीय संस्करण है । इसमें आपके बारे में और हमारे माननीय सदस्य श्री किरन पाल सिंह का नाम गलत छपा है । आपका नाम धरमपाल सिंह और किरनपाल सिंह को रक्षा पाल सिंह लिखा गया है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप इनको निर्देशित करें कि नामों को सही छापें ।

श्री अध्यक्ष--

सम्बन्धित प्रेस प्रतिनिधि इसका ध्यान रखें ।

हिन्दुस्तान टाइम्स की संवाददाता सुनीता सरन को प्रताड़ित किये जाने की शिकायत

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । प्रेस दीर्घा में हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर सुनीता सरन यहां की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करती हैं । इस देश की प्रधान मंत्री जब आयी हुई थीं तो उन्होंने असन्तुष्टों के बारे में, उनसे आप मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कुछ सवाल किये ।

इस सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा....

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोहन सिंह--

और धमकियां दी । श्रीमन्, इससे इस सदन की स्वतन्त्र रिपोर्टिंग पर बाधा पैदा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यहां निष्पक्ष रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसका भविष्य में ध्यान रखें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतिरिक्त बिक्रीकर व मंडी शुल्क के विरोध में व्यापारियों के अन्दोलन के सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पिछले महीने की 22 तारीख को अतिरिक्त बिक्रीकर और मंडी शुल्क के बारे में जो आन्दोलन चल रहा है इस पर मान्यवर, विस्तार से मैंने प्रकाश डाला था और माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है और साथ ही यह आश्वासन दिया था कि इस आदरणीय सदन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्यों को बुलाकर एक बैठक होगी और विचार किया जाएगा। मान्यवर, अभी तक इस तरह की विधिवत बैठक नहीं हुई कि आन्दोलनकारी व्यापारी के प्रतिनिधि बुलाये गये हों। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तेजना और फैल रही है वह आमरण अनशन पर बैठ गये जिनमें मान्यवर, दो कि हालत चिन्ताजनक है और एक तो मरणांसन्न है। अभी तक सरकार की तरफ से आश्वासन देने के बाद भी कि बैठक करके मामले का निस्तारण किया जाए, कोई इस तरह की मान्यवर, कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की। उस घोषणा से कुछ व्यापारियों ने बड़े सौहार्द के साथ समझने का प्रयास किया और यह भी समझने लगे कि जमानत के केस में नगद नहीं जमा करना पड़ेगा। जो उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है यह नहीं की जाएगी। लेकिन बराबर बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लोग जमानत की नगद धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं उनको फार्म नहीं दिए जा रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यापारियों ने फैसला कर लिया है कि 6 तारीख को बिक्रीकर अधिकारियों का घेराव करेंगे। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि नेताओं की बैठक करेंगे नेताओं की बैठक बुलाकर बात की जाएगी। मान्यवर, कोई समाधान न होने के कारण अशान्ति बढ़ रही है। मान्यवर, क्योंकि यह सदन का मामला है चूंकि सदन में इसका उल्लेख हुआ है इसलिए सदन में इस बात को जानने के हम हकदार हैं।

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैंने उसमें दो बातें कहीं, एक तो यह कि शासन विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत सारे ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं। 23 फरवरी को मैंने इस प्रदेश के करीब 21 व्यापारियों को बुलाया, लेकिन मुझे खेद है कि यह वित्तीय मामले आन्दोलन से तय नहीं हुआ करते और उसमें मैंने यह भी कहा कि जमानत करने की तारीख बढ़ा दी गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि काफी माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में बात हुई है और इसी सत्र में जब संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा, कि सब सन्तुष्ट हों।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य दोनों को सुना और माननीय मंत्री और माननीय सदस्य को सुनने के बाद जैसी मैं पहले भी व्यवस्था दे चुका हूं कि सदन में दिए गये आश्वासनों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन समिति कार्य करती है और ऐसे मामलों में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपने अस्वीकार किया कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, बैठक बुलाकर उसमें कार्यवाही करेंगे और माननीय सदस्य को इसकी सूचना भेज देंगे।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन†

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन, जो नैनीताल, देहरादून जनपदों में किये जा रहे ग्राम विकास कार्यों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत कर रहा हूं।

†छापा नहीं गया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय से पूर्व अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध मे सूचना

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बारे में मैं इस आदरणीय सदन के सम्मुख, जो हम लोगों के कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं हैं, के बारे में अध्याय-4 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करें, सदन के अन्दर नियम 56 के अन्तर्गत किसी उपवेशन के लिये प्राप्त सूचनाओं में से अधिकतम तीन सूचनाओं को, ग्राह्यता पर निर्णय देने हेतु, सदन में पढ़ने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। करण संख्या 15 के अधीन उन्हीं सूचनाओं के विषय में अध्यक्ष के विवेकानुसार अनुज्ञा प्रदान की जायगी, जो निम्नांकित शर्तों को पूरी करती हो :--

(1) सूचना नियमावली के नियम 58 तथा 59 के प्रतिकूल न हो।

(2) सूचना 8 दिनों से अधिक पुरानी न हो। यदि सदन 8 या उससे अधिक दिनों के अन्तराल के उपरान्त उपवेशित हो, तो अवधि की उक्त सीमा शिथिल की जा सकती है,

(3) सूचना 200 शब्दों से अधिक न हो।

अब दो सौ शब्दों से अधिक की सूचना स्वीकार नहीं करूंगा। खासतौर से नियम 56 की सूचना 200 शब्दों से अधिक की न हो। यदि नियम 56 के अधीन प्राप्त किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हों, अथवा एक ही विषय पर दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा अलग-अलग सूचना दी गयी हो, तो अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी एक सदस्य को करण संख्या 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान कर सकेंगे। नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना को अग्राह्य घोषित करते समय अध्यक्ष शासन पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और ऐसी सूचनाओं पर वही प्रक्रिया लागू होगी, जो नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर लागू है। नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना को अग्राह्य घोषित करते समय अध्यक्ष शासन को वक्तव्य के लिये निर्देशित कर सकेंगे। आज से इसी के अनुसार कार्य होगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, क्या आज तक इसके विपरीत होता आया है ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा ही होता आया है, लेकिन लोग खड़े हो जाते हैं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज सबसे कम 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री शंकर सिंह का बलिया जनपद के चांदपुर ग्राम में बस के तालाब में गिरने से 14 बच्चों के मरने के सम्बन्ध मे तथा पुरानी बसों को सेवा से हटाने एवं ड्राइवरों के चयन में सावधानी बरतने के सम्बन्ध में है। श्री मित्रसेन, श्री लल्लू सिंह चौहान तथा श्री भोखा लाल की, प्रदेश में टैक्सियों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप प्रदेश में आर्थिक क्षति एवं भारी असंतोष के सम्बन्ध में हैं। श्री कुबेर भण्डारी की, माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों तथा अफसरों की अवैध बसों के विभिन्न राष्ट्रीय मार्गों पर चलने से सरकार को होने वाली क्षति के सम्बन्ध में है। श्री सरदार सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की उग्रवादी दल

बब्बर खालसा द्वारा मेरठ के एक पत्रकार एवं उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी के सम्बन्ध में है। श्री केदार नाथ सिंह तथा खैरुल बशर की जनपद गोरखपुर में श्री राम कृपाल कुर्मी की फर्जी मुठभेड़ में हत्या किये जाने के सम्बन्ध में हैं। श्री अकबाल हुसैन की, प्रदेश के व्यापारियों द्वारा बिक्रीकर अध्यादेश तथा मंडी शुल्क अध्यादेश को हटाने हेतु चलाये जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में हैं। इसमें वक्तव्य हो चुका है। श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा श्री विद्यासागर नौटियाल की, पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी के फलस्वरूप असामयिक मौतों के सम्बन्ध में तथा श्री हुकुम सिंह की, इटावा में लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राणघातक हमला किये जाने के सम्बन्ध में है।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2 मार्च, 1984 को बलिया जनपद के चांदपुर ग्राम में जो घटना घटी है, उसके सम्बन्ध में मैं कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया हूं। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और हाल ही में घटी है। यह इसलिए लोक महत्व का प्रश्न है, चूंकि आज प्रदेश में रोडवेज की जितनी बसें चल रही हैं, वे सभी चलने के योग्य नहीं हैं। परन्तु उन्हें जबरदस्ती चलाया जा रहा है। जिस घटना का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं, वह भी इसी कारण घटी है। समाचार पत्रों में कहा गया है कि वह बस खराब हो गई थी, पैसेन्जर बस छोड़कर चले गये थे। ड्राइवर ने उस को स्टार्ट किया तथा ट्रायल के लिए ले गया। आगे जाकर उस ड्राइवर ने बच्चों को बैठा लिया। वह बस आगे जाकर एक तालाब में गिर गई, फलस्वरूप 14 बच्चों की जानें चली गईं। अब यह पता नहीं कि बस की मशीनरी खराब हो गयी थी, टायर खराब हो गया था या फिर ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, यह सब तो उस समय मालूम हो जायेगा जब यहां पर सरकार की ओर से बक्तव्य आयेगा। लेकिन यह निश्चित है कि बस की खराबी के कारण 14 बच्चों की जानें गयीं।

मान्यवर, यह एक बहुत ही अहम मसला है। आज प्रदेश में जो जर्जर बसें रोडवेज की चल रही हैं, उन्हें तुरन्त हटाया जाय। आज जो ड्राइवर नियुक्त किये जाते हैं, वे सभी अधिकारियों को पैसा देकर नियुक्त कर दिये जाते हैं। इन ड्राइवरों को ठीक प्रकार से बस चलाना भी नहीं आता है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव को यहां पर लाया हूं। मैं चाहूंगा कि जो ड्राइवर नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति ठीक प्रकार से हो तथा जो पुरानी बसें हैं उन्हें हटाया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न होने पाये। मान्यवर, आप इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस पर चर्चा करवायें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने प्रदेश के उस प्रश्न को आज इस सदन में उपस्थित किया है, जिसमें 30 हजार टैक्सियां बन्द हो गई हैं। मान्यवर, प्रत्येक टैक्सी से 3 व्यक्तियों को रोजी मिलती थी, परन्तु आज इनके बन्द हो जाने से 90 हजार व्यक्तियों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि हरिजन वित्त विकास निगम ने पढ़े लिखे लोगों को पूर्ववर्ती सरकार में मार्जिन मनी दे कर 25 हजार रुपये टैक्सी खरीदने के लिए दिया था। आज करोड़ों रुपया बैंकों का उनके ऊपर बकाया है और इस वित्त विकास निगम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का भी उनके ऊपर बकाया है। आज देहातों में लोकल टैक्सियों के बन्द हो जाने से सारे लोग रास्ते में खड़े रहते हैं। इस समय शादी-ब्याह का अवसर है, किन्तु वहां पर आवागमन के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। बच्चे, बूढ़े, लड़कियां और औरतें रास्ते में खड़ी रहती हैं। इन टैक्सियों के बन्द हो जाने से 90 हजार परिवार प्रभावित हुए हैं।

मान्यवर, आज जिलों में जो टैक्सियां चल भी रही हैं, वह सिर्फ पुलिस अधिकारियों की चल रही हैं और कांग्रेसी नेताओं की चल रही हैं और या फिर मंत्रियों की चल रही हैं। प्राइवेट टैक्सियां कोई भी नहीं चल रही हैं। अभी प्रधान मंत्री जी सुलतानपुर में आयीं थीं। तो सुलतानपुर की जितनी भी प्राइवेट टैक्सियां थीं, उन्हें इन्होंने अपनी भीड़ बटोरने के कार्य में लगा लिया, और जनता के लिए वहां पर कोई भी प्राइवेट टैक्सी उपलब्ध नहीं है। आप इस पर सरकार का वक्तव्य दिलवायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने यदि कोई भी आरोप वाली बातें कहीं होंगी तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व भी इस आदरणीय सदन में राजनैतिक हत्याओं का मामला उठाया जाता रहा है। आज राजनैतिक हत्यायें इस हद तक पहुंच गई हैं कि हमारे प्रान्तीय लोकदल के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के नेता विपक्षी दल श्री मुलायम सिंह जी के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया। ज्योंही हमें इस बात की खबर मिली तो हमने जानकारी करने की कोशिश की। जानकरी हमें यह मिली कि वह इटावा से मैनपुरी जा रहे थे। कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोली चलाई गई। हमारा एक कार्यकर्ता मोटर-साइकिल पर जा रहा था, उसे बदमाशों ने मौके पर मार गिराया।

मान्यवर, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जो स्थिति इस वक्त हमारे प्रदेश में है, उसका जीता-जागता और मजबूत प्रमाण यह है। मान्यवर, जब नेता विपक्ष, विधान परिषद की यह हालत होगी, हमारे प्रान्तीय अध्यक्ष की यह हालत होगी और उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की जायेगी, तो सामान्य जनजीवन की क्या हालत होगी, इसका इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है। मान्यवर, आज सतारूढ़ दल आपसी क्लेश और द्वेष के कारण, षड्यंत्र करके, राजनीतिज्ञ हत्या कर रहा है। मेरा सुनिश्चित आरोप है कि इस हत्या के पीछे कुछ गुण्डे, बदमाशों के साथ, उनके पीछे हमारे सामने जो दल बैठा हुआ है, उसके जो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, चाहे वह मंत्रि पद पर आसीन हों, उनका हाथ है। मान्यवर, इस विषय से महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि सदन की आज की कार्यवाही रुकवा कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाय।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह जो माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा उसी सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर कहा था कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, वह बहुत अच्छी है। मान्यवर, यह घटना उसका जीता-जागता उदाहरण है कि कितनी अच्छी है प्रदेश में कानून व्यवस्था। मान्यवर, इस घटना की बाबत जो वायरलेस मिला है, उसकी कापी आप लोगों के पास भी आ चुकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री ओपति मिश्र)—

होगी । मान्यवर, इस घटना की बाबत पहले सूचना टेलोफोन के माध्यम से ही मिली थी, जिसका जिक्र हुकुम सिंह जी ने भी किया, उसके बाद वहां के एस0 पी0 के माध्यम से उनके निजी सचिव के यहां यह वायरलेस आया था, जो मेरे पास उपलब्ध है । मान्यवर, इसमें उल्लेख है कि थाना कुर्रा के अन्तर्गत उन पर यह प्राणघातक हमला हुआ और फिर इनके साथ जो एक्सकोर्ट था, उसने उन पर फायर एक्सचेंज किया और फिर इसमें इनके एक साथी के मरने की भी सूचना है ।

मान्यवर, मैं इस घटना के अलावा बताना चाहूंगा कि माधोगढ़ के अन्दर, आपके नये मंत्रिपरिषद के गृह मंत्री ने श्री मुलायम सिंह की गर्दन पर रिवाल्वर रखवा दिया था, उनकी प्रेजेंस में यह रखा गया था, मान्यवर, मैंने कहा था, इसका तात्पर्य यह करने जा रहे हैं । चम्बल के डकैत और पूर्वी जिलों के तमाम असामाजिक तत्व इकट्ठा करने जा रहे हैं, माननीय जुदेव साहब इकट्ठा करने जा रहे हैं । मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आज उसी कड़ी में श्री मुलायम सिंह के ऊपर यह जो प्राणघातक हमला हुआ है, थाना कुर्रा के अन्तर्गत यह सत्ता पक्ष की साजिश के फलस्वरूप हुआ है । मान्यवर, हम तो अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने जा रहे हैं । हमें मुख्य मंत्री या उनके सहयोगियों के खिलाफ अटेक करना पड़ा है । मान्यवर, इन बातों के अन्तर्गत यह हमारी भावनाओं को इस तरह से दबाने का प्रयास करते चले जा रहे हैं । मान्यवर, निश्चित तो कोई आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन दावे के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि सत्ता पक्ष जान बूझ कर विपक्ष को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस तरह के घृणित कार्य पर उतारू है ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब चर्चा करायी जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना की जो सूचना मिली है, वह जो मुख्तसर में है, यह है कि श्री मुलायम सिंह जी, नेता विपक्ष, विधान परिषद, एक मीटिंग में जा रहे थे । यह स्थान थाना कुर्रा में पड़ता है विलेज मैनखेरा, उसके पास वहां पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था, उनके साथ जो पुलिस का इस्कोर्ट था, उसने उनका जवाबी फायर किया । उनके साथ मोटर साइकिल पर जा रहे थे और उनके साथी उनमें से एक आदमी की मृत्यु हो गयी है । वहां के एस0 पी0 तुरन्त ही मौके पर गये । अभी क्या और हुआ है, क्या और बात है, उसकी कोई और सूचना नहीं है । यह जो घटना घटी है, उसकी सूचना है ।

जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने एक यह अपने दिमाग से अपनी कल्पना से, जो यह आरोप लगाया है कि राजनीतिक हत्या का षडयंत्र है और उसी के तहत यह किया जा रहा है, तो मैं पूर्ण रूप से पूरे जोरदार शब्दों के साथ इस बात का खंडन करता हूं कि किसी तरह से भी हमारा कभी भी ऐसा विचार नहीं हुआ है और न ही इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं । सत्ता को राजनीतिक षडयंत्र से प्राप्त करना, कांग्रेस सरकार की कांग्रेस (आई0) दल की कल्पना भी नहीं हो सकती है । इस तरह से प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं होता है, इस दुर्घटना में जो भी हुआ है ।

इसकी पूरी जांच की जाएगी, आपके संतोष के हिसाब से जांच की जाएगी, जो भी अपराधी होगा, दन्डित किया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

12 बजे तक सूचना आनी थी, एक बज रहा है, सूचना क्यों नहीं आ रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना मंगाई गई है, अभी तो शाम तक सत्र चलेगा, जब भी सूचना आ जाएगी वायदा करता हूं कि आपको सूचित करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

अभी नेता, विरोधी दल ने कहा कि मधोगढ़ के एक बदमाश को, जो 302 में सजा काट चुका है, उन्होंने अपनी आंखों से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह तो इटावा से सम्बन्धित मामला है ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह कह रहे हैं कि इनकी पार्टी का कोई वकील नहीं है । मेरा निश्चित आरोप है कि सत्ताधारी दल, मन्त्री और इनकी पार्टी के लोग अपराधी दलों को संगठित कर विपक्ष के लोगों के साथ ऐसी वारदातें करा रहे हैं । सत्ताधारी दल और इनका इसमें हाथ है ।

(घोर व्यवधान)

डा० बृज किशोर मिश्र--

मैं मांग करता हूं इस सदन से कि वह पता लगाए कि किस दल के लोग हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय, इस पर चर्चा कराई जाय, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(संसदीय कार्य मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)

आपको बलिया वाले मामले में कुछ कहना है ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जी हां ।

माननीय, बस की दुर्घटना के सम्बन्ध में जो जिक्र किया गया था, तो मैं स्वतः मौके पर गया था । उस गांव में भी गया था जिस गांव के बच्चों की मृत्यु हुई है और उस स्थान पर भी गया था जहां बस गिरी थी । कुल 8 बच्चे मरे हैं, एक बच्चा बचा है जो तैरकर निकल आया है, इसके अलावा ड्राइवर और क्लीनर भी बचे हैं । यह बस खराब हुई थी, फिर ठीक हुई, उसको ले जाया जा रहा था कि प्राइमरी स्कूल के आते हुए बच्चे उसमें बैठ गए रोकते-रोकते भी बैठ गए । वह बस टर्न ले रही थी, घूम रही थी कि सड़क के नजदीक ही एक गहरा तालाब है, वह टर्न नहीं ले सकी या कोई भूल हुई वह बस सीधे तालाब में चली गई, तालाब में बहुत पानी था, वह बस उसमें डूब गई । अधिकारियों ने और अन्य ने उसको निकलवाया । गौरी भैयया, जो विरोधी दल के जनता पार्टी के विधायक हैं, वह मुझसे मिले । उन्होंने भी सन्तोष जाहिर किया कि अधिकारियों ने तत्परता से कार्य किया । कलेक्टर ने एक-एक हजार रु० पीड़ितों को दिया था, बाद में पांच-पांच हजार रु० दिया गया....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह पैसे से नाप रहे हैं ।

श्री श्रीपति मिश्र--

पैसे से नहीं नाप रहा हूं । जैसी घटना हुई है, जो हुआ है, वह बता रहा हूं । किसी की मृत्यु को पैसे से नहीं मापा जाता । किसी के दुख में शामिल होने का यह एक प्रतीक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था देने से पहले मुलायम सिंह जी के मामले में दो शब्द कहना चाहूंगा ।

श्री श्रीपति मिश्र--

एक और बात बता दूं । मित्रसेन जी ने टैक्सियों के सम्बन्ध में जो लाइसेन्सेज दिए गए थे, उनके सम्बन्ध में कहा, उनको पहले 79 में लाइसेन्सेज दिए गए थे, किस तरह से दिए गए थे, फिलहाल 1981 में बन्द हुए । फिर उन लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की । उसके तहत इनका चलना रुका नहीं था, यह चलती रही । जब यह हाईकोर्ट से मुकदमा हार गए तो इनको रोकना पड़ा । लेकिन इस बात को देखकर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, सबके साथ बैठकर मामला तय होने को आ गया है और जब यह तय हो जायेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और जहां तक श्री मित्रसेन जी का सम्बन्ध है, वह संयोग से मेरे ही क्षेत्र से मिले हुए क्षेत्र के हैं और जिन बातों की ओर उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, अगर यह वहां स्वयं गए होते, तो यह बातें यहां न कहते सुल्तानपुर की उस मीटिंग में एक भी टैक्सी व मोटर इस्तेमाल नहीं हुई है, यदि कोई एक भी फोटो लेकर दिखा देता तो मान लिया जाता, वहां पर मेला था, लोग पैदल आये थे और किसी टैक्सी या ट्रक का इस्तेमाल कहां हुआ यह

(शोर)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, सारी टैक्सियां और ट्रक नदी के किनारे खड़े किए गए थे, तो वहां पर क्या दिखाई देते ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रति-पक्ष का एक महत्वपूर्ण हथियार है । यह घटना जो माननीय मुलायम सिंह जी की घटी है, इससे गम्भीर और महत्व-पूर्ण घटना मान्यवर, और कोई नहीं हो सकती है, जो सरकार की शांति-व्यवस्था की बद से बदत्तर स्थिति का प्रतीक है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले पर सदन की कार्य-वाही रोक कर इस पर चर्चा कराएं, और यदि आपने वक्तव्य इस मामले पर दिला दिया तो मान्यवर, उसमें हम लोग सिर्फ प्रश्न कर लेंगे और उसके उत्तर आ जाएंगे जिससे वह स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस मामले में सत्ता पक्ष की एक नीति के तहत साजिश है, और यह साजिश खुलकर सामने आए, इसके लिए जरूरी है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कर ई जाए । दूसरी बात मान्यवर, शांति और व्यवस्था की यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति का प्रश्न है, नेता सदन के बाद दूसरी स्थिति नेता विरोधी दल की हो सकती है और जब इन लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है तो मैं समझत हूं कि आज किसी भी नागरिक का जीवन प्रदेश में सुरक्षित नहीं समझा जायेगा, इसलिए इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य-स्थगन के तहत इसमें चर्चा करा दें यह हम लोगों का अनुरोध है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं मुझको प्राप्त हुई हैं, मैंने उन सबको अस्वीकार किया है, केवल मान-नीय हुकुम सिंह द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके सम्बन्ध में मैं यह चाहूंगा कि रिपोर्ट आ जाने पर इस पर विचार किया जायेगा कि क्या कार्यवाही की जाय ।

(शोर)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, इस घटना पर कार्य-स्थगन होगा, इससे और गम्भीर घटना क्या हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(सर्वश्री शंकर सिंह, सरदार सिंह, कुबेर भन्डारी, यदुनाथ सिंह, धनोराम वर्मा तथा कुछ अन्य सदस्य, सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री धनी राम वर्मा--

यह सब घटनाएं कैसे हो रही हैं, इस पर विचार होना चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए । अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाद में निर्णय होगा, इस पर, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, आप पर गोली चलाई जाए और नेता सदन पर यदि गोली चलाई जाए तो इससे बढ़कर शांति और व्यवस्था को स्थिति और गड़बड़ क्या हो सकती है ?

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

15 मिनट के लिए सदन की कार्य-वाही रोकी जाती है ।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 1 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित किए जाने की सूचना सदन को दी । 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।

श्री अध्यक्ष--

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल चार वक्तव्य कार्यसूची में रखे जाने थे, लेकिन इस विषय की गम्भी-रता को देखते हुए सिर्फ दो ही वक्तव्य रखे जायेंगे । माननीय हुकुम सिंह के प्रस्ताव पर कल एक घंटा अर्थात 5 बजे से 6 बजे तक चर्चा होगी, अगर आवश्यकता होगी तो इसको बढ़ाया भी जा सकेगा । इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत मैंने गोरखपुर में राम दयाल कुर्मी की फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने के सम्बन्ध में दिया था, उस पर आपने क्या निर्णय किया है ?

श्री अध्यक्ष--

उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कह दिया है ।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

मैंने कहा कि उर्दू टीचरों के कैम्प लगे हुए हैं, उनकी अपनी मांगे है । आज उन्होंने मुझे लगभग आधे घंटे तक डिटेन्ड रखा और कहा कि आप तो बहुत उर्दू की बात करते हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं । मैंने उनसे इस यकीन दहानी के बात कीं कि आपकी बात उठाऊंगा, रिहाई दी है । उनके लिए आप आश्वासन दे दें और वह लोग अपने घर चले जायें । उनकी फाइल सेक्रेटरी तक आ गयी है । आपके कुछ कहने की बात बाकी है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

कुछ लोग मुझसे मिल लें तो जान लूं कि किस बात पर आश्वासन चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार की हृदयहीनता का नमूना आप देख लें, इतने सारे कैम्प लगे हुए हैं और माननीय मंत्री जो कह रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

किस बात पर आश्वासन चाहते हैं । यह नहीं कहा कि पता नहीं है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राजाराम शास्त्री के निधन की सूचना

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, कई बार आप की पीठ से निर्देश हुए हैं कि निधन की सूचना यथा शीघ्र आ सके पास आ जानी चाहिए, जिससे हम लोग शोक प्रस्ताव में सम्मिलित हो सकें । कानपुर के राजाराम शास्त्री का निधन कई दिन पहले हो गया है ।

श्री अध्यक्ष---

अखबारों में आया है, विधिवत सूचना जिलाधीश से नहीं आयी है । मैं कार्यवाही कर रहा हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

कानपुर बहुत दूर नहीं है । आपके पास सूचना अब तक पहुंच जानी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष--

वाराणसी का है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

राजाराम शास्त्री कानपुर के हैं, उनका निधन हो गया है ।

मान्यवर, राजाराम जी शास्त्री कानपुर के थे । वे वहां के मेम्बर रहे हैं और लोक सभा में भी मेम्बर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, कल हो जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

*श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा का मौका मिला और मैं चाहता हूं कि बजट के बारे में कुछ बातें आपकी इजाजत से यहां पर कह सकूं । सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट जिस सरकार की ओर से रखा गया है क्या वह सरकार वाकई एग्जिस्ट करती है ? मैं यह समझता हूं कि इस वक्त एक बड़ी कांस्टीटयूशनल ट्रैंगिल पैदा हो गयी है और मुझे यह कहने में कोई उज्र नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोई सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार की जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है वह अपने मंत्रि-मंडल के जरिये से नहीं कर रही है इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 164 की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री दयाल कृष्ण पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री मेरी इस बात को सुनें और जरा ध्यान दें । मैं आपका ध्यान आर्टिकल 164 की तरफ दिला रहा हूं जिसमें मिनिस्टर्स के बारे में प्रोविजन है और खास तौर से मैं इस आर्टिकल के सब आर्टिकल (2) की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा, जिसमें मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के बारे में कहा है कि उनकी कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी हमारी इस लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने होती है । जब कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी उनकी यहां पर हो जाती है तब सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी मेम्बर के खिलाफ जो यहां पर मंत्री हों, उसके विरुद्ध

---

†दिनांक 2 मार्च, 1984 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई अर्जी दी गई हो तो कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के तहत वह इसमें आ जाता है और ऐसे मंत्री यहां पर रहने के काबिल नहीं है । मंत्रि-परिषद् में कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी होने के नाते क्या इस सरकार को बजट प्रस्तुत करने का अखितयार है ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, जो मैंने हवाला दिया है कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 164 का और खास तौर से सब आर्टिकिल (2) का, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने उर्दू को दूसरी लैंग्वेज बनाने के लिए एक बिल पाइलेट करना चाहा । उसके पहले मंत्रि मंडल की एक बैठक हुई और उसमें जो भी फैसला किया गया हो, उसको पोशीदा रखना चाहिए था, उसको जाहिर नहीं करना चाहिए था, वह सीक्रेट था लेकिन इस सरकार के एक मंत्री ने, मंत्रि-मंडल के एक मेम्बर ने बहराइच में एक प्रेस कान्फेन्स बुलाई : वहां पर श्री वासुदेव सिंह ने, जो कि प्रोफेसर वासुदेव सिंह कहलाते हैं, यह कहा कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी जबान नहीं बनायी जायेगी । इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रि-मंडल ने जो फैसला लिया था उसके खिलाफ प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने यह बात कही जो कि इस सरकार की कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के तहत आती है और यह बात कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 164 (2) को पूरा नहीं करती है । जब संविधान की उस धारा का पालन नहीं हो सका तो वासुदेव सिंह मंत्रि-मंडल में रहने के काबिल नहीं है और मुख्य मंत्री को उन्हें डिसमिस करना चाहिए था या उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था । चूंकि उनको डिसमिस नहीं किया गया क्योंकि यह कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी है मंत्रि-मंडल की इसलिए यह मंत्रि-मंडल बिलकुल नाकारा है । उत्तर प्रदेश में आज कोई मंत्रि-मंडल नहीं है और जब कोई मंत्रि-परिषद् यहां पर नहीं है तो उसके द्वारा कोई बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है यह कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है । यह उनके काबिल नहीं है कि बजट को प्रस्तुत कर सकें और सदन इसको उस हालत में पास कर सके और न हम इस पर चर्चा कर सकते है यह बिलकुल आब्जेक्शनेबुल है ।

अधिष्ठाता महोदय, जब कांस्टीट्यूशनल टेंगिल होता है तब यह फैसला करना होता है कि कोई बजट उसके द्वारा लाया जा सकता है ? कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी की बात सामने आती है फैसला करना होता है । माननीय, हमारे पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मिनिस्टर अपनी बार्ता में मशगूल हैं । बजाय इसके कि कार्यवाही को सुनें जो मैं संवैधानिक एतराज कर रहा हूं उसके ऊपर वे ध्यान दें । वह एक माननीय विधायक से बातों में लगे हुए हैं, प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गहलौत जी, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री फखरे आलम--

तो यह जो बजट सरकार ने पेश किया है वह कोई सरकार नहीं है । यह जो बजट पेश हुआ है इसका जरा मुलाहजा फरमायें । यह वही बजट है जो हमेशा सरकारी अफसरों द्वारा बनाया जाता है । इसमें कोई नई बात नहीं है । इस पिछड़े हुए प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए, इसको तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, पढ़े लिखें की बेरोजगारी दूर करने के लिए इसके अन्दर कोई बात नहीं कही गयी है । मैंने इस बजट को पढ़ने और समझने की कोशिश की मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं

निकली जिससे लोगो का भला हो। जैसा पिछले चार सालों से होता आरहा है, वही इसमें भी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बेकारी दूर हो या जो गरीबी की रेखा से नीचे चला गया है उसको ऊपर उटाने को बात कही गयी हो।

जो पढ़े-लिखे बेकार हैं, उनको अगर 10 हजार रुपया अपने उद्योग के लिए कर्जा लेना है तो उसे पहले 20 परसेन्ट कमीशन इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर को देना पड़ता है उसे पहले 80 रुपया या सौ रुपया कर्जा लेकर देना पड़ेगा। मेरे जिले बदायूं में बैंक वाले खुले आम रिश्वत ले रहे है, इंडस्ट्रीज आफिसर खुलेआम रिश्वत ले रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से शिकायत की, मीटिंग में भी चर्चा हुई मगर ऐसा मालूम होता है कि इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर इतना पावरफुल हो गया है कि वह किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक यही बात नहीं है और भी बहुत से मसले हैं जिसमें गरीब को इतना सताया जा रहा है कि अगर उसने कोई जानवर खरीदना है तो उससे कहा जाता है कि बैल, भैंस गाड़ी आदि वहीं से खरीदो, जहां से हम चाहते हैं। वह इसलिए कि वहां से उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। जो आदमी कर्ज लेकर कोई चीज खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है। बी० डी० ओ० कहता है कि जहां से मैं कहूंगा वहीं से ही आपको सामान खरीदना होगा।

आज हालत यह है कि जिला परिषदों का कहीं वजूद नहीं है। सरकारी आफिसर जिला परिषदों में काबिज हैं, म्युनिसिपैलिटीज में काबिज हैं और सरकार के मंत्रियों को चन्दा दे रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इनको रोज शबे बरात हो रही है रोज ईद हो रही है और न मालूम क्या-क्या हो रहा है। क्या वजह है कि म्युनिसिपैलिटीज के, जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आज हमारे माननीय स्टेट मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया था कि हम शीघ्र से शीघ्र जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वह जिला परिषदों के अधिनियम को देखें उसमें क्या लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। तो जब मेम्बर ही नहीं होगा तो अध्यक्ष कहां से हो जायेगा। इसी तरह से जिला परिषदों का है। तो यह लोग तो घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे हैं। तो इनकी मंशा यह है कि यूंही बने रहे। आज एक सटेलमेन्ट पैदा हो गया है जिससे यह फायदा हासिल कर रहे हैं, इनके प्रशासनिक लोग अपनी-अपनी जगह पर काबिज हैं और इनकी खिदमतें कर रहे हैं। मैं चूंकि पार्क रोड में रहत हूं तो देखता हूं कि मंत्रियों के यहां क्या-क्या सामान जिंदा और मुर्दा दोनों ले जा रहे हैं।

मान्यवर, जिन्दा सामान भी जा रहा है और मुर्दा सामान भी जा रहा है। मुर्दा सामान तो छुप कर चला जा रहा है, लेकिन जिन्दा सामान हम लोगों की नजरों के सामने कहीं रिक्शों पर चढ़ कर जा रहा है और कहीं कारों पर सजकर जा रहा है। इसलिए म्युनिसिपल बोर्डों और जिला परिषदों के एलेक्शन नहीं कराये जा रहे हैं। लखनऊ नगर महापालिका का प्रशासक निहायत भ्रष्ट और निकम्मा अफसर है, लेकिन उसको लखनऊ जैसे बड़े नगर और राजधानी के नगर का ऐडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। क्योंकि उससे हमारे मंत्री जी बहुत खुश हैं। उससे हमारे मंत्री जी इसलिए खुश हैं, क्योंकि वह उनकी तबियत खुश कर देता है। दिन को भी उनकी तबियत खुश कर देता है और रात को भी कर देता है। इसलिए वह उस बेईमान को नहीं हटाते हैं। लखनऊ का डी० एम० भी बहुत भ्रष्ट और बेईमान आदमी है, जिसे बता दिया गया है। उसे इसीलिए बना दिया गया है ताकि वह उनकी जातीय फरमाइशें पूरी कर सके...

श्री अधिष्ठाता--

जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं वह यहां नहीं हैं सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए उनकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें।

श्री फखरे आलम--

आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर मैं किसी सरकारी आदमी की चर्चा न कर सकूं तो यह बात सही नहीं है, कानूनन ठीक नहीं है। आपकी बात तो मैं मानता हूं किन्तु ऐसा कह कर आप हमारे हकूक को छीन रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं उसको मानता हूं और उसको तसलीम करता हूं। फिर भी मुझे पूरा अधिकार है कि मैं किसी सरकारी अधिकारी के बारे में यहां कह सकूं। कांस्टीट्यूशन मेरे हाथ में है, आप भी वकील हैं और मैं भी वकील हूं और आप इसमें कहीं दिखा दीजिए कि कांस्टीट्यूशन इससे हमें कहीं रोकता है।

श्री अधिष्ठाता--

आरोप तथ्यों पर होते हैं। एसपर्सन आप जनरल बे में कर रहे हैं।

श्री फखरे आलम--

अब हमारे पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर भी जरा चौकन्ने हैं, आंख से आंख मिलाई है। अब उनसे बातचीत सही तरीके से हो जायेगी। तो मैं कह रहा था कि हम किसी सरकारी अधिकारी को इतना स्क्रटीसाईज जरूर कर सकते हैं कि वह इस-इस तरह के गलत काम कर रहा है। वह आप कहेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, "यह तो मुमकिन है कि मुंह पर न कहूं, दिल में कहूं, पर यह न होगा कि सितमगर को सितमगर न कहूं।"

माननीय बहुत से सवाल और हैं, जो इस प्रदेश में पैदा हो गये हैं। आप जिला परिषदों को छोड़िये, नगर-पालिकाओं को जाने दीजिए, नगर महा-पालिकाओं को भी जाने दीजिए, लेकिन आपके द्वारा जो गरीब आदमियों को दुकानें बनवाकर दी जा रही हैं, माननीय, उन्हें आपने भी अपने जिले में देखा होगा, वह ऐसी हैं जैसे कागज की नाव बना दी जाए। उसको हिला दीजिए तो पूरी दूकान नीचे आ जायेगी। 6-8 हजार रुपया उसका गरीब से चार्ज कर लिया गया है और एक रेत का टीला बना दिया गया है। हरिजनों को जो मकान दिये जा रहे हैं या उनके लिए बनवाये जा रहे हैं, उनकी हालत यह है कि उनमें 25 से 50 प्रतिशत तक, ए0 डी0 एम0 से लेकर ब्लाक के नीचे के कर्मचारी सभी ले लेते हैं, इन सबका उनमें हिस्सा रहता है, तो आप सोच लीजिए कि फिर निर्माण कार्य कैसा होगा।

दूसरी बात यह है कि जिस उर्दू जबान को आप उत्तर प्रदेश की दूसरी जबान बनाना चाहते हैं, जिसके सम्बन्ध में कांग्रेस के मेनीफिस्टो में भी है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी जबान उर्दू बनाई जायेगी, उसको छपे चार साल हो गये, लेकिन आज तक यह सरकार उसे अमल में नहीं ला पायी है। वह केवल कोरे आश्वासन दे रही है और हम लोगों को बच्चों की तरह बहला रही है, इसके लिए हमें लोरियां सुनाई जाती हैं, थपकियां दी जाती हैं और आपके मंत्री लोग उसके बरखिलाफ हो रहे हैं। लोकपति त्रिपठी और वासुदेव सिंह, जो अपने को प्रोफेसर कहलवाते हैं इसके खिलाफ चल रहे हैं। लोकपति जी कहते हैं कि इसको नहीं बनाने देंगे और प्रोफेसर वासुदेव सिंह कहते हैं कि इसको हर्गिज नहीं बनने दिया जाये। तो इस सरकार का विरोध तो अपनी जगह पर है। लेकिन उर्दू के साथ जो ज्यादती हो रही है वह यह है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जब यहां मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने 24 हजार उर्दू टीचर्स को रखने की स्कीम बनायी थी

और उसमें सिर्फ 5 हजार रखे गये। उनके जाने के बाद कोई उर्दू टीचर नहीं रखा गया है।

मान्यवर, मैंने 1982 के सितम्बर में सवाल दिया था कि मुझे बताया जाये कि कितने उर्दू टीचर्स रखे गये और अब कितने स्थान रिक्त हैं, तो मंत्री जी, जो उस समय थीं, ने जवाब दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना एकत्र की गयी सितम्बर, 1982 से लेकर फरवरी, 1984 तक। तो शासन प्रशासन और हुकूमत को यह सूचना नहीं एकत्र कर मिली है। इसलिए मैं अब सूचना देना चाहता हूं कि 19 हजार टीचर्स के स्थान रिक्त हैं जिनको आज तक पूरा नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि जब तक श्री बहुगुणा जैसा उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री नहीं आयेगा तब तक यह काम नहीं होगा और जब श्री बहुगुणा जैसा मुख्य मंत्री यहां आयेगा तो जो उर्दू के साथ ज्यादती हुई है वह पूरी होगी। मान्यवर, अफसोस है कि उ0 प्र0 के शिक्षा मंत्री डाक्टर अम्मार रिजवी के होते हुए आज उर्दू के साथ ज्यादती की जा रही है। वह पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अब भी हैं, इसलिए उनसे गुजारिश करता हूं कि जो उर्दू के साथ ज्यादती की गयी है, जो सौतेला व्यवहार किया गया है उस पर शिक्षा मंत्री जी ध्यान देंगे जिससे उनको भी फायदा होगा और जो उर्दू की तालीम दी गयी है वह पूरी होगी।

मान्यवर, इस प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की हालत यह है कि कोई भला आदमी सड़क पर नहीं चल सकता है जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि मुलायम सिंह पर जिन दहाड़े हमला कर दिया गया। आज औरतों को निकलना मुश्किल है। देहात और शहरों में आदमी का चलना मुश्किल हो गया है। बाजारों से लोगों को किडनेप करके उठाया जा रहा है रुपया लेने के लिये। आपकी पुलिस सो रही है और आपकी पी0 ए0 सी0 पैसा पैदा कर रही है। बी0 एस0 एफ0 आप करीब नहीं आने देना चाहते हैं चूंकि वह आपकी बहुत सी बातों को खोल देगी।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद बहराइच में तहसील विसौली, गांव नगैरो, थाना इस्लामनगर में जहां मुसलमान और गैर-मुसलमान सभी लोग रहते हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं है किन्तु नगैरो गांव में लोग अपनी जमीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, जो पुरानी जगह है, नमाज पढ़ने की, वह चन्दा इकट्ठा करके मस्जिद बनाना चाहते हैं लेकिन वहां की पुलिस चाहती है कि मस्जिद न बनने दे और वहां के लोगों का कहना है कि मस्जिद बनने में कोई सरकारी कर्मचारी कोई रुकावट पैदा न करे और यदि करे तो उसका मुकाबला किया जाये, इसलिये जब पुलिस उनको रोकेगी तो झगड़ा होगा, जिसमें पुलिस गोलियों की बौछार करेगी, इसलिये इस पर ध्यान दिया जाये। आज ला एण्ड आर्डर की हालत है कि कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है। आज अदालतों में मुकदमों में फैसले नहीं हो रहे हैं जबकि अदालत और प्रसाइडिंग आफिसर चाहते हैं कि फैसले हों लेकिन पुलिस गवाहों को नहीं ले जाती है जिससे एक-एक मामले में 15 20 बार एडजर्नमेन्ट लेना पड़ता है चूंकि आपका गवाह हाजिर नहीं है और वह चूंकि कहीं मंत्री जी की खिदमत में होंगे, कहीं मुन्डन बच्चे का होगा उसकी खिदमत में गवाह लगे होंगे, इसलिये गवाह नहीं पहुंच रहे हैं। आप भी मान्यवर, लायर हैं, आपको भी पता होगा कि आज मुकदमों के कई वर्षों तक फैसले नहीं हो रहे हैं। गरीब परेशान होता है, कितने ही लोगों की जमानतें नहीं होती हैं। जस्टिस इज नाट औनली टू बी डन इट मस्ट सीन टू बी डन दो इन, इंसाफ की मंसा यह नहीं है कि सिर्फ इन्साफ किया जाये, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखायी दे। मैं पूरे जोर के साथ यह कहना चाहता

हूं कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अदालतों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वे इंसाफ कर सकें। यही हालत रही तो एक वक्त यह भी आयेगा कि जब लोग अदालतों में जाना ही छोड़ देंगे। उनको यह मालूम होने लगेगा कि अब उनके साथ इंसाफ होने वाला नहीं है।

"जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इंसाफ में अगर देर लगेगी तो इंसाफ नाइंसाफ बन कर रह जायेगा। आज जिस सतह पर प्रदेश पहुंच चुका है वह हम सभी के लिये चिन्ता के विषय है। चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के बैठने वाले लोग हो, अगर उत्तर प्रदेश को कायम रखना है, अगर कानून व्यवस्था को कायम रखना है अगर आप उत्तर प्रदेश के आदमी को सही तरीके से जिन्दा रहने का मौका देना चाहते हैं, तो आज प्रदेश की बिगड़ती हुई हालत पर गम्भीरता के साथ सोचना होगा और उसके लिये कोई हल ढूंढना होगा। इसके लिये हम सभी को एक साथ बैठकर कोशिश करनी चाहिये।

मान्यवर, इस बजट में न्याय के लिये जो बजट रखा गया है, उसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि न्याय के साथ अन्याय किया गया है। हमेशा न्याय के साथ अन्याय होता रहा है। मैं पिछले तीन सालों से इस बात को कहता आ रहा हूं कि जब आप एक पुलिस इन्सपेक्टर को गाड़ी देते हैं, सी० ओ० को गाड़ी देते हैं, तो जुडिशियरी को न देने का क्या कारण है? मैंने अपने बदायूं में देखा है कि वहां का जिला जज रिक्शा पर बैठ कर दो-ढाई मील कचहरी जाता है। यही चीज पूरे प्रदेश में है। आपको उनके लिये गाड़ी प्रोवाइड करना चाहिये। उसके लिये मकान की भी व्यवस्था करना चाहिये। आप जुडिशियरी को ऐसा बना दें ताकि वे सही तौर से इंसाफ कर सकें। अगर वे असंतुष्ट रहेंगे तो करप्शन बढ़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उसको दूर करना चाहिये। उनके लिये यह एक कैन्सर जैसी बीमारी हो गयी है, इसे शीघ्र रोका जाना चाहिये।

मान्यवर, आज हालत यह भी हो गयी है कि आपस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में तालमेल नहीं रह गया है। कहीं-कहीं दोनों में झड़प हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक गाड़ी के पहिये अलग-अलग रोल कर रहे हों। रूल आफ ला नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह गरीब विरोधी है, प्रदेश विरोधी है, किसान विरोधी है, और मजदूर विरोधी है। इस बजट को किसी भी तरह मंजूर न किया जाये। यह बजट किसी सरकार की तरफ से नहीं आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज रह ही नहीं गयी है। यहां पर कोई संवैधानिक सरकार नहीं है। इसलिये इस बजट को पास नहीं करना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री सोमांश प्रकाश---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं। कि आपने मुझे 1984-85 के आय-व्ययक पर, जो वित्त मंत्री माननीय ब्रह्म दत्त जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी हमारे साथी माननीय फखरे आलम साहब काफी देर अपनी बात कह रहे थे। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य से और बहुत सी बातें कहीं लेकिन कोई सुझाव ऐसा नहीं दिया कि जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं उनके मुकाबले में हमको क्या करना चाहिये, शासन को क्या करना चाहिये कोई ऐसा सुझाव आपने नहीं दिया।

मान्यवर, प्रदेश में 4 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का शासन है। इन चार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय बहुत सी बातें अभी सामने आयी हैं। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की बात हो, अन्न उत्पादन की बात हो, कृषि या औद्योगिक उत्पादन की बात हो, हर क्षेत्र में प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, सुधार आया है। इन सब चीजों को सोचने की बात है। आप अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि जिस स्थिति में आप प्रदेश को छोड़कर गये थे उसके बाद सुधार हुआ है या नहीं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सुधार हुआ है। आप आंकड़ों को देखें। मैं आपके सामने, प्रदेश की जो आय है उस सम्बन्ध में आंकड़े देना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि सुधार हुआ है। राज्य की आय 1978-79 में 5361 करोड़ रुपये थी। 1979-80 में भीषण सूखे के कारण प्रदेश की आय गिरकर 4617 करोड़ रुपये हो गयी। छठी योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 में प्रदेश की आय बढ़कर 5687 करोड़ रुपये हो गयी। तो सूखे से प्रदेश को नुकसान होने के बावजूद भी राज्य की आय बढ़ी और 1981-82 में यह आय बढ़कर 5838 करोड़ रुपये हो गयी। यानी राज्य की आय में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय में भी वृद्धि हुई है। 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय 514 रुपये थी। 1979-80 में गिरकर यह 432 रुपये रह गयी। उसके बाद फिर बढ़ोत्तरी शुरू हुई और 1980-81 में प्रति व्यक्ति आय 518 रुपये हो गयी। 1981-82 में यह बढ़कर 520 रुपये हो गयी तथा 1982-83 में यह बढ़कर 529 रुपये हो गयी। तो मान्यवर, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। यह निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ रहा है और हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। तो मान्यवर, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में हम धीरे-धीरे तरक्की करते जा रहे हैं। यह नहीं है कि पूरी तरक्की कर ली है लेकिन धीरे-धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमारा प्रदेश विकासशील प्रदेश है। हम अपने संसाधन को जुटाते हुए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें सभी का सहयोग होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रगति कर सकेंगे। लेकिन विरोध खाली विरोध के लिये हो तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आपके कुछ सुझाव भी होने चाहिये ताकि हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें।

इसके साथ ही साथ मैं अपने जनपद के बारे में थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। मेरे जनपद की जो समस्यायें हैं उनके बारे में जानकारी देकर आपके माध्यम से शासन का ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां सिंचाई विभाग से सम्बन्धित एक समस्या है। काथा नाला जो हमारे जनपद की समस्या है, जिसके बारे में 4 वर्ष से बराबर प्रयास कर रहा हूं और शासन को भी इस विषय में बहुत बार अवगत करा चुका हूं। मेरे वहां उन ब्लॉक में एक बरसाती नाला, था का नाला है। इसकी वजह से हजारों बीघे जमीन में हर वर्ष बरसात में नुकसान होता है और चारों तरफ आबादी की ओर जो लोग रहते हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है और सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि न हम वहां पर सड़क बना पा रहे हैं और न पुल बना पा रहे हैं। तो यह 40 किलो मीटर का चारों तरफ का ग्रामीण क्षेत्र बिना लिंक रोड के, हमारे विधान सभा क्षेत्र का रह जाता है। जो गढ़ी, देथेड़ा, लावा, मुंडेटिये पिछड़े गांव हैं, सड़क से जुड़े न होने के कारण वहां पर डाक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। बरसात के दिनों में यातायात की भारी समस्या होती है और इस काठे नाले के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग में हमने बहुत प्रयास भी किया है और अभी तक कोई प्रगति इस नाले के सम्बन्ध में नहीं

हुई है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके ।

हमें बताया गया है कि प्रदेश सरकार ने टी0 ए0 सी0 कमेटी बिहार की संस्तुति करके भेज दिया है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई सूचना नहीं आई है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि शासन को विशेष तौर से इस सम्बन्ध में कहा जाय । इसी तरह से हमारे क्षेत्र में जमुना नदी का हिस्सा आता है, हर वर्ष काफी लोग उस बाढ़ के नुकसान में आते हैं, जो जमुना नदी के किनारे रहने वाली आबादी है । इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग का मेरे क्षेत्र में एक नाला खोखरी पड़ता है, जिसके दोनों तरफ पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क बन गयी है, परन्तु इस नाले पर पुल न होने के कारण मेरे क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वह अपना गन्ना चीनी मिल पर नहीं डाल पा रहे हैं, चूंकि यातायात का साधन नहीं है और जितना अच्छा दाम उनको अपने गन्ने का मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है । उस क्षेत्र के हित में इस खोखरी नाले का पुल बनना बहुत ही आवश्यक है । इस पर विशेष ध्यान दिया जाय । मान्यवर, इसी प्रकार खड़ंजे स्तर के पक्के कार्य होने हैं, जो चौसाना, कैरटू, बेड़ौली की सड़क खड़ंजा स्तर से 5.80 किलो मीटर जिला कमेटी से पास हुई थी, जिसको घटा कर 3 किलो मीटर कर दिया गया है, जो अनुचित है । श्रीमन्, जनपद मुजफ्फरनगर में विकास क्षेत्र, ऊन सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । इसमें सड़के व खड़ंजे स्तर के कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराने अत्यन्त आवश्यक हैं । इसी प्रकार मान्यवर, गढ़ी पोखता पर हमारे क्षेत्र में पी0 एच0 सी0 का बनना बहुत आवश्यक है । मैं इन्हीं बातों को कहते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने के अवसर दिया । 17 फरवरी को जो वित्त मन्त्री ने यह बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट अधूरा है और अनिश्चित है । आम आदमी के लिए तो यह बजट शून्य है । मान्यवर, चालू वर्ष का 35 करोड़ तथा इस बजट का 59 करोड़ 32 लाख रु0 का घाटा सरकार कैसे पूरा करेगी ? मुझे तो लगता है कि यह सरकार अध्यादेश द्वारा भारी कर जनता पर लगायेगी । मान्यवर, इस बजट में जनता को गुमराह किया गया है और बहकावा दिया गया है । मान्यवर, मैं तो समझती हूं कि इस बजट से हमारे प्रदेश और देश और गरीब जनता का कल्याण होने वाली नहीं है और हमारे देश के कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है । एक तरफ पुलिस जुल्म है, वह निरीह, गरीब लोगों को सता रही है और मान्यवर, मैं समझती हूं कि हमारे क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह की बात है, पुलिस जो है, देहातों और गांवों में जाकर शराब चुवाती है और उनका जो है, उससे पैसा बंधा रहता है और वह पैसा लेते हैं । इसलिये मैं कहती हूं कि अगर घरेलू लाइसेंस दे दिया जाय, तो उससे इन्कम भी सरकार को हो सकती है और जो पुलिस सता रही है जनता को, उससे वह परेशानी दूर हो जायगी ।

मान्यवर, यह बजट जो रखा गया है मैं समझती हूं अधिकारियों की सुख-सुविधा, ऐशो-आराम और उनके पाकेट में देने के लिये है । मैं अपने क्षेत्र का दौरा करके आयी हूं मैंने देखा कि जो गृह अहेतुक सहायता बांटी जा रही है, तहसीलदार और लेखपाल को साठगांठ से गरीब जनता को नहीं मिल रही है । वह ऐसे आदमियों को मिल रही है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिसके पास सैकड़ों बीघे जमीन है और आलीशान महल हैं। गरीबों को वह सहायता नहीं मिल रही है। यह सरकार कहती है कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। मैं देखती हूं कि लेखपाल और तहसीलदार सारा पैसा खा रहे हैं। गरीब भाई को एक पैसा नहीं मिल रहा है। गोरखपुर का चाहे डी० एम० हो या एस० डी० एम० हो। एस० डी० एम० तो अपने को मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार बताता है और 10 साल से वहां पड़ा है, हरिशंकर पांडेय उनका नाम है। उनके पास जब कोई काम लेकर जाय तो बच्चों की तरह से फुसला कर बात करते हैं। शासन ने बड़े जोर का आदेश दिया कि हरिजन भाईयों को, भूमिहीनों को जमीन दी जाय और कब्जा दिलाया जाय। लेकिन मैं समझती हूं कि हरिजन भाइयों को 10–15 साल से जो जमीन के पट्टे दिये गये हैं उन पर कब्जा नहीं हुआ है। मैं लिखते-लिखते थक गई हूं। जो समस्या लेकर जाती हूं उसको एस० डी० एम० टाल जाता है और ऐसे टाल जाता है जैसे अनसुनी हो।

मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र कोडीराम को लेना चाहती हूं। एकीकृत विकास योजना के तहत 6 सौ लाभार्थियों को ऋण वितरण होना था लेकिन मेरे क्षेत्र कौड़ीराम में पिपरौली, कौड़ीराम, चरगांवा, बांसगांव में किसी आदमी को ऋण वितरण नहीं हुआ। वहां के अधिकारी सब साठगांठ करके खा रहे हैं। जनता को एक पैसा नहीं मिल रहा है। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में स्कूलों की हालत है। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में स्कूलों की ऐसी दशा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे चिलचिलाती धूप में खुले आसमान में बैठकर पढ़ते हैं कोई भवन नहीं है। कई किलोमीटर दूरी पर स्कूल नहीं हैं। जहां बच्चों को पढ़ाई हो सके, उनका भविष्य अंधकार में है। मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र की तरफ थोड़ा ध्यान दें, जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल खोले जायं। हमारे क्षेत्र में लड़कियों के लिये कोई इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है। सयानी लड़कियों को दूर जाना पड़ता है। इसलिये मैं चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में लड़कियों के लिये इन्टरमीडिएट कालेज खोल दिया जाय। लड़कियों को सुविधा हो जायेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोड़ीराम में हास्पिटल के लिये जमीन उपलब्ध है बाबागाड़ा और महावीर छपरा में। यदि 30 शैय्या वाला अस्पताल वहां खोल दिया जाय तो जनता को काफी सुविधा हो जायेगी।

मान्यवर, इसी तरह हमारे क्षेत्र में बन्ध की बहुत जरूरत है। मान्यवर, हमारे यहां बसावनपुर है वहां बन्धा नहीं है, वहां जब बाढ़ आती है तो वहां के लोग नाली के कीड़े के तरह से हो जाते हैं और तब कुछ ऐसा नहीं हो पाता है कि वह बाहर निकल पाये, मान्यवर, धसकी कतवारी रिंग बांध बांध दिये जाये तो सही हो। इसके अलावा मान्यवर, कोड़ीराम और पिपरौली जो क्षेत्र है वहां बुनकर की बड़ी समस्या है। वहां हजारों भुखमरी की कगार खड़े हैं। मान्यवर, पीतल बनाने वाले भूख से मर रहे हैं। अगर वहां सूती मिल उद्योग खुल जाएं और पीतल का कारखाना खोल दिया जाए तो बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी और बेकारी दूर होगी। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहती हूं वहां कई जगह ऐसी हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है। हमारे किसान भाई पानी के लिए परेशान हैं। मान्यवर, मैं कितनी ही बार माननीय मंत्री जी को लिखकर दे चुकी हूं और हाऊस में जब से चुनकर आई हूं लिखकर दे रही हूं। यह बात बार-बार दोहरानी पड़ती है और बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे किसान भाइयों को कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। अगर वहां ट्यूबवेल लगवा दिए जाएं तो उनको सुविधा हो जाएगी

और साथ ही फसल भी अच्छी होगी। मान्यवर, ट्यूबवेल हैं भी, तो खराब स्थिति में हैं। उसकी नाली खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है। मोटरबोट नहीं लगे हुये हैं जब मैं गांव में जाती हूं और इस तरह की परेशानी और कठिनाइयों को देखती हूं तो बड़ा ही कष्ट होता है।

मान्यवर, कछार एरिया है वहां रानी और राप्ती नदी है। सड़कों को कछार एरिया में कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारियों को लिखकर दिया लेकिन सड़क नहीं बन पाई जिससे कछार एरिया की जनता को बड़ी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं चाहूंगी कि कछार एरिया में जहां सड़कों का कोई साधन नहीं है वहां सड़कें बनवायी जाएं तो वहां की जनता को आवागमन में राहत होगी। इस तरह से मैं कोड़ीराम की बात कहना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, महिलाओं की तरफ से कोई महिला नहीं बोलती है, मैं ही कभी-कभी बोलती हूं। थोड़ा सा समय और बढ़ा दें। मान्यवर, कौड़ीराम में दक्षिण एरिया है, वहां चीनी मिल लगा दी जाए तो मैं समझती हूं कि हमारे किसानों को गन्ना बाहर न ले जाना पड़ेगा। इसी तरह से मान्यवर, पाण्डेपार गांव है वहां भेड़ काफी होती है वहां ऊन उद्योग का कारखाना स्थापित कर दिया जाए तो हमारे बेरोजगार नौजवान भाइयों को रोजी-रोटी मिल जाएगी।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहिए।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैंने बहुत से क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, जो हमारे नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका घोर विरोध करती हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा का आज तीसरा दिन है और मैंने बहुत से सम्मानित विपक्ष के सदस्यों को सुना और माननीय नेता, विरोधी दल को भी सुना। मुझे ऐसा लगता है कि विरोध पक्ष के माननीय सदस्य केवल एक ही रास्ता अख्तियार करते हैं। वह रास्ता केवल इसका कि मुल्क में कुछ हुआ नहीं, मुल्क में कोई प्रगति नहीं हुई, हमारे प्रदेश में गरीबी बढ़ी है। इस एक रास्ते को अख्तियार करने में बहुत खतरा है। अगर केवल यह कहें कि कुछ नहीं हुआ, हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्रगति नहीं है, यह निराशा और कुंठा का वातावरण उत्पन्न करता है। और केवल यह कहें कि बहुत कुछ हो गया है और बहुत एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है कि अब बहुत होना बाकी नहीं है तो उससे भी भविष्य के प्रति उदासीनता पैदा होती है। इसलिए एक सेंस आफ बैलेंस की आवश्यकता है, संतुलन की जरूरत है। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत कुछ होना बाकी है। केवल यह कह देना कि कुछ नहीं हुआ है, यह उचित नहीं है। एक चीज मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। कौन सा मुल्क है जो हमारे साथ स्वतंत्र हुआ हो तरक्की कर गया हो। यह भी पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुल्क है जो एक ही रात या दिन में तरक्की कर गया है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चायना की भी बात बताता हूं, जापान की भी बात बताता हूं और अपनी भी बताता हूं ।

चायना बहुत तरक्की कर गया है, उसका हवाला आपके सामने देता हूं । चायना में सिविल वार खतम हुआ । माननीय सदस्य ने चीन की बात कही, इसलिए उसकी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वहां सिविल वार खतम होने के बाद उनके पास इण्डस्ट्रियल फैसेलिटीज थीं, उनके पास बहुत कुछ था । हमने बिलकुल जमीन से शुरू किया है । हममें उनमें बहुत फर्क है । आप डेमोक्रेटिक पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति के मुताबिक तरक्की के रास्ते पर हैं । वहां मास मूवमेंट हुआ है । दोनों के क्रियाकलापों में बहुत फर्क है । सारी जमीन का उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया, सारी प्राइवेट प्रापर्टी नेशनलाइज कर ली । आपके यहां यह तो नहीं है । आपके यहां कम्पलशन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है । कम्पल्शन नहीं है । स्वतंत्र विचार प्रकट करने की छूट है । तो इन दोनों तरीकों में फर्क है । आपने स्क्रेच से शुरू किया है । उनके पास बहुत कुछ था । आपके मुल्क में बहुत कुछ हुआ है ।

यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इंगलैंड और जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात रखें तो कम से कम दो सौ वर्ष लगे इंगलैंड को इण्डस्ट्रियल तरक्की करने में, तब उसने औद्योगिक प्रगति की । अगर हम अमेरिका का लें, तो उसे भी डेढ़ सौ साल लगे, फ्रांस को भी डेढ़ सौ साल लगे । जापान को भी पचास साल लगे, उन्नति के इस शिखर तक पहुंचने में । प्रगति में समय लगता है । इतने थोड़े समय में हमने जितनी प्रगति की है, मुझे ऐसा विश्वास है कि यह प्रथम श्रेणी की प्रगति है । 1949 में ऐसा महसूस किया जाता था कि भुखमरी फैल जायेगी और बहुत से लोग यह भी कहते थे कि यदि भारत वर्ष ने खाद्यान्न की समस्या को हल कर लिया तो इसका बहुत बड़ा असर एशिया में पड़ेगा । हमने खाद्यान्न की समस्या को हल कर लिया । बहुत तेजी से हमने इस समस्या को हल कर लिया । आज इसका व्यापक असर दुनिया पर पड़ा है ।

श्रीमन्, हमारे विरोधी पक्ष के भाई कहते हैं कि गरीबी बढ़ी है । इस सम्बन्ध में जो कुछ वह कह रहे हैं वह सत्य से परे हैं । गरीबी बढ़ी नहीं वरन् बेहतर किसान हुआ है और बेहतर लोग हुए हैं । हमारी आकांक्षायें बहुत ज्यादा हो गयी हैं । यदि आप 40-50 साल पहले की हालत और आज की हालत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा कि हमने कितनी ज्यादा प्रगति की है । आज किसान के जीवन में काफी तबदीली हुई है । रेडियो ट्रांजिस्टर टेलीविजन सेट, धुलाई की मशीन, टेपरिकार्ड, मोटर साइकिल और बिजली से चलने वाले यंत्र आदि आज अधिकांश किसानों के पास हैं । आज देहातों में लोगों के पास पक्के मकान हैं । जो लोग देहातों में रहते थे, वे शहर में आकर पक्के मकान बना लिए हैं और शहरों में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं । अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं । आज हम प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं ।

श्रीमन्, मैं एक खतरा देहातों में महसूस करता हूं, वह है जनसंख्या का बढ़ना । आज देहातों में जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है । होता यह है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके जो 4-4 लड़के हैं जमीन को बांट लेते हैं । इस प्रकार ज्वाइन्ट फैमलीज खत्म हो रही हैं । हम सभी को यह देखना पड़ेगा ।

दूसरी तरफ अभी सामन्तवाद का युग थोड़ा सा है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी कितने जमींदार, ताल्लुकेदार और सरमायेदार हैं, जो स्वयं अपने खेत की जुताई नहीं करते हैं, अपितु दूसरे से करवाते हैं ? उन लोगों का स्टेटिक्स हमारे सामने में आना चाहिये ।

ऐसे लोग स्वयं काम न कर दूसरों से करवाते हैं और जमीन के मालिक भी बने रहते हैं और उस जमीन का एटेचमेन्ट उन्हीं से रहता है । एक ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये, जिससे उस जमीन का गरीबों में फरदर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ।

श्रीमन्, अब पूरा ग्राम समाज पांच भागों में तकसीम है । पहला तो वह जो बहुत धनी है, दूसरा वह जो मिडिल क्लास में आते हैं, तीसरा वह जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, चौथा वह है जो गरीब है और पांचवां वह क्लास है जो बहुत ही गरीब है । हमें आज उस पांचवें क्लास को उठाना है । हमने इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति भी की है, हमने उन्हें इस क्लास से ऊपर उठाया है, लेकिन जितनी हम उम्मीद करते थे, उतना अभी नहीं हो पाया है । मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिए ।

श्रीमन्, आज सबसे बड़ी समस्या अन-इम्पलायमेन्ट की है । इसे कैसे हल किया जाय, इसे देखने की जरूरत है । इसको हल करने के लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ेंगे । ऐसी बात भी नहीं कि हमने इसके लिए कोई कदम न उठाया हो । हमने कुछ हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त की है । औद्योगीकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अन-इम्पलायमेन्ट को हल किया जा सकता है । आज हमारे बहुत से नवयुवक जो गांवों में रहते हैं, वे गांवों को बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हैं, परन्तु हो यह रहा है कि वे सभी नवयुवक शहरों की तरफ आ रहे हैं । यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा हो गयी है । कितने जाब पैदा कर पा रहे हैं, यह कहा नहीं जा सकता लेकिन कितने बढ़ाये जा सकते हैं, इस पर बहुत जरूरी है कि इसको देखा जाय । मेरे विचार से जो फैक्ट्रीज चलती हैं, यदि उनमें दो शिफ्टें, कार्य के लिए, कर दी जाती हैं, तो शायद यह समस्या कुछ हद तक दूर हो जाय । कुछ और भी रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं, जिससे हमारे बेकार नौजवान उसमें खप सकें । मान्यवर, हाई स्कूल से इन्टरमीडिएट तक शिक्षित एक ऐसा तबका है, इतनी बड़ी फौज है कि यदि उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगाया जाय, किसी प्रोडेक्टिव कार्य में लगाया जाय, तो उससे हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है और हम प्रगति के रास्ते पर जा सकते हैं और उन लोगों को काम भी मिल सकता है । आज यह बहुत बड़ी समस्या है ।

मान्यवर, मैं यही आपसे यह निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, उसको कम करने की आवश्यकता है । मान्यवर, इसी तरह से जो कर्मचारी, अधिकारी, जो कौम बराबर अपनी सुविधाओं की ही मांग करती रहे और उन सब सुविधाओं की पूर्ति में ही वे लगे रहेंगे तो उससे काम आगे नहीं बढ़ेगा । यदि सरकार इन्हीं सब सुविधाओं की बाबत देखती रहेगी, तो उन अधिकारियों या कर्मचारियों की सुविधाओं की बाबत कार्य करने में ही सरकार को 5 साल लग जायेंगे, दूसरे उसके पास कोई कार्य नहीं हो पायेंगे, इसी में वह उलझी रह जायेगी । इसलिए मेरा अधिकारियों, कर्मचारियों से निवेदन है कि थोड़ा सब्र करने की जरूरत है । मान्यवर, चौदहवीं सदी में जापान के महाराजा ने अपनी जनता से कहा था---वी आल मस्ट आउट आल अवर कैपेबिलिटीज एट दि सर्विस आफ दि नेशन ।

हम सबको अपनी योग्यता के मुताबिक, हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़े ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय लाल प्रताप जी, दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर देना है । आपको काफी अवसर मिल गया ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट जनता को राहत देने के लिए पेश किये जाते हैं । अगर मान्यवर, बजट के द्वारा जनता को राहत नहीं दी जयेगी तो मान्यवर, यही कहना पड़ेगा कि बजट जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए एक थोथी-पोथी मात्र है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसलिए देखिये दो मंत्री लोग आंख बन्द कर लिए हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

ध्यान मगन कर रहे हैं, माननीय मोहन सिंह जी, आप लोगों की बातों को बड़ी गम्भीरता से लिया जा रहा है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, संसदीय इतिहास में बजट प्रस्तुत होते रहे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

लगता है, बड़े लम्बे अनुभव की बात बता रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जब से इस देश के अन्दर, देशी अंग्रेज शासनारूढ़ हुए हैं, तब से आप देख लीजिए, जनता को क्या कोई राहत मिली है ? मेरी यह निश्चित धारणा है कि आज जो भी स्थिति देश और प्रदेश की हो गई है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । अब से 30 साल पहले इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह हालत भी हमको देखने को मिलेगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

बड़ी पीड़ा है ।

श्री मुख्तार अनीस--

इनको प्रदेश की पीड़ा नहीं है, पेट की पीड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी चर्चा जारी रखें, देहलवी जी ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि इस समय जो महंगाई है, तीस वर्ष पहले इस महंगाई की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे । हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस के सम्पर्क में कैसे लोग आते हैं, जो यह कहते हैं कि बड़ी प्रगति हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन मैं इन कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि यह खादी के कपड़े उतार कर रेल और बसों में चलें, तो ये मान्यवर, निश्चित पायेंगे कि आज खद्दरधारी लोगों से जनता घृणा करने लगी है । मान्यवर, लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं । एक वक्त था जब खद्दरपोश लोगों से जनता को बड़ी मोहब्बत होती थी, उनको देवता तुल्य मानते थे । आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, क्या आज वह आस्था जनता में है ? नहीं है और उसका मुख्य कारण यह है कि खद्दर-पोशों व नेताओं का चरित्र सम्मान योग्य नहीं रह गया है ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा में क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था है, तभी तो मांग रहा हूं । व्यवस्था इस बात की है कि खादी पहनने वालों का देश है और उसकी निन्दा कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

वे खादी पहनने वालों की चर्चा कर रहे हैं, खादी को चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी--

आज कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि न तो व्यक्ति रेल में सुरक्षित है, न बस में सुरक्षित है, न अपने गांव में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है। क्या इसकी कल्पना हो सकती थी? आप कहते हैं कि प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां दिखाई दे रही है तरक्की? मेरी यह निश्चित धारणा है कि जो बजट प्रस्तुत होता है, उसका 3/4 भाग भ्रष्टाचार में चला जाता है। यह सही है कि अगर बजट का 3/4 भाग भ्रष्टाचार में न चला गया होता तो अब तक देश में और प्रदेश में दिखाई देता कि कुछ प्रगति हुई है। माननीय लाल प्रताप जी, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे अपने अन्तर से यह बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जो विचार आज उन्होंने व्यक्त किये हैं, अगर उसको आजादी के पूर्व के समय से भी तुलना करें तो मैं समझता हूं कि अगर उनको गलतफहमी होगी, तो दूर हो जायेगी।

बजट का 3/4 हिस्सा, जो भ्रष्टाचार में खर्च हो रहा है, स्थिति आज यह है कि यह कांग्रेस के लोग मंत्री और इनके कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता इस भ्रष्टाचार को दूर करने में अक्षम हैं, असहाय हैं। इनके बस का नहीं रह गया है। मुख्य कारण यह है कि ये कहते हैं कि निजी चरित्र का कोई मूल्य नहीं है। मेरी अपनी धारणा है कि राजनीतिक लोगों का अगर निजी चरित्र अच्छा होगा, ठीक होगा तो शासन भी दुरुस्त रहेगा, ठीक होगा। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई मंत्री भ्रष्टाचार में परे है? सत्तादल के विधायक सत्ता दल में रहने का लाभ उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं 67 से लगातार विधायक हूं। मेरे पास आज एक झोपड़ी तक नहीं है। मैं देखता हूं कि इस बार नये-नये विधायक हुए हैं, और नई एम्बेसडर पर घूम रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे? माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सफाई दी थी। मान्यवर, सफाई तो अदालत में चोर भी दे देता है, कभी नहीं कहते कि हमने चोरी की है। आज आप हम पर कोई इल्जाम लगा दीजिए, हम उसका सिर्फ दो शब्दों में खण्डन कर देंगे तो इससे काम मान्यवर, नहीं चलेगा। माननीय लाल प्रताप सिंह जी तो उन विवेकशील लोगों में से हैं, जिन्हें इस तरह की बातों पर ध्यान देना चाहिए, अगर वह इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते तो मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आने वाली आपकी पीढ़ी आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेगी। अगर यही समस्या रही तो ऐसी स्थिति आ जायेगी कि जब न तो आप शासन में रहेंगे और न मैं रहूंगा, उस समय शासन में कोई दूसरे ही होंगे।

मान्यवर, इतनी तबियत कभी-कभी घबड़ाती है कि क्या होगा इस देश का, भगवान ही मालिक है और कभी-कभी इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह सरकार कैसे अच्छी हो, जिस तरह से पुलिस चोरों से जुल्म और माल कबूलवाती है, उसी तरह से अगर इन राजनीतिक लोगों से कबुलवाया जाये शायद इस देश की आधारशिला कुछ अच्छी बन सके, अन्यथा मान्यवर, यह रोग ला-इलाज हो गया है। कल मैं रेल से आ रहा था, उसमें एक आफिसर भी सफर कर रहे थे, एक नौजवान ने उनसे यह प्रश्न किया कि आप इतने बड़े आफिसर हैं, क्या आप किसी को नौकरी दिला सकेंगे तो उस आफिसर ने कहा कि इससे हमको क्या रिटर्न मिलेगा, आज हर जगह "गिव एण्ड टेक" का मामला है। मैं उनकी बात को बहुत गौर से सुनता रहा तब मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसे हर जगह "गिव एण्ड टेक" चलेगा तो राष्ट्र का क्या

बनेगा तो उन्होंने कहा (वह यह जानते नहीं थे कि मैं एक विधायक हूं क्योंकि मैं कपड़े उस तरह के नहीं पहने हुए था) उन अफसर ने कहा कि जब आज बड़े-बड़े नेता और मुख्य मंत्री जो भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक डूबे हुए हैं तो आखिर हमारे भी बच्चे हैं। मान्यवर, वह तो सही कह रहे हैं, जो आज हो रहा है, वही वह कह रहे हैं। जब मंत्रियों के बारे में आफिसर्स ऐसी राय रखेंगे, तो क्या कोई आफिसर मंत्रियों और माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन करेंगे तो इस तरह से आपको नसीहत और देश का प्रधान मन्त्री को नसीहत को लोग क्या मानेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि यह हमको तो नसीहत दे रहे हैं और खुद कितने पानी में हैं। इसलिए आज यह स्थिति हमारे और आपके सामने है कि मुख्य मंत्री के आदेशों तक की अवहेलना हो रही है, हालांकि आज इसको मानने के लिए कोई कांग्रेसी तैयार नहीं है कि आपके प्रशासन में आज क्या हो रहा है? मान्यवर, यह आफिसर फिर मुझसे कहने लगा कि आज गुन्डों का राज्य है। उन्होंने गोरखपुर के एक दादा का नाम लिया और कहा कि मुख्य मंत्री जो उनके घर पर जाकर उनके चरण-स्पर्श करते हैं।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

वह कहे हों या नहीं लेकिन आप जरूर कह रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

इतना ही नहीं मान्यवर, यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की जब भी मीटिंग होती है तो वह दादा आगे मंच पर बैठते हैं। मान्यवर, कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि राजनीतिक लोग भी ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे। आप जरूर सोचें विवेक से कि क्या स्थिति होगी। मान्यवर, यह पहले ही कहा जा चुका है कि अगर यहां कुछ लोग, या 90 लोग विधायक बन कर न आ गये होते तो उनकी जगह आज जेल में होती। इस तरह के विधायक हैं जो यहां बैठे हुए हैं और अगर यह कहिये कि उनके चरित्र में सुधार आ गया है विधायक हो जाने से तो मैंने मान्यवर, उनके अन्दर या उनके चरित्र में कोई सुधार नहीं देखा है।

एक सदस्य--

स्पष्ट तो करिये कि किधर के विधायक?

श्री मोती लाल देहलवी--

कांग्रेस के विधायक। तो मान्यवर, जब स्थिति यह है कि दादा लोग राजनैतिक लोगों के यहां शरण पावेंगे तो कानून व्यवस्था में क्या सुधार होने की सम्भावना है? मान्यवर, मेरी समझ से तो पूर्ण असम्भव है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आज लगता है कि पूरा प्रदेश सिमट कर रायबरेली और सुल्तानपुर के अन्दर रह गया है। आपको यदि प्रदेश की प्रगति देखनी है तो केवल रायबरेली और सुल्तानपुर (अमेठी) को देख लीजिये जिसमें बड़े-बड़े निर्माण काय हो रहे हैं। यह अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? केवल इसलिए यह बजट जो कि चुनाव का बजट है और उनको चुनाव लड़ना है, और चुन कर आना है तो वहां पर कारखाने खोल लिये, सड़कें बनवा दीं। अभी एक विधायिका जी कह रही थीं कि मेरे क्षेत्र में काफी सड़कें बनाई गई हैं इस शासन के दौरान। मेरा निश्चित मत है कि एक भी विरोधी पक्ष के विधायक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, न सड़कें बनी हैं और न किसी पुल इत्यादि का निर्माण किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री मोती लाल बेहलवी--

क्या स्तर रह गया है इस शासन काल में विरोधी पक्ष का ? मान्यवर, 1857 में चर्बी लगी कारतूस जिसको मुंह में लगाना पड़ता था जिसके कारण इतना बड़ा विद्रोह हो गया था परन्तु इस शासन ने लोगों को सुअर की चर्बी खिलाई है, गाय की चर्बी खिलाई है । क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेश की जनता भोली भाली है । एक साहेबान यानी एक आफिसर कह रहे थे कि यह चर्बी सिर्फ चुनाव के टाइम 20 लाख में शुद्ध घोषित हो जायेगा । मान्यवर, यह सही है कि ऐसी ही लोगों के पैसे से कांग्रेस चुनाव लड़ती है और बात ये मान्यवर, गरीबी को करते हैं । मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि अब भी यदि आप के अन्दर सत्यता है तो आप अपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में एक सूत्र और जुड़वा दीजिये और वह सूत्र है कि यह फसलें जो सीपेज की वजह से बच नहीं पा रही हैं और जिसकी क्या आपको कोई जानकारी नहीं है, केवल आप स्वागत करने जायेंगे प्रधान मंत्री का ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये, आपका समय हो रहा है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मुझे कम से कम एक घन्टा चाहिये था अपनी बात को कहने के लिए, तब कहीं मैं अपनी बात को कह पाता तो मैं कह रहा था कि यह जो सीपेज की समस्या है, पानी भरा रहता है खेतों में हमने कई बार कहा

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुये ।)

कि पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाये, जिले में कहा जाता है कि पैसा दिलवाइये, हम कर देंगे, उसके लिए पैसा नहीं । क्या यह आवश्यक नहीं है, जहां आप दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं पानी के मराव से फसलें बरबाद हो रही हैं । तो क्या यह आप की ड्यूटी नहीं है । अगर आप लोग चाहें तो प्रधान मंत्री जी के 20 - सूत्री कार्यक्रम में जल निकासी का एक सूत्र और बढ़ाकर 21 सूत्री करायें । लेकिन मुख्य मंत्री जी को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है और कुछ विधायक मंत्री बनने के लिए खिदमत में लगे हुए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है । तो मान्यवर, इस प्रदेश का क्या होगा । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस सरकार को बजट पास कराने का कोई अधिकार नहीं है और मैं इस बजट का जोरदार ढंग से खंडन करता हूं ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मन्त्री जी के बजट चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । श्रीमन्, मैंने अभी बुजुर्गवार सदस्य श्री मोती लाल देहलवी जो का भाषण सुना और ऐसा भाषण सुना कि जो बेबुनियादी है और जो ऐसा भाषण था कि आप कीर्तन कर रहे थे और उसके लिये एक बहुत बड़ी जमात इकट्ठा कर रहे थे । आपने कानून व्यवस्था की बात कही । हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को अमली जामा पहना रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है । अगर कानून व्यवस्था बनानी है तो विपक्षी लोगों को भी हमारा साथ देना होगा, यह बात तो आपको भी सोचना चाहिये कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाये । आपने कई बातों की चर्चा की । वैसे तो विकास हो रहा है, देहलवी जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारा विचार है कि वह जो कह रहे थे वह सत्य के परे बात है । श्रीमन्, आज जो विकास हो रहा है, वह इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा

हैं । इनके पास पता नहीं कौन सा चश्मा है जिससे विकास नहीं दिखाई पड़ता है । वह चश्मा हम लोगों ने 1980 में पहना था और फिर 1985 में फिर पहनेंगे । प्रदेश में जो विकास हो रहा है, हर जिले में विधायक के क्षेत्र में हो रहा है, आपको तो केवल अपोजीशन करना है, आपको तो रोना ही रोना है, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ सकता है ।

श्री कुबेर भंडारी--

आपने तो होटल चला रखा है ।

श्री बिहारी लाल--

मैंने तो होटल चला रखा है, कारोबार करना कोई बुरी बात तो नहीं है । अगर कारोबार नहीं करेंगे तो क्या राहजनी करेंगे । तो जो प्रदेश में विकास हुआ है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए हमारी सरकार और केन्द्र की सरकार जो कार्य कर रही है और जो करने जा रही है, वह किसी से छिपा नहीं है । मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, मैं खटीमा से चुनकर आता हूं । इसके दो ब्लाक पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं और ढाई ब्लाक तराई क्षेत्र में आते हैं । मेरे क्षेत्र में कुकरा नाम की एक ग्राम सभा है, दो साल पहले वहां पर कांटा मंजूर हुआ था लेकिन आज तक नहीं लगा । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे इस क्षेत्र कुकरा में जो कांटा मंजूर हुआ था, उसे लगाया जाय । मान्यवर, एक मिनट का समय और लूंगा । हमारी सरकार की तरफ से और केन्द्र की सरकार की तरफ से 477 लाख रुपये था । थारू जनजाति के लिये मंजूर हुआ था । वहां पर थारू प्रोजक्ट लग गया । वहां पर जब मैंने अधिकारियों से उसकी प्रगति के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि थारू प्रोजक्ट तो लग गया है लेकिन उसको शुरू करने के लिये धन नहीं है । अतः मेरी प्रार्थना है कि उसके लिये पैसा दिया जाय ताकि वह शुरू हो सके ।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में ओला वृष्टि बहुत जबरदस्त हुई । 19 तारीख को वहां पर ओले गिरे । उसके बारे में सितारगंज के एस० डी० एम० की जो रिपोर्ट है उसे बताना चाहता हूं । मैं अपनी रिपोर्ट बाद में दूंगा क्योंकि मेरा क्षेत्र है, हर विधायक अपने क्षेत्र में जाता है उसे वास्तविक जानकारी वहां की होती है । तो श्रीमन्, मेरे क्षेत्र खटीमा में एस० डी० एम० की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 3 करोड़ रुपये का नुकसान गेहूं का हुआ है । वहां के किसान थाली लिये हुये भीख मांग रहे हैं । गन्ने की फसल बची रह गई थी, वह भी खराब हो गई है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा खाद दे, अनुदान दे और सस्ते दर पर ऋण दे । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सितारगंज ब्लाक के अन्तर्गत भी इसी तरीके से नुकसान हुआ है । ओखलकांडा और धारी के बारे में तो गुप्ता जी को और माननीय मोहन सिंह जी को मालूम है कि वहां पर केवल आलू और सेब की ही फसल होती है वह भी चौपट हो गई है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ हमारी सरकार ध्यान दे । हमारे हरिजन कल्याण मंत्री बैठे हुये हैं । हरिजन छात्रों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि कुमायूं और गढ़वाल के जो 8 जिले हैं वहां पर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है । उसमें बहुत से स्कूलों के प्रधानाचार्य ऐसे हैं कि सारी छात्रवृत्ति खा लेते हैं और उनको नहीं मिल पाती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि हरिजन कल्याण मंत्री इसकी भी जांच कर लें । श्रीमन्, आपने इस सामान्य चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, आपने वर्ष 1984-85 के बजट पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब मैंने अपनी नीयत पर इस बजट के सम्बन्ध में विचार किया है तो मैंने देखा कि जब तक इस प्रदेश और देश में कृषक और कृषि को बढ़ावा नहीं दिया जायगा, उसका वित्तीय प्रारूप चाहे जितना चिकना और चुपड़ा क्यों न हो, जन सामान्य को प्रोन्नति का अवसर नहीं मिलेगा और उसे सुखी जीवन बिताने का अवसर नहीं मिलेगा तो न हम इस पर विचार कर सकते हैं और न समर्थन कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो-तीन चीजों के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने कोयले के दाम बढ़ाये, रेल का भाड़ा बढ़ाया, बस का भाड़ा बढ़ाया। निश्चित रूप से इसकी मार किसान के ऊपर पड़ी है। आपने चीनी का दाम बढ़ाया है लेकिन गन्ने को कीमत नहीं बढ़ाई है। इस बजट के माध्यम से आप मन की गन्दगी समझें या उसकी वास्तविकता, इससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। चुनाव नजदीक है। सत्तासीन होने के नाते इससे केवल पूंजीपतियों को ही लाभ हो सकेगा, किसानों का शोषण ही होगा।

मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की खेती को कैश क्राप के रूप में लेता है। यह तीन वर्ष की हो गई है। एक वर्ष बोता है, दूसरे वर्ष किसी तरह से गिराता है और तीसरे वर्ष आधा या तीन चौथाई पैसा भुगतान पाता है। वही किसान जो गन्ना बोने के लिए, खाद खरीदने के लिए कर्जा लेता है, पानी के लिए कर्जा लेता है गांव के साहूकार के पास जाकर पैसा लेता है। लेकिन जब गन्ना गिराता है तो स्वयं भी साहूकार की स्थिति में आ जाता है और गन्ने को उधार बेचकर चला आता है। यह सोचे रह जाता है कि जब गन्ना गिरेगा लड़की की शादी के लिए पैसा मिलेगा, बूढ़ी मां के इलाज के लिए पैसा मिलेगा लेकिन वह तब निराश हो जाता है जब वह अपने पैसे को समय पर नहीं पाता है। आप गन्ने की कीमत बढ़ाये होते, गेहूं की कीमत बढ़ाये होते तो किसान का जीवन संवरता। लेकिन कृषि द्वारा पैदा होने वाली चीजों का, उसके बदले रूप के पैसे आपने बढ़ा दिये। बिस्कुट के दाम बढ़ा दिये, कपड़े के दाम बढ़ा दिये लेकिन कपास की कीमत और सूत की कीमत नहीं बढ़ाई।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिजली की उपलब्धता होनी चाहिये और कहा गया है देहातोन्मुखी बजट में बिजली को बढ़ायेंगे, गांव-गांव को बिजली की दूधिया प्रकाश से नहला देंगे लेकिन उसके विपरीत आपने ओबरा में ईंधन को जलाने के बजाय उसकी मशीन को ही जला दिया और वहां के निरीह अवर अभियन्ता की हत्या की जा रही है और जांच कमेटी में यहां के अध्यक्ष को सदस्य बना दिया है। वाह रे मिश्र जी, जिसका दूर से भी शर्म और हया से सम्बन्ध नहीं रह गया है उसको जांच समिति का सदस्य बना दिया गया है। देहात में पहले भी प्रतिभा पैदा होती थी और आज भी होने जा रही है। खम्भे वहां लगते हैं लेकिन बिजली वहां पहुंचने से पहले गायब हो जाती है। देहातों में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर पैदा होने जा रहे हैं जो खम्भे के नीचे ही बैठकर पढ़ा करते थे। मिट्टी तेल आप देंगे नहीं तो वहां बिजली के खम्भे के नीचे ही बैठकर पढ़ा करेंगे। बिजली वहां जायेगी नहीं, कृषि उत्पादन होगा नहीं, विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे। इस प्रदेश के नौजवानों को अंधकार में झोंकने की यह एक साजिश है। सामान्य प्रशासन की दृष्टि से हमारे पूर्व वक्ता जो मेरे बड़े सम्मानित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको माननीय चाचा जो कहता हूं, उन्होंने कहा इस प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है । इस प्रदेश और देश ने तरक्की को है, बसें लूटी जा रही हैं, ट्रेनों में डकैतियों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, माननीय सदस्य लटूरा सिंह को हाई कोर्ट में गोली मारी जा रही है । लखनऊ के अधिवक्ता लल्लू सिंह को कई दिनों तक अपहरण करने के बाद काटा जा रहा है । हमारे यहां अभी फाजिलनगर में मुगलपुरा कांड हुआ दो तारीख को वहां सरे आम साढ़े पांच बजे कांग्रेस पक्ष के क्षेत्रीय नेता ने भलौनी ब्लाक प्रमुख उदल सिंह और उनके साथियों पर गोली वर्षायी । जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गयी लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी । 11 बजे तक टेलीफून से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन कोई टेलीफून उठाने वाला नहीं मिला । तीन हत्या हुई और चार आदमी गम्भीर रूप से घायल हैं । मैं चिकित्सा के लिए लोगों का देखने के लिये गया वहां पर कोई दवा नहीं (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, पांच मिनट और दे दें । यह 5 मिनट आपके दिये हुए मुझे मिलेंगे यह मेरा आग्रह है ।

श्री अधिष्ठाता---

केवल दो मिनट बोलें बहुत से लोग बोलन वाले हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

मान्यवर, सामान्य प्रशासन की दृष्टि से कहूंगा इसी सदन की यह बात है । यहां पर सवाल आया है हमारे जनपद में बाढ़ खंड अभियन्ता, गिरधर धर दूबे के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि यह सरकार किसी को धमकी में आकर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, लोगों की धमकी से कोई बात नहीं करेंगे । लेकिन एक भ्रष्टाचारी को अपने सबल हाथों से वह बचाये हैं । पिछले 6 सालों से वह वहां पर रुका हुआ है देवकली पम्प कैनाल के सम्बन्ध में गिरधर धर दूबे के खिलाफ विजीलेन्स की जांच होकर शासन के पास रखी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उन पर आरोप सिद्ध पाये गये, हमने लिख कर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है चूंकि उस पर मंत्री जी का सबल संरक्षण है ।

मान्यवर, यह सरकार हरिजन, मुसलमान और महिलाओं के लिये मर रही है और जितनी ही यह मर रही है उसके अधिक हरिजन और मुसलमान एवं महिलायें मर रही हैं । इसलिये हरिजन गिरिजन को जीवन देने के लिये यदि सरकार सामने आती तो हम चाहे जितना विरोध करते लेकिन जिनके लिये सरकार जीवन देने की बात करती उनके मन में इनके लिये श्रद्धा होती किन्तु उनको निश्चित दिशा देने के लिये कोई प्रारूप और बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मान्यवर, मेरी ही नहीं आप उच्च पीठ पर बैठे हैं, आपकी भी निश्चित मान्यता होगी कि जिस घर, परिवार और प्रदेश एवं देश में नवजवान जो सोचत है वही उसके आने वाले कल का भविष्य है । यहां का नवजवान अपने में बेकारी का बोझ ढो रहा है । अपने जीवन को संवारने के लिये वह उचित मार्ग का तलाश कर रहा है । वर्तमान सरकार का कहना है कि आज का नवजवान उच्छृंखल और दिशाविहीन हो गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको रचनात्मक दिशा की ओर कौन मोड़ेगा, इसलिये इस काम को आप करें अन्यथा दिवाली के पटाखे की भांति प्रति वर्ष वित्तीय प्रारूप प्रस्तुत होता रहेगा और समस्याओं का निराकरण कुछ नहीं निकलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री राम भजन लाल---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश को आजाद हुये 30 साल से ऊपर

हो गया है और जिसमें हमारे देश और प्रदेश ने जितना तरक्की किया है वह सभी के सामने है। बाहर के लोग भी आकर भारत की प्रगति के विषय में सराहना करते हैं और कहते हैं कि भारत ने इतने वर्षों में इतनी तरक्की कर ली जितनी कि दूसरे देशों ने नहीं किया। जबकि हमारे यहां जनतांत्रिक प्रणाली है और किसी पर किसी तरीके की कोई ज्यादती नहीं, जो जिसकी तबियत में आती है वह कहता है कि यहां तक कि हमको गालियां भी देते हैं। मान्यवर, हम देख रहे हैं कि देश ने 36 वर्षों के अन्दर जो तरक्की किया है जिसे यदि यह लोग नहीं देख पाते हैं तो मैं फारसी का एक शेर सुनाना चाहता हूं :—

नूर गेती फरोस चश्मए होर,

जिस्त शाशद वचवम मूशक कोर।

यह जो सूर्य है संसार में प्रकाश फैलाता है लेकिन छछून्दर और चिमगादड़ के लिये वह रोशनी बुरी लगती है।

मान्यवर, मैं नहीं कहता कि हमारे देश में जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी। इस सम्बन्ध में भी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं—

जुजआंकिस न दानम निको खवाह मन,

किरो:न कुनद वरमन आहूयमन।

मैं उस व्यक्ति को अपना हमदर्द समझता हूं जो हमारे ऐबों को मुझ पर जाहिर करे।

मान्यवर, एक समय ऐसा था कि जब 30 सालों से बराबर जोर लगाने के बाद ढाई साल आपकी हुकूमत रही लेकिन उसमें भी आप आपस में लड़ करके, आपस में कीचड़ उछाल कर, अपने ही दल पर कीचड़ उछालकर, हमने और न हमारे नेता ने कीचड़ उछाला, किन्तु आपस में ही लड़कर चले गये। इसलिये हम समझते हैं कि जो आप कहते हैं वह बुरा नहीं मालूम होता है और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम निभा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं—

हुनर व चश्म अदावत बुजुर्ग तर ऐबस्त,

गुलअस्त सादीओ दरचश्म दुशमनी खारअस्त

हमारी तरक्की, उन्नति और कारगुजारियों से आप इतने परेशान हैं कि आपको हमारी जितनी भी चीजें हैं, बुरी ही बुरी मालूम पड़ती हैं। जिस तरह से कोई दुश्मन उसकी किसी अच्छी चीज को, अच्छे काम को अच्छा नहीं कहता है, वैसे ही आप भी हमारे किसी अच्छे काम को अच्छा न कहकर सदैव हर चीज की बुराई ही किया करते हैं। हमारी खेती की इतनी उन्नति हुई है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। जब हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी, देश में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 6 माह में ही करीब 30 लाख लोग भूख से मर गये थे। लेकिन आज हमारे देश की आबादी जबकि उससे दुगुनी हो गयी है, कोई भी आदमी भूख से नहीं मरने पाता है। चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो और चाहे चावल हो—सभी चीजों का उत्पादन बढ़ा है। साथ ही उद्योग धंधों में भी वृद्धि हुई है। हमारा देश 36 साल से बराबर तरक्की करता आ रहा है। आप हर साल बजट की आलोचना करते हैं, वह आपको खोखला, बेकार और गैर राहत देने वाला दिखाई देता है, लेकिन देश के अन्दर जो उन्नति हुई है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं।

40 साल पेश्तर हमारे देश का किसान इतना गरीब और मुसीबतजदा था कि जाड़ों के दिनों में वह ठिठुर—

ठिठुर कर मर जाता था, उसे पेट में पट्टी बांधने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उस समय किसान कुरी, सावां, कोदो और फाकुन आदि खाकर किसी तरह अपना पेट भरता था. गेहूं उसे मयस्सर नहीं होता था और जब तऊन, प्लेग और चेचक जैसी महामारियां समय-समय पर गांवों और नगरों में फैला करती थीं, तो सैकड़ों और हजारों लोग बिना इलाज और दवा के अकाल से मर जाते थे। पर आज इन तमाम खतरनाक बीमारियों पर हमने काबू पा लिया है। अब चारों तरफ तरक्की हो रही है, निर्माण ही निर्माण चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन आपको वह तरक्की, तरक्की नहीं मालूम पड़ती है।

आपने कहा कि गन्ने की कीमत हमने नहीं बढ़ाई, लेकिन आपको याद होगा कि आपके समय में कितने ज्यादा गन्ने की बर्बादी हुई थी, उसके कारण से आज तक गन्ने का काश्तकार नहीं पनप पाया है। लाखों एकड़ खड़ा गन्ना खेतों में सड़ गया और कृषक को उसे जला देना पड़ा था। आप उससे आंख बन्द कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता की आंख खुली हुई है, वह सब देखती है। केवल बातों से काम नहीं चलेगा। आपने उस वक्त नसबन्दी को लेकर जनता को भड़काकर उभाड़ दिया था और उसके खिलाफ आपने जनता को भड़काया था, अब चर्बी की बात को लेकर आप जनता को हमारे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। आपके पास कहने को कोई बात नहीं है, केवल बदनाम करके और प्रोपेगन्डा करके आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एलेक्शन शीघ्र हो रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, चाहे जितना जोर आप लगा लें आप उसी तरफ बैठेंगे और आप इधर आने के कभी मुस्तहक और हकदार नहीं होंगे। देश ने जो तरक्की की है, उस पर हमें नाज है और उस पर सारी दुनियां को नाज है। हमारी नीतियों का सारा संसार आज कायल है और यह देश संसार के अधिक लोगों को अपने पास रखता है। 100 से अधिक देशों की नेता हमारे देश की प्रधान मंत्री हैं जो हमारी नेता हैं, उन पर हमें बहुत नाज है। आज संसार में उनकी धाक बनी हुई है और संसार में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।

आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, हम भी मानते हैं थोड़ा भ्रष्टाचार जरूर है और उसको दूर करने की हमारी कोशिश है और हम करेंगे। उसके साथ चोरी और डकैती तथा पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ भी मुहिम चलाया गया है राजा विश्वनाथ प्रताप के समय में।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

भ्रष्टाचार अगर है तो इनके घर में है, हमारे यहां कहां है ?

श्री राम भजन लाल--

अगर हमारी पुलिस भ्रष्टाचार करती है तो उसकी हम खिलाफत भी करते हैं और उनको दुरुस्त भी करते हैं। हमारे देश के फौज के नौजवान मुस्तैदी से हमारे देश की और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इतना जरूर है कि जितना काम हमें करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमारा काफिला और कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कारवां को देखकर दूसरे पशु अपना रवैया अख्तियार करते हैं, वही रवैया आपका है। अगर आपको काम करना है तो काम कीजिये, काम के द्वारा ही आपकी तरक्की हो सकती है, खाली आलोचना करने से आपका भला होने वाला नहीं है और न ही आप उससे प्रदेश की जनता का कुछ भला कर सकते हैं। खद्दर के पहनने से कुछ नहीं होता, खद्दर के पहनने के बाद भी आदमी बुरा हो सकता है, और खद्दर न पहनने के बाद भी आदमी अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे नेता ने जो खद्दर पहन

की हमारी आदत डाली, उससे हमें, हमारे देश को और प्रदेश को लाभ हुआ है। पहले हमारे यहां तमाम विदेशी कपड़ा पटा पड़ा रहता था, आज हमारे देश में बने खद्दर तथा अन्य कपड़ों की मांग विदेशों में होने लगी है। यह हमारे लिये गर्व की बात है। आज हमारे यहां का कपड़ा और भारत की बनी मशीनें विदेशों में जा रही हैं और कहां पर उनकी मांग है। आपको यह सब तरक्की, तरक्की नजर नहीं आती है क्योंकि आपको तो केवल खिलाफत करना है।

आज हमारे देश के अन्दर काम करने का बहुत बड़ा मैदान है। आज पंजाब और आसाम में जाकर काम कीजिये, वहां जाकर अपना मोर्चा जमाइये। मगर आप तो सरकार की मुसीबतों को बढ़ाना चाहते हैं और उसे बढ़ाने में लगे रहते हैं। आप जो कुछ आज कर रहे हैं वह देश के हित में नहीं है, देश के साथ वफादारी नहीं है···

(व्यवधान)

आप आज हमारी तरक्की देखकर परेशान हैं···

अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम भजन लाल--

हमारी शिक्षा में आज आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

प्राइमरी शिक्षा वास्तव में नगण्य है। हम चाहते हैं देहात में, शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा जिला परिषद् के अधीन रहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया समाप्त करें।

श्री राम भजन लाल--

मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितनी मुखालफत मुख्य मंत्री जी की करें, पर यह तख्ता पलटने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

हमारे यहां कोई फूट है। हम एक हैं और मैदान में एक ही रहेंगे और आपको (विपक्ष को) पराजित होकर फिर वहीं (विपक्ष में) बैठना पड़ेगा और उसी स्थिति में आप रहेंगे जिस स्थिति में आज आप हैं।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी पूंजीवादी सरकार की यह पहचान होती है कि वह भ्रष्टाचार और अपराधों की वृद्धि को अपना गुण मानती है। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे कह रहे थे इस सरकार ने बड़ी तरक्की की, वह तरक्की कहां और उनकी तरक्की हम लोगों को दिखाई नहीं देती क्या? मान्यवर, आज जो तरक्की है वह उनकी जेबों में जा रही है। मैं भी देखता हूं कि सड़कें बन रही हैं, ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, बिजली की लाइनें खिंच रही हैं, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, मगर आज जो खर्च हो रहा है वह किसकी जेबों में जा रहा? और लाभ किसके घर में जा रहा है? क्या यह गरीब के घरों में जा रहा है या लूटने वालों के घर में जा रहा है? प्रश्न यह है कि जो खर्च आप कर रहे हैं वह उत्पादन के साधनों पर खर्च कर रहे हैं या अनुत्पादक साधनों पर खर्च कर रहे हैं? हमारे जो उत्पादन के साधन हैं उन पर व्यय नहीं हो रहा है, जो अनुत्पादक कार्य हैं उन पर व्यय हो रहा है।

हमारे जो उत्पादन के साधन हैं यह सभी लोग जानते हैं कि किनके पास हैं। कारखाने तथा उत्पादन के साधन बड़े-बड़े लोगों के हाथ में हैं। जब तक उत्पादन के साधन व्यक्तिगत हाथों में रहेंगे। तब तक धन का संग्रह उन्हीं लोगों के हाथों में होगा। मुनाफा उन्हीं लोगों के हाथों में होगा और जो समाज है व छोटे व्यक्ति हैं उनको उत्पादन का लाभ नहीं मिल सकता। जब तक उत्पादन के साधन समाज के हाथों में नहीं होंगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। इनको कौन कहे, इनकी नेता और देश की प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भी देश की तरक्की का निशानी भ्रष्टाचार और महंगाई है। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। अगर भ्रष्टाचार और महंगाई किस देश की तरक्की की निशानी है तो बरबादी की निशानी क्या होगी? वह तो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक भ्रष्टाचार और मंहगाई रहेगी। मैं पूछना चाहूंगा कि अमेरिका में कृषि उत्पादन, केवल 7-8 परसेंट लोग खेती करते हैं और वह सारी दुनिया को खिलाता है। हमारे देश में 75 फीसदी लोग खेती करते हैं और हिन्दुस्तान भर को खाने को नहीं होता है। तो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, हरिजन समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण एवं कृषि विभाग, जितने भी विभाग हैं उनको अगर आप देखें तो उस भ्रष्टाचार में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो हमारे माननीय मंत्री और अधिकारियों के जरिये से किया जा रहा है लेकिन किससे छिपा नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता व हर आदमी जानता है कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको रोक कौन सकता है। जब सारे देश और प्रदेश की जनता सोचेगी तब इसको रोका जा सकेगा। हम यहां बहस करके या आरोप-प्रत्यारोप करके इसको रोक नहीं सकते हैं। जनता की समझदारी के बाद ही इसका विकल्प सामने आयेगा, वह जनता ही हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है।

माननीय, हर चीज में दोहरी नीति है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य विभाग हो। अगर पूरे प्रदेश की जनता के आंकड़े ले लें और जो हमारा बजट है उसको देखें तो प्रति व्यक्ति 4 आने भी दवाओं के दाम नहीं पड़ते। तो फिर हम जनता के स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अंतर इतना है कि अगर गरीब आदमी बीमार होता तो उसको गांव में चूरन तक नहीं मिल सकता। लेकिन अगर राजीव गांधी बीमार पड़ें या हमारे ज्ञानी जैल सिंह बीमार पड़ें तो उनके लिये करोड़ों की दवा मिल सकती है और गांव के लोगों को चूरन नहीं मिल सकता। बड़े आदमी के बच्चे जहां पढ़ते हैं, माननीय, आप उसको जानते हैं और गरीब आदमी के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। इसी तरह से सड़क बनने की बात है। जब सड़क बनता है तो उसको गरीब आदमी बनाता है लेकिन उस पर मोटर गाड़ी और मोटर साइकिल बड़े आदमियों की चलती है और जो गरीब आदमी है वह कचरे में रहता है। इस तरह से हवेलियां और बड़ी-बड़ी इमारतें गरीब आदमी बनाता है लेकिन जब निकिल और फर्निंग हो जाती है तो उसको वहां से बाहर कर दिया जाता है। कभी-कभी तो गरीब आदमियों को उजाड़ दिया जाता है। तो जिस देश में इतना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है तो गरीबी नहीं मिटायी जा सकती है। किसी भी एक क्षेत्र को आप ले लें, आप कहें कि हम यहां से गरीबी मिटा देंगे। आप बच्चों में गरीबी अमीरी का अंतर दूर कर दीजिए। बच्चों को जो शिक्षा है उसमें जो अंतर है उसको दूर कर दीजिये। वह जो एक नारा है उसको सफल कर दीजिए। चाहे कृषि का क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो

किसी एक क्षेत्र से इस अंतर को दूर कर दीजिये ।

अभी देहलवी साहब कह रहे थे कि सरकार ने कहा है कि यह सब का समन्वित विकास करेगी इसलिये योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है । आप देखें सुल्तानपुर, अमेठी, राय बरेली के लिये 11 अरब का बजट केन्द्र से आ रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का जो बजट जा रहा है वह मालूम नहीं है । सारी योजनायें, अमेठी और रायबरेली को जा रही हैं, दूसरे क्षेत्रों के विकास करने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है ? क्या और जगह की जनता को इस बजट में कोई भागीदारी नहीं है या अन्य जगह के लोगों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं हैं ? राजीव गांधी और इंदिरागांधी की कांस्टीट्यूंसी को स्वर्ग बना दिया जाय ताकि वह सदा के लिये अमर रहें । देश की प्रधानमंत्री घर की मालिक जब इतना बड़ा भेदभाव करेंगी तो देश नहीं चल सकता । अगर भेदभाव पैदा होगा तो परिवार टूट जायगा । भाई-भाई, बाप बेटा भी भेदभाव से अलग-अलग हो जाते हैं । जब जनता की रोजमर्रा की जरूरतें नहीं पूरी होंगी, क्षेत्र-क्षेत्र में असमानता होगी तो विकास नहीं होगा । जब देश के अंदर प्रधानमत्री इस तरीके का भेद-भाव करेंगी, विकास के कार्यों और जनता की आवश्यकता के बारे में इस तरह की दोहरी नीति होगी तो यह देश कभी चल ही नहीं सकता है । हम समझते हैं कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार की नीति देश को कुछ देने के लिये नहीं है और विकास की नीति नहीं है । उत्तर प्रदेश का जो बजट रखा गया है, सामान्य चर्चा में तो यह आ ही गया कि यह सिर्फ चुनावी बजट है, लेकिन इससे ग्रामीण जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कुछ भार ही बढ़ने वाला है, चाहे वह अभी बढ़े या बाद में बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री तेज बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गये इस प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिये लाये गये बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थक हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह उद्योग से संबंधित हो, चाहे वह कानून व्यवस्था से संबंधित हो, निश्चित रूप से प्रदेश का त्वरित विकास हुआ है । हम सभी जन किसान हैं और किसानों की दशा आजादी के पहले जो थी, वह अगर देखे नहीं, तो सुने जरूर हैं । आये दिन यह देखा जाता था कि बहुत कम ही परिवार ऐसे होते थे जहां दोनों वक्त भोजन बनता था, अधिकांश परिवार एक वक्त खाना खाते थे और एक वक्त किसी तरह से अपना गुजर-बसर करते थे । आज यह हालत है कि प्रदेश के किसानों की इतनी काफी हालत सुधरी है कि आज वह खाना दोनों वक्त खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं और निश्चित रूप से उनके रहन-सहन में सुधार हुआ है । जहां के लोग झोपड़ी में रहते थे, आज वहां बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें नजर आती हैं, यह किसी से छिपी हुई नहीं है । जहां तक अपराध के नियंत्रण की बात है, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने अच्छी तरह से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है और आज काफी हद तक उस पर नियंत्रण हुआ भी है जो कुछ कमियां हैं, सरकार निश्चित रूप से उस पर नियंत्रण के लिए प्रयत्नशील है और अराजक तत्वों से सरकार निपटेगी और आम आदमी अजरहत का एहसास कर रहा है और करता रहेगा।

जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, जिसकी रहनुमाई श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही हैं, आज 100 से अधिक राष्ट्र उनकी रहनुमाई में पीछे चल रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि वह हिन्दुस्तान की रहनुमा होने के साथ-साथ तमाम गरीब मुल्कों की भी रहनुमाई कर रही हैं, उनसे बड़ी आशा बंधी है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि चाहे वह उद्योग धंधों का मामला हो, निश्चित रूप से विकास हुआ है। हमारे यहां के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग खासतौर से नौकरी करने के लिए बम्बई कलकत्ता या जो बड़े-बड़े शहर थे, उनकी शरण लेते रहे, लेकिन आज उनका वहां पर जाना किसी सीमा तक कम हुआ है, क्योंकि आज उनको रोजी-रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। उनको आज अपने ही प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग, कल कारखाने खुले हैं, उनको नौकरियां उनमें मिल रही हैं। जहां तक शिक्षा जगत की बात है, निश्चित रूप से अब कोई ऐसा गांव नहीं बचा है, जहां पर प्राइमरी पाठशाला न हो, अधिकांश जिले ऐसे हैं, जहां पर ग्रेजुयेट और पोस्ट ग्रेजुयेट कालेज खुले हैं, जिससे शिक्षा जगत में काफी सुधार हुआ है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने से सम्बन्धित हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो ग्रेजुयेट हैं उनको 25 हजार रुपये बगैर जमानत के और इन्टर-मीडिएट पास हैं, उनको उससे कुछ कम रुपये और जो हाई स्कूल पास हैं, उनको उससे भी कुछ कम रुपये हमारी सरकार दे रही है। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा में इस बात की गारंटी ली थी कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसके तहत 25 हजार रुपये और बिना किसी जमानत के ग्रेजुयेट लोगों को दिया जाता है कि वह छोटे-मोटे उद्योग, कल कारखाने खोलकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इन्टर और हाई स्कूल जो पास हैं उनको कम पैसा दिया जा रहा है। उससे वह छोटे-मोटे रोजगार करके अपना गुजर-बसर कर सकें।

यह कृषि प्रधान देश है यहां सभी को नौकरी देना सम्भव नहीं है। साथ ही साथ हमारे गरीब हरिजनों के लिये मकान मुहैय्या कराने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। जो भूमिहीन हैं और अपने रहने के लिये मकान बनाने के लिये जिनके पास जमीन नहीं है, कुछ खेती करने के लिये जमीन नहीं है, उनके लिये सरकार ने भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। ताकि इस देश में रहने वाला कोई ऐसा आदमी न हो जिसको यह कहने का मौका मिले कि हमारे पास जमीन नहीं है या हम अपने मकान में नहीं रहते हैं। भूमिहीन लोगों को ग्राम समाज की भूमि आवंटित की गई है। जिन जमीनों को कुछ प्रभावशाली लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है या उसको निश्चित रूप से उनसे निकलवा कर उनको मुहैय्या की गई जो वास्तव में उसके हकदार हैं। सरकार ऐसे कामों के लिये सतत प्रयत्नशील है। मैं विरोध पक्ष से ज्यादा न कह कर इतना कहना चाहता हूं कि जो काम हो रहे हैं उसको आपको सहयोग देना चाहिये और जहां खामियां हों उसकी तरफ सत्तापक्ष का ध्यान दिलायें यह आपका उत्तरदायित्व है। जो सही जानकारी हो उस पर सत्तापक्ष को अमल करना चाहिये। हमारे प्रदेश में जितनी तरक्की हुई है या हो रही है उससे प्रदेश की जनता को अवाम को यह आशा बंधी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हित में तथा उसकी तरक्की और खुशहाली के लिये प्रयास किया है और कर रही है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मसरूर जाफरी--

हम लोगों को समय नहीं मिलेगा । आप कह दें कि हम लोग सदस्य नहीं हैं, हम चले जायं । मैंने संशोधन दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें समय मिलेगा ।

श्री शंकर सिंह--

मैं इस बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हूं । बजट को मैंने ध्यान-पूर्वक पढ़ा । मान्यवर, पेज एक पर माननीय वित्त मंत्री ने लिखा है कि मैं चौथी बार बजट पेश कर रहा हूं, इसका गौरव प्राप्त हुआ है । आगे कहते हैं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जब से मैं बजट पेश कर रहा हूं तभी से प्रदेश में दैवी आपदाओं का क्रम जारी है । ऐसा समझ में आता है कि माननीय मंत्री जी के बजट पेश करने से और प्रदेश की दैवी आपदाओं का गहरा सम्बन्ध है । मैं चाहूंगा कि उनके लिये यह निजी गौरव हो सकता है लेकिन प्रदेश के हित में यह नहीं है । अगर इतना गहरा सम्बन्ध है तो प्रदेश का सत्यानाश न करें और बजट पेश न करके प्रदेश को राहत दिलायें मान्यवर, प्रदेश में जो बजट पेश हुआ उसमें यह कहा गया कि कोई नया कर नहीं लगाया है, यह कोई नई बात नहीं है पिछले वर्ष भी नया कर नहीं लगा था । लेकिन यह सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकती है और विधान सभा का सत्र जैसे समाप्त होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, तरह-तरह के कर लगाये जाते हैं । पिछले वर्ष बसों का किराया 20 प्रतिशत बढ़ाया गया, डीजल और मिट्टी के तेल के दाम बढ़े सिंचाई की दर में बढ़ोत्तरी की गयी, गरीबों की रोड़ टूट गयी और इसके बाद वाहवाही लूटते हैं कि कर नहीं लगाया । प्रदेश में बड़ा भारी विकास हुआ है ।

अभी उधर से लाल प्रताप सिंह बोल रहे थे । तो उन्होंने कहा था मुल्क में बड़ी प्रगति हुई है । मान्यवर, मुल्क में जैसा और साथियों ने कहा प्रगति के लिए मुल्क सिमटकर बहुत छोटा रह गया है । प्रगति के लिए आवश्यक है कि प्रधान मंत्री का क्षेत्र हो या उनके पुत्र का क्षेत्र हो या मुख्य मंत्री का क्षेत्र हो, यह और प्रगति चाहते हैं तो उनकी बड़ी बहू चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, इसके अलावा कोई प्रगति हुई समझ में नहीं आती । मान्यवर चाहे साइकिल की फैक्ट्री हो, मोटर साइकिल की फैक्ट्री लगानी हो चाहे चीनी मिल लगानी हो चाहे छोटे से बड़ा कारखाना लगाना हो यह सब कार्य होते हैं मान्यवर, अमेठी जगदीशपुर, रायबरेली सुल्तानपुर में इसी तरह से मान्यवर, प्रदेश में पांच तहसील खोली गयी दो रायबरेली में खुली और दो सुल्तानपुर में खोली गयी बाकी कहीं नहीं खुलीं । मान्यवर, बुन्देलखंड में जिस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि चार कारखाने जो खाद के लगे रहे हैं उनमें एक बुन्देलखंड में खोला जाएगा लेकिन मान्यवर, अब चार कारखाने सुल्तानपुर में खोले जायेंगे । मान्यवर, बुन्देलखंड दिन पर दिन पिछड़ता जा रहा है । एक फैक्ट्री जो वहां पर थी वह भी वहां से हटायी जा रही है । बुन्देलखंड काफी पिछड़ गया है । इसके अलावा मान्यवर, डिपाजिट रेशियो बढ़ता जा रहा है । जो थोड़ा बहुत पैसा है जो उद्यमी हैं वहां पर उनको कोई सुविधा नहीं है ।

मान्यवर, बैंकों के क्रेडिट डिपाजिट रेशियो में भी भारी अन्तर है । इस प्रकार उन गरीब क्षेत्र का धन बैंकों द्वारा दूसरे प्रगतिशील क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है । मान्यवर, इसके आंकड़े में सुना दूं । पश्चमी क्षेत्र में 45.84 केन्द्रीय क्षेत्र में 52.4, पूर्वी क्षेत्र में 37.36, बुन्देलखंड में 31.28, पर्वतीय क्षेत्र 33.87 है ।

माननीय, जो बजट मैंने पेश किया उसमें गैर योजना व्यय को अन्य मदों को देखा, उसमें राज्य को सड़कों को चौड़ा करने के लिए धन का प्रावधान किया गया है। माननीय, इस प्रदेश में हिस्से हैं उसमें सबसे कम बुन्देलखंड में हैं। एक स्क्वायर का औसत है माननीय, वह 201 है, बुन्देलखंड में जबकि सड़कों की लम्बाई पर थाउजेंड स्क्वायर को है। माननीय, पश्चिमी क्षेत्र में 197.00, केन्द्रीय क्षेत्र में 201.00, पूर्वी क्षेत्र में 208.00, बुन्देलखंड में 143.00, पर्वतीय क्षेत्र में 228.00, प्रदेश में 201. माननीय, विद्युतीकरण के परसेन्टेज 1981 के दे रहा हूं। माननीय, इसमें पश्चिमी क्षेत्र में 42.84, केन्द्रीय क्षेत्र में 33.06, पूर्वी क्षेत्र में 31.62, बुण्देलखंड में 22.44, पर्वतीय क्षेत्र में 26.44, प्रदेश में 34.31, परसेन्टेज है। 100 गांवों में 42 गांव विद्युतीकरण में आ चुके हैं। इस समय कुल 3954 मेगवाट बिजली पैदा की जा रही है। इसमें बुन्देलखंड में है केवल 30 मेगावाट इसी प्रकार चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बुन्देलखंड सबसे पीछे हैं। प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर जो औसत है वह मैं बता दूं पश्चिमी क्षेत्र में 126, केन्द्रीय क्षेत्र 175, पूर्वी क्षेत्र में 134 बुन्देलखंड में 68, पर्वतीय क्षेत्र में 96 प्रदेश में 125,

शिक्षा में माननीय, बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा है। आज शिक्षा में एक लाख आबादी पर जूनियर बेसिक स्कूल पश्चिमी क्षेत्र में 2840 है, केन्द्रीय क्षेत्र में 2678 है, पूर्वी क्षेत्र में 2730 हैं, जबकि बुन्देलखंड में केवल 1530 हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कुल 1315 हैं और प्रदेश का औसत 2381 है। इसी प्रकार माननीय, सिंचाई में, प्रदेश में कुल 20220 नलकूप हैं। इनमें से पश्चिमी क्षेत्र में 8491, केंद्रीय क्षेत्र में 2285, पूर्वी क्षेत्र में 8370 हैं, जबकि बुन्देलखंड में केवल 951 हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 114 हैं। माननीय, यह आंकड़े देकर मैं यह साबित करना चाहता हूं कि जहां सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और चाहे सड़कों का मामला हो, सबमें बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसके बावजूद इस पिछड़े क्षेत्र पर कोई धन खर्च नहीं करते हैं और कहते हैं तरक्की कर रहे हैं। माननीय, आप स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितनी तरक्की हो रही है। और ऐसा समझते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बुन्देलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिये इन्हें पर्वतीय क्षेत्र की भांति अलग से बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे पहाड़ के लिए अलग से मन्त्रालय है, उसी तरह बुन्देलखंड के लिए भी अलग से मन्त्रालय बनाना पड़ेगा, तभी यह क्षेत्र तरक्की कर सकेगा।

*श्री शेर बहादुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रदेश में उपस्थित बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर दिया। माननीय, मैंने आज अपने विरोधी दल के भाइयों द्वारा दिये गये तमाम अभिभाषण सुने। किसी भी देश की क्या प्रगति हुई, इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिये जहां से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुये, उस प्वाइंट पर पहुंचेंगे कि कहां थे और कहां हैं, तभी जान सकते हैं। माननीय, इस देश में, इस प्रदेश में हमें यह भी देखना है कि जब कांग्रेस का शासन नहीं था सन 1947 में, उसके पहले यहां के लोगों की क्या स्थिति थी। जहां इसी उत्तर प्रदेश के हरिजनों के पास कपड़ा नहीं था। गोबर में से अन्न बीन कर खाते थे। यहां 10 पैसे मीटर मारकीन थी, लेकिन कितने लोग पहनते थे, उस स्तर से सोचना पड़ेगा और आज कहां हैं? इस पर विचार करना पड़ेगा तब वास्तविकता सामने आयेगी कि यहां की जनता ने तरक्की की है या नहीं। यह कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आसान है कि तरक्की नहीं की है। आज और उस जमाने में जमीन आसमान के अन्तर है। उस समय कितने लोग कपड़ा पहनते थे या अन्न खाते थे। लेकिन आज लोगों का स्तर बढ़ गया है। यह अवश्य है कि जब प्रदेश का स्तर बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी और जब भी देश का स्तर ऊंचा होगा, यह चीजें आवश्यक रूप से होंगी।

मान्यवर, मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे भाई कोई भी आलोचना ऐसी नहीं करते कि सुधार हो, केवल आलोचना करते हैं। आलोचना करना अपना धर्म समझते हैं। आज इन्हें अपनी आवाज बन्द कर लेनी चाहिये क्योंकि ये ढाई साल में अपनी करामत दिखा चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो प्रगति की थी, इनको ढाई साल के शासन की अवधि में इन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी, अगर इनका शासन पांच साल रहा होता तो इन्होंने प्रदेश को अवश्य वहीं पहुंचा दिया होता, जहां से चले थे। मान्यवर, मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो भी बजट हमारे प्रदेश के वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह औद्योगिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से अत्यन्त विकासोन्मुख है और उससे हमारे प्रदेश का जनता का कल्याण हो सकता है। मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता के हाथ में खेती है। निश्चित है कि जब शिक्षा पाकर लोग नौकरी की तरफ दौड़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी खतम करने के लिये हमारी सरकार ने, नेता ने स्वतः रोजगार योजना कायम की है। लोगों को बगैर किसी जमानत के लोन दे रही है। कार्य क्षमता का सदुपयोग किया जाय तो बेरोजगारी को समाप्त करना दूर नहीं है।

मान्यवर, जहां तक प्रशासन का सवाल है, हमारी पार्टी का और हमारी सरकार की प्रशासन में अच्छी पकड़ है। हमारे सामने जो विरोधी पक्ष के भाई बैठे हुये हैं, वे कभी कर्मचारियों को बरगलाकर गलत काम करवा लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी-सी प्रशासन में गड़बड़ी हो जाती है। इसे हम मानते हैं। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा जो कमियां हममें हैं, हम उसे जान रहे हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश की प्रगति और इस प्रदेश की प्रगति केवल इस सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी के हाथों ही हो सकती है। इस लोकप्रिय सरकार के अन्दर ही यह प्रदेश प्रगति कर सकता है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी देश की नेता आज दुनिया के 103 राष्ट्रों की नेता हैं और वह भी बहुमत की नेता हैं। आलोचना करने वाले तो कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। आज हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो विकासोन्मुखी बजट पेश किया है, हमारे प्रदेश की जनता निश्चित रूप से पल्लवित होगी और गरीबी हमारे प्रदेश से समाप्त होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। और जिन चीजों में तबदीली करना जनहित में होगा। जहां तक प्रशासन का सवाल है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो आज टैक्सियों के परमिट देने बन्द कर दिये गये हैं, उन्हें पुनः परमिट दिया जाय। प्रशासन में एक गड़बड़ी यह हो रही है कि आजकल शादी व्याह का समय चल रहा है वहां पर अनायास लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार यह निर्देश करे कि इस प्रकार की गड़बड़ी वहां पर नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन्, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारा देश व प्रदेश कृषि प्रधान

देश हैं । जहां तक खाद्यान्न का सवाल है, अन्न को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए आवागमन की सुविधायें दी जायं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका खंडन करता हूं ।

*श्री खैरुल बशर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह बजट पेश किया है, इसे गौर से पढ़ा । पढ़ने के बाद ऐसा पाया कि जैसे एक मकड़ी का जाला होता है और उसका कोई छोर नहीं होता है । उसी प्रकार का यह बजट है । इस बजट को उन्होंने शुरू किया है 1978–79 से । 1978–79 को आधार वर्ष और देश की वार्षिक विकास दर लगभग 5 प्रतिशत ही रही है । इस प्रकार अभी तक हमारे देश की वार्षिक विकास दर देश की तुलना में अच्छी रही है । और उन्होंने कहा कि हमारी 5.7 प्रतिशत प्रगति है । मान्यवर, ये आंकड़े बिलकुल गलत हैं । जो आंकड़े रिजर्व बैंक ने प्रकाशित किए हैं, उससे ये भिन्न हैं । ऐसा करके यह सरकार वास्तविकता पर परदा डाल रही है । यदि उन्हें आधार वर्ष 1978–79 ही देना था और जब सूखे से कम उत्पादन हुआ था, तो जनता को बताने के लिए कोई दूसरा आधार देखना चाहिये था । आमदनी बढ़ी है । 1978–79 में प्रत्येक व्यक्ति आमदनी 514 रुपये तक थी और वह 1982–83 में 529 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है । लेकिन मान्यवर, इस बीच में महंगाई 3 गुने बढ़ गयी है । इस हिसाब से तो हमारी आमदनी करीब 1,000 से 1,500 रुपये तक होनी चाहिये थी । लेकिन पब्लिक को सुनहरा ख्वाब दिखाने के लिये यह आंकड़े बिलकुल गुमराह पूर्ण हैं, इससे कोई सही तस्वीर नहीं निकलती है, केवल लफ्फाजी की गयी है, बयानबाजी की गई है ।

मान्यवर, पब्लिक की जिन्दगी पर जरा नजर डालिये, किसान ने गल्ले का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन अगर हम सब गांव में जाकर देखें, तो हमारे किसानों की हालत पिछले तीन वर्षों के मुकाबले में, इस साल, सबसे खराब है उनकी खरीदने की ताकत घट गयी है । अनाज के दाम बढ़े हैं, लेकिन महंगाई अपनी इस चरम सीमा पर है कि हमारा किसान उससे चरमरा उठा है । मान्यवर, आप देखें कलकत्ता से बम्बई तक सैकड़ों यूनिट जो हैं, वह बेकार पड़ी हुई हैं, कारखाने बन्द होते चले रहे हैं, श्रमिक असन्तोष बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कि सरकार उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाये, वह उन्हें और उलझाती जा रही है । कानपुर के अन्दर

(इस समय 4 बजकर दो मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

तमाम यूनिटें बन्द पड़ी हुई हैं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र मऊनाथभंजन की बात करूंगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पावरलूम की बाबत मऊनाथभंजन अपना विशिष्ट स्थान रखता है । वहां 15 हजार पावरलूम 5 वर्ष पहले थे, लेकिन अब वहां केवल 3–4 पावरलूम ही रह गये हैं, बाकी सब बिक गये हैं । आप प्रदेश के विकास की दुहाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा विकास कर रहा है, मान्यवर, इसके आगे आप देखें वहां 17 साइजिंग्स थीं, अब केवल वहां मुश्किल से 2–3 ही चल रही हैं । तो आप इस तरह से देखें हमारा प्रदेश कहां विकास कर रहा है ? मान्यवर, आज एक सज्जन ने कहा कि गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज यह जो हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि गांव के अन्दर बेकारी है, गांव के अन्दर काम नहीं है उन सब के अभाव में ही गांव के आदमी शहर की ओर आकर्षित हो रहे। मान्यवर, आये दिन हम लोग अखबारों म पढ़ते रहे हैं कि हरिजनों के घर जला दिये जाते हैं, अब तो हरिजनों को ही जला दिया जाता है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की ला एण्ड आर्डर की जो पोजीशन है, उससे हमारे देश, प्रदेश के किस रंग के सुन्दर नक्षत्र दिखाई देते हैं उसे सभी जानते ह। आये दिन सुनने को, पढ़ने को, हर सुबह कुछ न कुछ आता है कि फलां निर्दोष आदमियों को पुलिस ने इनकांउटर कर दिया, फर्जी बहानों से गोलियों से मार दिया। मान्यवर, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकतीहै ? मान्यवर, आज स्थिति यह है कि अराजकता चारों तरफ फैली हुई है। मान्यवर, इन व्याप्त स्थितियों से कांग्रेस (आई0) की सरकार हमारे देश को प्रदेश को विनाश की ओर ले जा रही है, तबाही की ओर ले जा रही है। हिटलर का नाम यहां पर लिया गया था, मान्यवर, हिटलर बहरहाल हिटलर था। लेकिन अगर हमारे देश में, प्रदेश में, कोई भी तानाशाह बनना चाहेगा, तो हम उसे तानाशाह नहीं बनने देंगे, उसको चूर-चूर कर देंगे। मान्यवर, मैं आपको शिक्षा के बारे में बताऊं कर्मचारियों की बाबत बताऊं। मान्यवर, यहां भवन के सामने एक तांता सा लगा हुआ है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पडे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं उसमें हमारे छात्र भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है और कर्मचारी वर्ग भी है। मान्यवर, जो इनके द्वारा सेल्स टेक्स पर आर्डिनेंस लागू किया गया है, उससे मान्यवर, व्यापारी वग पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, उसमें असंतोष व्याप्त है। मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आज हर तरफ प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। आप सहकारिता विभाग की बाबत देखिये जो उ के द्वारा मिट्टी का तेल, चीनी और अन्य प्रकार का गल्ला सप्लाई किया जाता है। आज मिट्टी के तेल की हालत क्या है ? आज मिट्टी का तेल हर जगह चोर बाजारी में मिल रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। सस्ते गल्ले का अनाज वहां से उठ कर बाजार की दुकानों पर बिक रहा है। खुले आम लूट मची हुई है।

मान्यवर, अभी सुल्तानपुर के अन्दर जो रैलियां हुई हैं। उन रैलियों की बाबत मैं बताना चाहूंगा कि दो तारीख की शाम को जब मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि जगदीशपुर में 500 लारियों का एक काफिला लाकर रखा गया था और उन लारियों के माध्यम से मीलों-मीलों दूर से गरीब जनता को जबरदस्ती पकड़-पकड़ कर लाया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से अपनी प्रगति मत दिखाइये, यह तरक्की की सलामत नहीं है। लफ्फाजी है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आपने सारे हिन्दुस्तान को अमेठी और सुल्तानपुर तक ही सीमित समझ रखा है कि इस साल निश्चित रूप से कांग्रेस (आई0) की वहीं पर कब्रगाह बनेगी, वहीं से उसके पतन का जनाजा निकलेगा। और वहीं से इस देश की, प्रदेश की सरकारें गिरेंगी। निश्चित रूप से जो नया बछड़ा है, इसको भी हारना है और उसकी गौ-माता को भी हारना है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, बजट से सम्बन्धित बातें कहिये।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, बजट को एक स्पष्ट रूप से होना चाहिये ताकि उसमें प्रदेश के विकास की एक सही तस्वीर झलके और उससे आशा की किरणें निकले, लेकिन इसमें केवल लफ्फाजी है, इसमें किसी

बात का पता नहीं है । इसके आंकड़े दिये गये हैं, आमदनी को दिखलाया गया है । रुपए का मूल्य वर्ष 1970 में यदि एक रुपया था तो वह घटकर 12 पैसे रह गया है । वर्ष 1939 में रुपए का मूल्य अगर 1 रु0 था तो वह घटकर 2 पैसे हो गया है । इस प्रकार से इस देश में महंगाई बढ़ी है । हर तबका चाहें वह मजदूर हो, विद्यार्थी हो, गुरू हों, अध्यापक हों, सरकारी कर्मचारी हो या छोटा दुकानदार हो, हर वर्ग तबाही और बरबादी की तरफ जा रहा है ।

क्राइम को देख लीजिए । जितने भी अराजक तत्व हैं, भ्रष्टाचारी और चोर बाजारिये हैं, कहां पनाह लिए हैं ? वे आपके झंडे के नीचे पनाह लिए हैं । पहले गुण्डे, अराजक तत्व और कातिल सरकार की पनाह में रहते थे, लेकिन आज मिश्र जी की सरकार उन गुन्डों और बदमाशों की पनह में आ गयी है । जैसे हमारे यहां कुछ गांव होते हैं जिन्हें "नाचिरागी गांव" कहा जाता है, वैसे ही इनकी सरकार नाचिरागी सरकार है । आपको बीस-बीस मंत्री बनाने पड़ रहे हैं । यह गिरती हुई दीवार मंत्री नहीं उठा सकते । फिर मन्त्रियों को बढ़ायेंगे आप, तो 50 प्रतिशत मन्त्री बढ़ाइये 51 प्रतिशत मन्त्री बढ़ाइये, लेकिन यह हवाई सरकार इन परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकती । देश में जो तूफान उठ रहा है, हर जगह थाने का घिराव हो रहा है, दफ्तरों का घिराव हो रहा है । परिवहन विभाग के मंत्री परिवहन को छोड़कर भाग गये । अब एक नया बछड़ा लगाया गया है ।

(श्री खैरुल बशर के अत्यन्त तेज आवाज में भाषण देने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप माइक मत तोड़ दीजिएगा, आप धीरे-धीरे बोलें ।

श्री खैरुल बशर--

इस वर्ष गाड़ियों की वह स्थिति है कि जैसे चियड़ें हों ।

(श्री अनवार खां द्वारा सदन में प्रवेश करके अध्यक्षासन को सिर नवाये बिना बैठ जाने पर) ।

श्री अध्यक्ष—

अनवार साहब, आप खड़े हो जाइये ।

(श्री अनवार खां के खड़े होने पर)

जो नियम हैं हाउस के जब आप कहीं से आयें तो पहले चेयर को अभिवादन करें, तब बैठें ।

श्री अनवार खां—

ठीक है, मान्यवर ।

श्री खैरुल बशर--

मऊनाथ भंजन की सवा लाख की आबादी है । यह बलिया, गाजीपुर और देवरिया से बड़ा है, लेकिन वहां पर अस्पताल नामक कोई चीज नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस द्वारा अपनी सीट से उठकर सदन की सीटों के बीच से होते हुए ट्रेजरी बेंच की तरफ जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय अनीस साहब, यह कोई तरीका नहीं है । आप जैसे आये हैं, वैसे ही वापस जाइए और फिर ठीक तरह से वापस आइए ।

(श्री मुख्तार अनीस वापस अपनी सीट पर चले गये ।)

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मऊनाथ भंजन 60 प्रतिशत राजस्व देता है, लेकिन हमारी नगरपालिका को एक पैसा भी नहीं दिया गया । वहां कूड़ा, कबाड़ और गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है, उद्योगों का विनाश हो रहा है, आप उसे बचाइये ।

बैंकों के कर्ज पर सरकार ने मूलधन ने पर ब्याज माफ कर दिया और उसकी अवधि बढ़ा दी 31 दिसम्बर

1983 तक, लेकिन सूचना नहीं गयी बैंकों में। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और तमाम बैंकों से पूछा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसकी अवधि 30 सितम्बर, 1984 तक बढ़ा दीजिए। मैं इस बात की गारण्टी लेता हूं कि इसके बाद आगे इसकी मांग नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का घोर विरोध करता हूं और अपने विचारों को माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस बजट में तो यही देखने को मिलता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने बजट समय से पहले प्रस्तुत कर दिया, जब कि केन्द्र के वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि बजट को फरवरी-अप्रैल में प्रस्तुत करना उचित नहीं है बल्कि जुलाई-सितम्बर में प्रस्तुत करने से ज्यादा लाभ होगा क्योंकि प्रदेश एवं देश कृषि प्रधान है और यह देश और प्रदेश के अनुकूल भी होगा। तो माननीय वित्त मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी ने इस बार भी पहले की तरह ऐसा ही किया था, ऐसा करके उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया जैसा केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा। माननीय ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ रह चुके हैं और जेल में भी हमारे साथ मीसाबंदी रहे, दूसरी तरफ कृषि के मामले में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि इनका कोई भी मिनी प्रोग्राम सफल हुआ हो और ऐसे ही हर जगह ब्लाक में आशा तो ऐसी थी कि तिलहन-दलहन का उत्पादन अच्छा होगा। परन्तु उसमें भी कोई ज्यादा अच्छी तरक्की नहीं दिखायी दे रही है।

रोडवेज बसों की आज हालत मान्यवर, इतनी बुरी हो गई है कि उसमें न तो गद्दी है और न बैठने की कोई जगह है, इनकी सारी बसें घिसी-पिटी हैं और आये दिन उसमें घटनायें होती रहती हैं। मिर्जापुर से बनारस को आने वाली बस बीच में ही लूट-पाट ली गयी। अब इस रोडवेज विभाग के गुलाब सेहरा साहब मंत्री हैं, इससे पहले वह हरिजन समाज कल्याण विभाग के थे। इतने दिनों तक हरिजन समाज कल्याण विभाग लूटे-खाए और अब रोडवेज को लूट खा रहे हैं। मान्यवर, सन् 1952 से यदि देखा जाए तो आज तक मंत्रियों का डि वैल्यूवेशन हो रहा है और उसी तरह से विधान सभा के माननीय सदस्यों का भी डि वैल्यूवेशन हो रहा है। यह चीज आज हर जगह स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है, अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हों या बस में कर रहे हों तो यह न कहें कि हम एम0 एल0 ए0 हैं या मंत्री हैं तो ज्यादा अच्छा है।

मान्यवर, यह 272 करोड़ रु0 का घाटे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि जो मण्डी शुल्क 3 परसेंट का लगाया गया है, इससे सीधे किसानों पर असर पड़ रहा है, जब कि किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। और बिक्री-कर जो व्यापारियों पर साढ़े तीन परसेंट से लेकर साढ़े 5 परसेंट तक लगाया जा रहा है, मान्यवर, वह भी बहुत गलत है और जब कि व्यापारियों को मुनाफा केवल एक से लेकर डेढ़ परसेंट तक ही होता है और जहां तक पुलिस का सवाल है, उसके बारे आज क्या कहना, उसका तो पूरा राज्य हर जगह हो गया है। माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर जो प्राण घातक हमले किये गये और मिर्जापुर में हमारे ऊपर भी प्राण-घातक हमले किये गये और यह सरकार सरदार पटेल की मूर्ति को लगाने नहीं देती जब कि वहां की जनता स्वयं अपने पैसे लगभग 1 लाख रु0 की मूर्ति तैयार कर लगवाना चाहती थी। साथ ही साथ

उत्तर प्रदेश में जो अमघट माननीय मंत्रियों का रायबरेली और अमेठी में हुआ, उसको देखकर यही मालूम होता है कि अमेठी और रायबरेली की तरफ ही पूरा ध्यान इन मंत्रियों का है क्योंकि अमेठी क्षेत्र में 100 से ज्यादा ट्यूबवेल लगवाये गये हैं 5 परियोजनायें, और हमारे क्षेत्र मिर्जापुर में केवल 2 ही ट्यूबवेल लगवाये गये तो इस तरह से यदि विकास होगा तो इस आदरणीय सदन के 225 अन्य माननीय सदस्यों के क्षेत्र के विकास का क्या होगा।

मान्यवर, सिंचाई का प्रबन्ध देखिये, माताटीला का जो बंधा सन् 1961 से बना हुआ है, उस बंधे के टूट जाने से लगभग 48 जनपदों में बाढ़ आ गयी और बाढ़ के आने का दोषी और बंधे का टूटने का दोषी निश्चित् रूप से वह इंजीनियर वर्ग रहा है। लेकिन माताटीला के बांध के टूटने के कारण तमाम देवरिया और बलिया में बाढ़ आ गयी और किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया। कभी-कभी जब बांध टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके इंजीनियर ठीक से बांध नहीं बना पाते हैं।

इस सम्बन्ध में असेम्बली में मैंने कई बार प्रवेश्चन किया था कि सावन और आषाढ़ की पूर्णिमा में क्या बांध टूट सकते हैं ? तो आपके मंत्री वीर बहादुर सिंह को यह नहीं मालूम है कि पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार उठता है जिसके कारण सभी नदियां प्रभावित होती हैं। इसी तरह से ऊर्जा मंत्री को अर्थिंग का मतलब समझ में नहीं आता है। जनता का जो पैसा है, मजदूरों का जो पैसा है, गरीबों का जो पैसा है आपको यह नहीं मालूम कि इसको कसे खर्च करें।

दूसरी चीज कि हाई स्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क करने की गारन्टी देनी चाहिये। जय प्रकाश नारायण कदमकुआं में अपना दम तोड़ दिये, जवाहर लाल जी की बिटिया यहां शासन कर रही हैं और अब राजीव गांधी को प्रधान मंत्री बनाने की कोशिश कर रही हैं। 36 वर्ष की आजादी में यदि जनता पार्टी के शासन काल के तीन वर्ष निकाल दिये जायं तो कांग्रेस को शासन करते, हुकूमत करते 33 साल हो गये परन्तु आप हाई स्कूल तक शिक्षा की निःशुल्क गारंटी नहीं कर सके।

इसी तरह से विधान भवन के सामने कोई अनशन का स्थल नहीं बनाया जा सका है। यहां पर विधान सभा के सामने कभी किसान, कभी शिक्षक, कभी मजदूर तथा विभिन्न विभागों के लोग अनशन करते ही रहते हैं, कभी-कभी एम0 एल0 ए0 भी अनशन करते हैं। मैं समझता हूं कि विधान सभा के सामने एक अनशन स्थल होना चाहिये जिससे कि गर्मियों में धूप से, वर्षा में अनशनकारी पानी से बच सकें।

दारुलशफा की इसी तरह से बहुत बहुत ही शोचनीय स्थिति हो गयी है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिर दर्द हो गया है। वहां पर अटैची चोर घूमते रहते हैं। वहां न तो सफाई की व्यवस्था है और न किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था है। जब विधायक लोग मंत्री हो जाते हैं तो उन पर विशेष तौर से खर्च करके कोई न कोई व्यवस्था कर दी जाती है लेकिन माननीय विधायक जो कि लेजिस्लेचर को देखने का अहम् काम करता है उनके सुख-सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। असेम्बली में 425 एम0 एल0 ए0 हैं...

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री यदुनाथ सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आपका कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह--

[× × ×]

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने श्री मोतीलाल बेहलवी की सूचना को स्वीकार किया है जो कि कानपुर के (देहातों के) दो विद्यालयों में चोरी व हत्या के सम्बन्ध में है। बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

श्री मसरूर जाफरी--

इस पर वक्तव्य के लिये मंत्री जी से कोई तिथि तो निश्चित करा दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

बतायें मंत्री लोग कि इस पर कब वक्तव्य देंगे ? जिसको मैंने स्वीकार किया है, उस पर वक्तव्य देना कब सुविधाजनक होगा ?

नियोजन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जिस दिन तारीख खाली हो, उस दिन रख लें।

श्री अध्यक्ष--

गृह राज्य मंत्री श्री जूदेव को बुलवाया जाय।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कोई मंत्री मौजूद नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

बैठे हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

*श्री धरमपाल--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और बधाई देता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली यह सरकार है, जिसने समय से बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं और जो प्रस्ताव लोक दल के नेता ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि लोक दल के नेता ने थोकदल के साथ समझौता कर लिया है। किसानों के मसीहा लोकदल के नेता ने थोकदल के साथ समझौता कर लिया है, तभी से इनकी भाषा भी बदल गयी है। मान्यवर, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको सम्भवतः यह पता नहीं कि बजट क्या होता है, वह बजट के बारे में नहीं जानते हैं और बस इतना ही कह देते हैं कि यह घाटे का बजट है। अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी होगा, जिसको जानकारी है, वह यह जानता है कि घाटे का बजट विकास की निशानी है। किसी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि वहां के आय-व्ययक में कितना अन्तर होना चाहिए। जो सरकार अपने संसाधनों को खर्च नहीं कर सकती है, वह अच्छी सरकार और प्रगतिशील सरकार नहीं कही जा सकती है।

मान्यवर, यह बजट घाटे का बजट है, परन्तु फिर भी इस सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। हमारी सरकार ने राज्य के प्रगतिशील योजनाओं के चलाते हुए भी कोई कर नहीं प्रस्तावित किया है। आई0 आर0 डी0 स्कीम तथा बेरोजगारों के लिए रोजगार योजनायें तथा बहुत सी अन्य योजनायें हमारी सरकार ने चला रखी हैं जो प्रगति की निशानी हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ता है, केवल यह बजट का विरोध करना जानते हैं। मान्यवर, इनको फुरसत ही नहीं है, केवल साम्प्रदायिक दंगों को कराने में लगे हुए हैं। इस कारण इनको इतने महत्वपूर्ण चीज पर विचार करने का समय ही नहीं है। पूर्वांचल बहराइच, फैजाबाद, टांडा में साम्प्रदायिक दंगों को इन लोगों ने कराया, सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे कराने का असफल प्रयास किया। पंजाब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह क्या कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है । लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको भड़का रहे हैं ।

एक सदस्य--

भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री धरमपाल--

मेरे पास ठोस प्रमाण हैं । जिनको मेरी चुनौती स्वीकार हो, वह सामने आयें । अगर मेरी बात गलत निकल जाये तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा, नहीं तो आप दे दें । जब देश में बंटवारा हुआ तो बहराइच में हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा लग रहा था, जब कि सारे देश में साम्प्रदायिकता बढ़ रही थी । सन् 1948 में बहराइच में कोई भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये । मान्यवर, सारे देश में साम्प्रदायिक दंगों की लहर चल रही थी लेकिन वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ । अक्तूबर के महीने में रात के 12-1 बजे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से एक पत्थर लाकर तथाकथित शंकर भगवान की स्थापना कर दी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, बहराइच शहर, जहां का एक इतिहास रहा है, जहां कि एक सभ्यता रही है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई की तरह रहते हैं । वहां एक तकिया है । एक बड़ी तकिया है और छोटी तकिया है । एक बड़ी संगत है और एक छोटी संगत है । तकिया मुसलमान की है और संगत हिन्दुओं की है । तकिया के मौलाना का चुनाव उसके मरने पर संगत का हिन्दू ब्राह्मण जो पुजारी होता है वह करता है और संगत का ब्राह्मण जब मरता है तो उसका चुनाव तकिया के मियां लोग करते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि बहराइच आदि काल से हिन्दू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता चला आया है जहां के पंडित और मौलाना का चुनाव साम्प्रदायिक भावना को बनाये रखने के लिये मौलाना का चुनाव पंडित द्वारा और पंडित का मौलाना द्वारा किया जाता है ।

श्री मुख्तार अनीस--

यह उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बारे में बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के बारे में

(व्यवधान)

श्री धरमपाल--

माननीय सदस्य इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं उन्हें यह मालूम नहीं कि बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है और उसके अन्तर्गत यह विषय भी शामिल है । कैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार के अन्दर मंत्री रहे हैं, यह शोचनीय बात है । भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से दीवालों पर साम्प्रदायिक भावना फैलाने के लिये बड़े-बड़े नारे लगाये हैं--हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, उर्दू जाये पाकिस्तान । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इससे साम्प्रदायिक भावना नहीं फैलती ? जो इस देश की अखन्डता को अक्षुण नहीं रखने देना चाहते हैं, जो इसको खंडित करना चाहते हैं । इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है कि कुछ वर्ष पहले मेरा इस दल से सम्बन्ध रहा है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इन शब्दों के साथ, कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री मुख्तार अनीस--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

नोट-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य-वाही से निकाल दिया गया ।

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, आपने मुझे सामान्य चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें उजागर करना चाहूंगा। जो यह बजट आया है इसके तहत प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। प्रमाण-स्वरूप जनपद गोंडा जो एक पिछड़ा जिला है और विशेष तौर से उस क्षेत्र में जहां से मैं चुनकर आया हूं, उतरौला में एक भी लड़कियों का हाई स्कूल नहीं है, इन्टर में विज्ञान की कक्षायें नहीं हैं, कोई कल कारखाने नहीं हैं इस बजट में उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। कोई एक बड़ी सड़क भी नहीं है जो कि गांवों से निकलकर लोग उसमें आ सकें। बल्कि जो सड़क सन् 1977 में बनी थीं, वे भी समाप्त हो गयी हैं। इसके अलावा वहां पर एक भी विकित्सालय नहीं है और अगर किसी को आक्सीजन देने की जरूरत पड़ जाय तो वह व्यवस्था वहां पर नहीं है। इस बजट से अगर किसी को लाभ हुआ है तो वह सुल्तानपुर और रायबरेली की जनता को ही हुआ है जो कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के क्षेत्र हैं लेकिन हमारे पिछड़े क्षेत्र के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है और वह इसलिये जरूरी है कि दोहरी पद्धति शिक्षा में है। गरीब और अमीर के लिये एक ही शिक्षा होनी चाहिए। जितने प्राइवेट कालेज हैं वे सामन्तों राजाओं और महाराजाओं के हाथ में, मुठ्ठीभर लोगो के हाथ में हैं। आज सही रूप से गरीबों को शिक्षा नहीं मिल रही है क्योंकि उसका संचालन बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है। इसलिये राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष --

कृपया बैठें, कोरम नहीं है। कोरम की घंटी बजाइये।

(गणपूर्ति हेतु घंटी बजायी गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री मसरूर जाफरी--

श्रीमन्, जो पट्टे भूमि के हरिजनों को दिये जाते हैं उनको मेरे क्षेत्र में वहां के अधिकारी बेच रहे हैं। कागज में जो जमीन हरिजनों के आवास के लिए छोड़ी गयी है उसको हमारे यहां का परगना अधिकारी हजारों रुपये में बेच रहा है। वह रिटायर होने वाला है और पैसा बना रहा है।

आई0 आर0 डी0 स्कीम बहुत अच्छी थी लेकिन उसका जो तरीका अपनाया गया है वह ठीक नहीं है, उससे आज गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक ऋण देते नहीं और उसका कमीशन लेते हैं। बैंक वाले और ब्लाक वाले दोनों मिल कर पैसा खा लेते हैं।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग और हरिजनों के आवास से लिए दो हजार और चार हजार रुपया शासन की तरफ से दिया जाता है लेकिन एक हजार, दो हजार या चार हजार में कोई मकान नहीं बनता है। इसको कम से कम 10 हजार रुपया होना चाहिये जिसकी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्रीमन्, इस इस सरकार ने अपने मैनिफैस्टो में लिखा था कि हर तहसील में कोर्ट जायेंगी लेकिन प्रदेश में आज भी बहुत सी तहसीलें हैं, जहां पर कोई न्यायालय नहीं है तो जनता को कैसे सस्ता न्याय मिलेगा। मेरे क्षेत्र में चार वर्षों से न्यायालय भवन बन रहा है लेकिन आज तक वहां मुंसिफ भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्रीमन्, इस कोआपरेटिव विभाग ने हमारे जनपद में बहुत बड़ी डकैती डाली जिन लोगों ने कुछ नहीं लिया था उनको हजारों का कर्जदार बना दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फर्जी ट्रांसफर एंट्री करके कर्ज के रूप में पैसा दिखा दिया गया है । आज लोगों के मकानों की नीलामी हो रही है । इस बजट में जिन जिलों में कोआपरेटिव ने इस प्रकार की डकैती डाली है, या लूट-खसोट की है उसके लिए जांच की जानी चाहिये और तमाम फर्जी कर्जे माफ होने चाहिये जिसकी बात इस बजट में नहीं की गयी है । मेरे क्षेत्र में पिछले 36 सालों में इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी मगर मेरे क्षेत्र का परगनाधिकारी प्रधानों को जो पैसा नहीं देते हैं सस्पेन्ड करता है और जो प्रधान रट ले आते हैं तो उनको अपने गुन्डों से कत्ल कराता है । मेरे यहां जनवरी 24 की रात को इसी प्रकार की एक घटना हुई है ।

गन्ना, पूर्वांचल की जो प्रमुख फसल है विशेषकर मेरे क्षेत्र में किसानों की आय का प्रमुख साधन है वह गरीब लोग हैं और गन्ना बेचकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, चूंकि मेरा क्षेत्र राप्ती नदी के तट पर बसा है, उनके लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है जिससे कि उन किसानो को लाभ पहुंच सके ।

मान्यवर, गोण्डा जनपद के खाद में बड़ी धांधलेबाजी हुई है और हर खाद के गोदाम में नकली खाद बिकवाई गयी है जिसकी जांच-पड़ताल के लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया है । मान्यवर, इसी तरह से सीलिंग से निकली जमीन कुत्ते और बिल्ली के नाम पर उसको छिपाया जा रहा है जिसके बांटने की कोई बात नहीं है ।

श्रीमन्, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में हमारे क्षेत्र में हरिजनों को कोई फायदा नहीं हुआ है । आई० आर० डी० स्कीम में तभी हरिजनों को लाभ हो सकता है जबकि एक ही जगह से पैसों का भुगतान किया जाये लेकिन ब्लाक में फाइल तैयार की जाती है और भुगतान बैंक से होता है, इसलिये इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं और फिर भी भुगतान नहीं हो पाता है । हमारे जनपद गोंडा में गरीबों को आई० आर० डी० स्कीम में गाय भैंसों इक्का आदि के खरीदने के लिये लोगों को आधा-तिहाई पैसा देकर गरीबों को कर्जदार बनाया जा रहा है जिसकी छानबीन की कोई बात बजट में नहीं कही गयी है ।

श्रीमन्, मेरे यहां गोंडा में राप्ती नदी है उस पर कोई पुल न होने से किसान जो माल पैदा करता है वह अपनी ही मंडी में बेचता है जिससे उसको फायदा नहीं होता है, यदि अन्य क्षेत्रों में जाने के लिये पुल बनवा दिया जाये तो किसानों को फायदा हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1984 के निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन की सूचना तथा प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

सदन द्वारा दिनांक 2 मार्च, 1984 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश विधान सभा के 6 मार्च, 1984 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपरान्ह 5 बजे तक वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और उसके उपरान्त श्री रियासत हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द तथा श्री केदार नाथ सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर डेढ़ घंटे का समय विचार हेतु निर्धारित किया गया था :--

"यह सदन टान्डा, जनपद फैजाबाद बहराइच तथा गोंडा नगरों के हर धर्म तथा वर्ग के वासियों को गत माह अक्तूबर 1983 में दशहरा, मोहर्रम के अवसर पर धीरज व सहन व आपस में सद्भाव तथा नियंत्रित रहने पर बधाई देता है । प्रशासकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में विलम्ब करने तथा उसकी असमर्थता पर निन्दा करता है तथा तत्समय की घटित घटनाओं पर

लोगों के जान व माली की हानि पर संवेदना तथा उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है।"

चूंकि माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता विरोधी दल की सहमति से यह तय हुआ है कि कल दिनांक 6 मार्च, 1984 को इटावा में लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राणघातक हमला किये जाने विषयक श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर सदन में एक घंटे की चर्चा की जाय और मोदी टेक्सटाइल मिल के मजदूर नेताओं को बन्द किये जाने विषयक श्री मुख्तार अनीस द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना तथा जनपद इटावा के बुनकरों द्वारा अपनी मांगों के लिये क्रमिक अनशन किये जाने विषयक श्री भीखालाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना सम्बन्धी वक्तव्य लिये जायें। अतः प्रश्न यह है कि सदन द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में से दिनांक 6 मार्च, 1984 को उक्त नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव पर डेढ़ घंटा विचार किये जाने की मद किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित की जाय और दिनांक 6 मार्च, 1984 को वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्यय क पर सामान्य चर्चा (अपरान्ह 5 बजे तक) श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत अभिसूचित उक्त सूचना पर एक घंटे की चर्चा, एवं श्री मुख्तार अनीस तथा श्री भीखा लाल द्वारा क्रमशः नियम 56 एवं 51 के अन्तर्गत अभिसूचित उक्त सूचनाओं सम्बन्धी वक्तव्यों की मदें ली जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा यहां पर एक व्यवस्था का प्रश्न है, कार्य मन्त्रणा समिति की जो बैठक होती है उसके सम्बन्ध में। हमने ओबरा अग्निकांड के बारे में सबसे पहले सूचना दिया है और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वह आया नहीं है, उसके बाद वाले जबकि आ गये हैं...

श्री अध्यक्ष--

वक्ताओं के बारे में जैसे-जैसे सूचना आती है, तिथि की पुष्टि होती है और जैसे-जैसे समय मिलता है उसी हिसाब से उसे हम लेते हैं।

श्री मोती लाल बेहलवी--

मान्यवर, गृह मंत्री जी आ गये हैं, जो वक्तव्य आपने स्वीकार किया है, उसकी वह तारीख बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

उस वक्त को तो मैं देखूंगा, उन्होंने आश्वासन दे दिया है।

लीला निवास पानदरीबा (लखनऊ) को खाली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

प्राप्त सूचना के अनुसार पानदरीबा चारबाग स्थित लीला निवास नामक भवन के एक हिस्से में सोशलिस्ट पार्टी का कार्यालय है तथा इस भवन के ऊपरी हिस्से में राजेन्द्र होटल लगभग वर्ष 1936 से स्थित है। लीला निवास के नीचे अगले भाग में चार दुकाने हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे में चली आ रही हैं। राजेन्द्र होटल के वर्तमान मालिक श्री मारकन्डे तिवारी द्वारा लीला निवास का सम्पूर्ण भवन, इस भवन के स्वर्गीय मालिक की धर्म पत्नी से खरीदने का रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट दिनांक 17-2-84 को होना बताया गया है। लीला निवास के जिस हिस्से में सोशलिस्ट पार्टी का कई वर्षों से कब्जा बताया जाता है उस पर बदस्तूर पार्टी का कब्जा है और इस हिस्से को जबरदस्ती राजेन्द्र होटल के मालिक द्वारा गुन्डों की

सहायता से खाली कराने के आरोप की पुष्टि जांच से नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लीला निवास पर समुचित पुलिस व्यवस्था कर दी गयी है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

*श्री मुख्तार अनीस--

पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी को उनकी सूचना के लिए बता दूं, यह जो राजेन्द्र होटल सन् 1936 में कायम हुआ था, वह पार्टी दफ्तर के लिए ही कायम हुआ था। वहां पर मेस था और उसमें पार्टी कार्यकर्त्ता जाकर खाना खाया करते थे। उनके हाथ में कभी होटल नहीं रहा। इन लोगों ने क्या किया है, जो चार दुकानें हैं, जिनका एग्रीमेन्ट हो गया और उन्होंने खरीदने का फैसला किया है क्योंकि यह पता नहीं कि खरीदा है या नहीं, इससे पता चलता है कि अभी केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट हुआ है। इसके बावजूद 4 दुकानों में 2 दुकानों के दुकानदारों को मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया और सामान बाहर फेंक दिया गया। रेन्ट कन्ट्रोल का एक नियम बना हुआ है कोई बिल्डिंग खरीदी जाती है, तो उस पर 3/4 साल तक कोई कब्जा नहीं कर सकता है यानी दुकान है तो रहेगी। लेकिन इन लोगों ने बिना खरीदे हुए उनको निकालकर बाहर कर दिया और दूसरी बात यह है कि..

श्री अध्यक्ष--

आप सीधे प्रश्न करें।

श्री मुख्तार अनीस--

तो जिन दुकानदारों को जबरदस्ती निकाला गया है, उनके बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है, उनको किस आधार पर निकाला गया है? क्योंकि हम लोगों को भी भय है कि हमारी पार्टी के दफ्तर के लोगों को भी यह निकाल बाहर करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। मैं मुख्तार अनीस जी की बातों का विशेष ध्यान रखता हूं इसलिए फिर से मालूम किया, कि कोई एफ0 आई0 आर0 है या नहीं, तो कोई भी एफ0 आई0 आर0 इस सम्बन्ध में दुकानदारों की नहीं है। वैसे जो दुकानदार हैं उनका कब्जा बना रहेगा, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की जाएगी कि जिनका कब्जा है उनका कब्जा उसी तरह बना रहे।

श्री मुख्तार अनीस--

स्थिति यह है कि जिन लोगों ने दुकानों पर कब्जा किया, जिन्होंने बिल्डिंग खरीदी वह कोई मामूली लोग न होकर उत्तर प्रदेश के माफिया गैंग के लीडर्स हैं।

250-300 लोग दिन दहाड़े आये और सामान को फेंक दिया और पुलिस खड़ी देखती रही। जो हमारा दफ्तर है, वहां से बाकायदा फोन किया, मगर पुलिस बहुत बाद में पहुंची। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन दो लोगों का सामान दूकान से निकाल कर बाहर फेंका गया है, क्या उन लोगों को वह दूकानें वापस दिलाने का कष्ट करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

ऐसी कोई एफ0 आई0 आर0 अभी तक नहीं लिखायी गयी है और न ही ऐसी कोई सूचना है। अगर कोई ऐसी एफ0 आई0 आर0 लिखाता है तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिनका कब्जा है या रहा है वह कायम रखा जायेगा किसी को निकाला नहीं जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 4 दूकानों पर जिन लोगों का कब्जा पहले से था उनका ही कब्जा बनाये रखा जायेगा या जो इस समय काबिज हैं उनका कब्जा बनाये रखा जायेगा क्योंकि दो दूकानों पर जबरिया लोगों ने कब्जा कर लिया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मैंने कहा है कि जिनका कब्जा था उनका बना रहेगा । अभी तक किसी दूकानदार ने इस तरह की कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखायी है । अगर कोई लिखाता है तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी । जिन 4 लोगों का कब्जा था जो मुझे बताया गया है उन्ही चार लोगों का कब्जा अभी भी कायम है । मेरी सूचना के अनुसार किसी का सामान फका नहीं गया है । अगर माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे और सूचना देंगे तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री संत बख्श रावत--

मैं जानना चाहता हूं कि इन आरोपों की जांच किस अधिकारी ने की और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जांच क्षेत्रीय अधिकारी ने की ।

(व्यवधान)

कैसरबाग क्षेत्र के अधिकारी ने की ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैंने अपनी जो कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसमें भी लिखा था, यह राजेन्द्र होटल के मालिक जो हैं वह साफिया गैंग के लीडर हैं और तमाम गुन्डे लोग उनके साथ हैं जिनके पास ऐसे-ऐसे हथियार हैं जिनके लाइसेन्स मिलते नहीं हैं । कुछ लोगों के पास विदेशी हथियार तक हैं, मेरी ऐसी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी राजेन्द्र होटल की तलाशी लिये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

अगर गुन्डे लोग वहां बैठते हैं तो इसको दिखवा लेंगे ।

श्री शंकर सिंह--

जांच के दौरान, जो एग्रीमेन्ट हुआ, क्या उसमें यह तथ्य सामने आये कि उस इमारत में फलां-फलां लोग काबिज हैं या नहीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, वह तो बड़ा भारी मकान है । इसमें ऊपर के हिस्से में होटल है, नीचे के हिस्से में सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर है तथा 4 दूकानें हैं । यह पूरी इमारत बेच दी गयी है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो भवन है उसके कई हिस्सेदार हैं । कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ हिंदुस्तान में हैं । जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान के जो साझीदार हैं, क्या वह शामिल हैं या अकेले खदीजा बेगम ने एग्रीमेन्ट किया है ? मेरी जानकारी है कि मान्यवर, उस बिल्डिंग के 11 साझीदार हैं । कुछ मर गये हैं, कुछ यहां हिन्दुस्तान में हैं और कुछ पाकिस्तान में हैं । आपकी सूचना के अनुसार खदीजा बेगम ने किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सारे साझीदारों ने एग्रीमेन्ट नहीं किया तो मकान की रजिस्ट्री किस आधार पर हो सकती है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, अभी कोई रजिस्ट्री नही हुई है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला चुका हूं कि पूर्ण व्यवस्था की जायगी जिनका कब्जा है उन्हीं का रहेगा चाहे मकान बिक जाय ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि लीला निवास, पानदरीबा में एक मोटर गैरेज है। वह अब तक सोशलिस्ट पार्टी के पास था। तो उस मोटर गैरेज पर तिवारी जी ने किस आधार पर कब्जा कर लिया है ? क्या वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो यहां के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं और उन्होंने कब्जा किया है ? पुलिस में इसकी शिकायत हुई है तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मृगुनाथ चतुर्वेदी के सदन में छड़ी लेकर आने पर

श्री अध्यक्ष --

माननीय चतुर्वेदी जी, जरा खड़े हो जायं। नियम यह है कि सदन में जब कोई माननीय सदस्य आयेंगे तो छड़ी लेकर नहीं आयेंगे।

श्री मृगुनाथ चतुर्वेदी--

अध्यक्ष जी, मुझे सांइटिका हुआ है इसलिये छड़ी लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष--

चलिये आप को अपवादस्वरूप आज्ञा दे दिया।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसको पढ़ दें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

एग्रीमेन्ट मेरे पास थोड़े ही है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एग्रीमेन्ट जो है उसको पढ़ दें। या मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये। एग्रीमेन्ट जब आये तो दोबारा इसको लें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, एग्रीमेन्ट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने व्यवस्था के बारे में प्रश्न किया है। तो पूरी व्यवस्था की गयी है जिसका कब्जा है उन्हीं के कब्जे में रहेगा।

(मद संख्या-12 पुकारे जाने पर।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुझे एक छोटा सा प्रश्न करना है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आगे बढ़ गया हूं, आप बैठिये।

लाल गांव (बाराबंकी) में दो हरिजनों को जिन्दा जलाये जाने में सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव--

दिनांक 11-2-84 को वादी पांचू पुत्र लोकई, निवासी बोहरा थाना बिस्वां, जिला सीतापुर हाल मुकाम ग्राम ताल-गांव थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी ने थाना फतेहपुर पर लिखित सूचना दी जिसके आधार पर उक्त थाने पर भा0 द0 वि0 की धारा 436/342/307/304 के अधीन एक मुकदमा अपराध संख्या-35/84 दर्ज किया गया। प्रथम सूचना के अनुसार वादी तथा उसके गांव के बैजनाथ पुत्र राम औतार काशी राम के ट्यूबवेल पर दिनांक 10/11-2-84 को सो रहे थे। करीब आधी रात जब कि दोनों कोठरी के अन्दर थे कुछ लोग कोठरी के बाहर से दरवाजा खोलने के लिये उन्हे कहनेलगे। जब इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो उन लोगों ने कोठरी की खिड़की में ठोकर मारी जिससे खिड़की का एक पल्ला टूट गया और खिड़की के मार्ग से उन लोगों ने लुकारा कोठरी में फेंका जिससे नीचे बिछी पुवाल में आग लग गई और उसकी धोती में भी आग लग गई। बैजनाथ कुयें के पास पम्प पर छिपकर बैठ गया। बाहरी बदमाश उन दोनों को गाली गलौज करते हुये

चले गये तथा कोठरी की बाहर की जंजीर बन्द कर दी । करीब 6–7 बजे सुबह काशीराम ट्यूबवेल पर गया । तब काशीराम ने कोठरी की जंजीर खोली और उसे जला देखकर पूछतांछ किया और बैजनाथ के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि कुयें में छिपा है । काशीराम ने देखा तो बैजनाथ मृत दशा में पम्प के पास बैठा हुआ पाया गया ।

सूचना पाकर थानाध्यक्ष मय फोर्स के घटना–स्थल पर तत्काल पहुंचे । बैजनाथ के शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिये बाराबंकी भेजा । वादी पांचू के शरीर पर जलने के निशान/चोट पाये गये उसे थाने से ही डाक्टरी परीक्षण के लिये भेजा गया था ।

मृतक बैजनाथ व वादी पांचू दोनों अनुसूचित जाति के हैं । दोनों के परिवार वालों एवं गांव के लोगों से पूछतांछ की गई तो दोनों के सम्बन्ध मधुर बताये जाते हैं । किसी प्रकार की इनमें रंजिश नहीं है तथा गांव वालों से भी इन दोनों की रंजिश नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बदमाश मृतक बैजनाथ के इन्जन का पार्ट लेने के उद्देश्य से आये थे और अपने उद्देश्य में सफल न होने पर उन्होंने कोठरी के दरवाजे की बाहरी जंजीर चढ़ा दी और आग लगाने का प्रयास किया । मृतक बैजनाथ जो कुछ ही जला था डर के कारण कुयें के पास पम्प पर छिपने के लिए भागा । अंधेरा तथा घबराहट के कारण वह पाइप या इन्जन से टकरा गया जिससे उसकी बाईं पसली की 9वीं हड्डी टूट गई तथा तिल्ली फट गई जिससे रक्तस्राव होने के कारण बैजनाथ की मृत्यु हो गई ।

इस घटना से जनपद बाराबंकी में अथवा प्रदेश के हरिजन वर्ग में भय, असन्तोष अथवा असुरक्षा की भावना नहीं पाई गई है ।

*रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह 10/11 फरवरी, 1984 की घटना है, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आज तक उन बदमाशों का, जैसा कि वक्तव्य में कहा है, जिन्होंने बैजनाथ को मार दिया और दूसरे को जला दिया, कुछ पता चला या अभी तक पुलिस बिलकुल असफल रही ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, पूरा प्रयास करने पर भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, यह जो बयान है, इसमें भारतीय दन्ड विधान की धारा 436/342/307/304 लिखी हुई है, और आगे का बयान यह कहता है कि मरा हुआ पाया गया इंजन के पास, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट 302 में न लिख कर 304 की रिपोर्ट कैसे लिखी गई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, यह 304 में इसलिए लिखी गई कि इसको किसी ने मारा नहीं । 302 तो मर्डर होता है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, आप जरा बयान को देख लें । उसमें दफा 304 की रिपोर्ट की गई है, जबकि 304 की रिपोर्ट जिन्दा आदमी की होती है, जो कुछ जिन्दा रहता है और बाद में जाकर मरता है, उसके बारे में होती है और श्रीमन्, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिये दफा 302 की, क्योंकि वह मरा हुआ पाया गया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दफा 304 की रिपोर्ट कैसे और किसने लिख दिया ? यह रिपोर्ट दफा 302 की जगह 304 कैसे लिखी गई ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जिनका जिक्र है श्रीमन, ये पाइप से टकरा कर, घबराहट में उनकी मृत्यु हुई और जो एफ0 आई0 आर0 लिखी गई है, इनके साथ श्री पांचू थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है ।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इनके साथ श्री पांचू थे, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद बफा 304 कायम कर दिया । क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है और जैसा कि आगे वक्तव्य में लिखा गया है कि वह घबड़ा कर अपनी जान बचा कर भागा और इन्जन से टकरा कर मरा, तो बुनियाद जो हुई वह तो 302 की ही हुई, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरा बतलाने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

माननीय सदस्य हमेशा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह विधान सभा पोस्टमार्टम (परीक्षण) तो करती है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

पूरी रिपोर्ट पढ़ दें या सारांश ?

श्री अध्यक्ष--

सारांश पढ़ दें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

बलेकिश सूट प्रेजेन्ट आन लेफ्ट थाइ राइट थाइ, राइट नी, राइट लेग, बोथ पाम्स एण्ड लेफ्ट साइड चेस्ट एण्ड एबडामेन ऐज रीटेन इन इनजरी नं0 (3) ।

श्री रियासत हुसैन--

आप काज आफ डेथ बतायें ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आप ही निर्णय करें कि मरने पर रिपोर्ट 302 होगी या 307 में होगी या 304 में होगी । इसका फैसला आप करें । आदमी जिन्दा नहीं था पुलिस वालों ने 304 अपने मन से लिख दिया ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी परेशान क्यों हो रहे हैं । प्रश्न तो पोस्टमार्टम और एफ0आई0आर0 पर ही होगा । जिस बाडी का पोस्ट-मार्टम किया गया उसमें काज आफ डेथ क्या बताया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

बताया तो, उनके शरीर पर जले के निशान थे, पसली टूट गई थी, लिवर फट गया था और शाक तथा हैमरेज के कारण हुई ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

स्पष्ट है कि शाक के कारण मृत्यु हुई ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो ऊदल जी ने मुद्दा उठाया उसको बल देता हूं और जो रियासत साहब ने पूछा काज आफ डेथ मंत्री जी बतायें । जो रिपोर्ट है उसमें अन्त में काज आफ डेथ लिखा होगा । मृत्यु का कारण साफ बतायें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

दि काज आफ डेथ इज ड्यू टु शाक एण्ड हेमरेज एज ए रिजल्ट आफ एन्टी मार्टम इन्जरीज ।

काज आफ डेथ शाक और हैमरेज बताया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मंत्री जो की बात से स्थिति साफ हो गई। शाक में साथ-साथ रक्तस्राव हुआ, चोट चाहे जिस तरह से लगी हो। चोट लगी चाहे अपने से या दूसरे से लगी हो। शासन का स्वभाव ऐसा होना चाहिये कि जो आहत हुआ है उसके हित को ध्यान में रखकर चले। ताकि स्थिति साफ हो जाय मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस पूरे मामले की, आग लगने और चोट लगने की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से करायेंग तथा इस बात की भी जांच करायेंगें कि पुलिस ने शिथिलता की है और जानबूझ कर स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, ताकि दोनों चार्जें साफ हो सकें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जो अभी तक इन्क्वायरी हो रही है उसमें पुलिस की शिथिलता का प्रश्न नहीं उठता जो पूरी जांच की बात कही गई, तो पूरे बयान लिए गये। जो खेत जोतते थे उनके बयान लिए गय, पंचों के बयान लिये गय। इन सब बातों से यह तय किया गया कि पुलिस की इन्क्वायरी ठीक हो रही है। इसमें सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं उठता। इसमें अगर हम सन्तुष्ट नहीं होंगे तो इन्क्वायरी कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं उससे सदन सन्तुष्ट है फिर भी इस मामले को मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति को गहरी जांच के लिए सुपुर्द करता हूं। अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11·00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,

5 मार्च, 1984 सचिव,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश Rajbhavan

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

जनपद बांदा के बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत विकास खंडवार तथा ग्रामवार लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या व धनराशि :

क्रमांक	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थियों की संख्या	उपलब्ध कराई गयी धनराशि
1	2	3	4
			रु0
	विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द		
1	पल्हरी	10	7,417
2	बड़ोखर खुर्द	6	4,099
3	तिंदवारी	80	54,075
4	बोखापुरवां	12	10,664
5	डिगवाही	20	12,561
6	मुरेह	19	1व,531
7	वडुई	6	5,455
8	महोखर	75	85,055
9	मरखरी	6	5,857
10	छवेहरा लालपुर	4	4,000
11	जौरही	3	3,500
12	कुलकुम्हारी	1	1,333
13	बोहा	3	3,000
14	अरवई	1	910
15	बिसण्डी खुर्द	2	1,666
16	मंछा	1	833
17	कुरौली	13	15,029
18	रिवना	3	2093
19	कतरावल	3	4,416
20	करवई	30	32,457
21	भवनी पुवां	29	30,515
	योग ..	327	3,04,466

1	2	3	4
			रु0
		विकास खंड बबेरू	
1	पल्हगो	5	4,416
2	मुवल	41	31,557
3	अलहा	41	29,712
4	पेस्टा	30	18,617
5	घौघड़	..	..
6	बाराविहारी	9	5,343
7	कुरारी	1	833
8	बड़ागांव	22	21,604
9	मिलाप	5	8,943
10	मिलाप	16	14,032
11	नरौली आजम	6	5,532
12	मवई जुझारदार	8	7,824
13	सिरू	17	15,669
14	बहार	5	4,198
	योग ..	206	1,63,280
		विकास खंड महुआ	
1	सुरहन्द	59	55,176
2	इंटरा खुर्द	7	14,166
3	महुआ	17	32,557
4	बसखंडा बुजुर्ग	2	3,000
5	छिबाव	8	10,716
6	बलखेड़ा	1	750

1	2	3	4
			रु0
7	बतौरा	4	7,200
8	बगनेघी	5	5,750
9	भग्गू का पुरवा	1	1,000
10	अलथुवा	2	2,25
11	तेंदुही	7	11,125
12	अजुनांह	25	20,457
13	शिवहद	7	13,000
14	मकरी	8	4,507
15	जगरेही	2	1,733
16	बहोरा का पूरवा	4	2,736
17	बन्डे	3	4,723
18	मुतियारी	1	1,250
19	दुरईमाती	5	6,433
20	गढ़ीचांदपुर	1	2,400
21	नाई	8	5,707
22	निगहना	1	583
23	हस्तम	3	7,300
24	ऐला	1	500
25	घुरौड़ा	3	1,696
26	सेमरिया मिवहा	1	1,300
27	तेरा	1	1,850
28	सम्होंरा	26	30,268
	योग	243	2,50,133

1	3	4
	विकास खंड विसण्डा	
		६0
1 कोरही	12	37,500
2 पुराने पुरवा	3	5,500
3 डुगुवा	1	2,000
4 अकोना	4	11,000
5 कोहारा	2	7,500
6 भदेहू	7	21,750
7 विसन्डा	5	14,000
8 फफूदी	9	22,250
9 बछोहदा	1	2,500
10 कुरखिर्द	1	2,500
11 राया	1	4,000
12 कुल्लूखेड़ा	6	15,830
13 पथरहा कुवां	2	5,000
14 साहपुर	5	12,500
15 सिहपुर	13	43,850
16 भदावल	4	12,700
17 सिकलोहड़ी	9	22,450
18 इटरा मरौली	3	7,360
19 लौली टीका मऊ	6	20,850
20 कुसुमा	7	24,050
21 पिन्डखर	3	11,150
22 खटौरा	1	3,650
23 बिसन्डा	6	14,810
24 निसन्डा	18	60,750
25 पारा	3	4,000

1	2	3	4
			रु0
26	पुनाहुर	2	7,500
27	मडाव	6	8,500
28	डभनी	1	2,500
29	अमवा	4	4,000
30	विसन्डा	11	41,250
31	तेंदुरा	6	11,500
32	बांधा	13	35,800
33	बांदनमऊ	1	3,500
34	बीरोबिरहम	5	1,2970
35	घोखड़	4	12,750
	योग ..	185	5,29,720

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर।)

बेली कलां कुक्कुट विकास केन्द्र पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 (15-1-1984 तक) हुए व्यय का विवरण

वर्ष 1982-83

	रु0
भूमि विकास बाउन्ड्रीवाल एवं फैंसिंग	87,797.29

वर्ष 1983-84 (15 जनवरी, 1984 तक)

1--भूमि विकास बाउन्ड्रीवाल एवं फैंसिंग	31,249.79
2--आंतरिक सड़क	2,898.00
3--बुशर शेड	2,41,068.90
4--चार कुक्कुट गृह व मुख्य साज-सज्जा	6,66,037.05
5--जनरेटर, तेल आदि सहित	79,159.80
6--ट्यूबवेल पानी की टंकी पाइप फिटिंग आदि	11,325.60
7--विद्युतीकरण	12,043.15
8--विविध व्यय (निविदा, प्रकाशन व बोर्ड)	9 554.00
9--आकस्मिक व्यय	749.90
योग ..	10,54,086.19
कुल योग ..(वर्ष 1982-83 तथा 1983-84,) ..	11,41,883.48

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर ।)

मोहनलालगंज इकाई में 3 वर्ष/3 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	इकाई में योगदान की तिथि
	सर्वश्री —-		
1	सुरेश चन्द्र त्रिपाठी	प्राविधिक सहायक	19–5–1980
2	सत्यनारायण	अधिदर्शक	3–5–1979
3	राजवीर सिंह	भू0 सं0 निरीक्षक	24–8–1979
4	महक सिंह	तदेव	8–4–1980
5	छोटे लाल सिंह	सहायक भू0 सं0 निरीक्षक	16–6–1979
6	बटकेश्वर सिंह	,,	27–4–1979
7	करन सिंह	,,	17–3–1979
8	राजबीर सिंह बाल्यान	,,	22–5–1979
9	भगवान सिंह गौतम	,,	24–3–1979
10	राजपाल सिंह	,,	24–3–1979
11	महाबीर सिंह	,,	26–3–1979
12	बासुदेव	,,	2–8–1979
13	नारायणदास	,,	24–3–1979
14	महेन्द्र सिंह तोमर	,,	26–2–1980
15	रामसहाय	,,	26–3–1980
16	सियाराम	,,	28–3–1980

ह0

भूमि संरक्षण अधिकारी,

शारदा सहायक,

मोहनलाल गंज, लखनऊ ।

नोट—1—उपरोक्त सभी कर्मचारी श्रेणी–3 के हैं ।

2—कोई अधिकारी तीन वर्ष से अधिक अवधि का मोहनलालगंज इकाई में तैनात नहीं है ।

परिशिष्ट "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर ।)

दिनांक 17-5-1982 की बैठक के प्रासंगिक निर्णय

1—अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं की भांति इस विद्यालय पर भी इंटर शिक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों तथा शिक्षा संहिता के प्राविधान लागू होंगे तथा प्रबन्ध तंत्र का यह दायित्व होगा कि वे उक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2—इसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस विषय में इस संस्था को अनुदान तभी स्वीकृत किया जाय जब जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ की यह संस्तुति प्राप्त हो जाय कि संस्था द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर ।)
संलग्नक

फर्म का नाम	पता	टेन्डर दर प्रति आलमारी रु०
1—एलाइड स्टील फर्नीचर वर्क्स	साहबगंज, फैजाबाद	890.00
2—नेशनल सेफ वर्क्स	जनीरा, फैजाबाद	(1) 920.00
		(2) 950.00
3—ए-वन स्टील वर्क्स	साहबगंज, फैजाबाद	950.00
4—पूनम इण्डस्ट्रीज	3/3/21 ,रिकाबगंज, फैजाबाद	1,016.62
5—न्यू लाइफ स्टील फर्नीचर वर्क्स	शाहगंज, फैजाबाद	1,094.00
6—अरोरा सेफ वर्क्स	लक्ष्मी निवास, मोतीबाग, फैजाबाद	1,097.60
7 सुल्तानपुर मिलिंग कम्पनी	जलालुद्दीन मार्केट, सुल्तानपुर	1,333.40
8 —फेयरडील एजेन्सी	खासपुरा रोड, फैजाबाद	1,752.00
9—अनिल कुमार सिंह	मकान नम्बर 1085, जनौरा, फैजाबाद	1,900.00
10—गर्ग एण्ड कम्पनी	मोतीबाग, फैजाबाद	2,015.08

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या--181 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 181 के उत्तर में सन्दर्भित सूची :--

ब्लाक का नाम	क्र0 सं0	विद्यालय का नाम 1977-78		विद्यालय का नाम 1978-79	विद्यालय का नाम 1979-80
1	2	3		4	5
1--खैराबाद	1	प्राइमरी पाठशाला, पकरिया	1	प्राइमरी पाठशाला, पहालपुर केलिया	प्राइमरी कमैचा
	2	प्राइमरी पाठशाला, भगौलीपुर	2	प्राइमरी पाठशाला, जाजपुर	प्राइमरी पाठशाला, सुल्तानपुर
	3	प्राइमरी पाठशाला, नगरा	3	प्राइमरी पाठशाला, सराय यूसुफ	प्राइमरी पाठशाला, सुल्तानपुर कमैचा
	4	प्राइमरी पाठशाला, एमीपुर	4	प्राइमरी पाठशाला, टेंड़वा बिलौला	..
	5	प्राइमरी पाठशाला, इलसिया	5	प्राइमरी पाठशाला, उनसिया	..
	1	जू0 हा0 स्कूल, शरफापुर	1	जू0 हा0 स्कूल, नेरुपुर	.
2--परसेण्डी	1	प्राइमरी पाठशाला, इमलिया	1	प्राइमरी पाठशाला, मिर्जापुर	प्राइमरी पाठशाला, समैशा
	2	प्राइमरी पाठशाला, पट्टी सेवई	2	प्राइमरी पाठशाला गौरा, अर्जुनपुर	.. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	3	प्राइमरी पाठशाला, कसरेला	3	प्राइमरी पाठशाला, जरेला	
	4	प्राइमरी पाठशाला, उमरी	4	प्राइमरी पाठशाला, बरसेण्डीपुरवा	..
	5	प्राइमरी पाठशाला, मझिगवां	5	प्राइमरी पाठशाला, जानीपुर	..
	6	प्राइमरी पाठशाला, शाहपुर	6	प्राइमरी पाठशाला, मीनपुर	..
	7	प्राइमरी पाठशाला, भदियासी	7	प्राइमरी पाठशाला, खनुपु, शेरपुर	..
	8	प्राइमरी पाठशाला, शैदापुर		..	..
	1	जू0 हा0 स्कूल, मदारपुर,	1	जू0 हा0 स्कूल, रिखौना	..
	2	जू0 हा0 स्कूल, हरिहरपुर, सोनारी	2	जू0 हा0 स्कूल, अंगरासी	..
	3	क0 जू0 हा0 स्कूल, मेंहदीपुरवा	3	जू0 हा0 स्कूल, बड़गांव	..
3--ऐलिया	1	प्राइमरी पाठशाला, जगना	1	प्राइमरी पाठशाला, सेहई	..
	2	प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर	2	प्राइमरी पाठशाला, देवई	..
	3	प्राइमरी पाठशाला, सेमरहन	3	प्राइमरी पाठशाला, कुकौ	..
	4	प्राइमरी पाठशाला, सहरोई		..	..
	5	प्राइमरी पाठशाला, दखिया		..	..
	1	जू0 हा0 स्कूल, हिहार	1	जू0 हा0 स्कूल, खगेसियामऊ	..
	2	जू0 हा0 स्कूल, केशवपुर	2	जू0 हा0 स्कूल, मोहिउद्दीनपुर	..

पी0 एस0 यू0 पी0--4 एल0 ए0--14-6-1984--813 (पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा